

हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 24 अगस्त, 2016 को माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

24/08/2016/1100/TCV/DC/1

व्यवस्था का प्रश्न

श्री संजय रतन: माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो सदन में घटित हुआ, उसके बारे में क्या कार्रवाई की गई?

Speaker: I am taking appropriate action for that.

अध्यक्ष: अभी माननीय सदस्य सर्वश्री संजय रतन, अजय महाजन और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया है कि कल जो यहां पर सदन में अनाऊंस किया गया था, उसके बारे में क्या फैसला किया गया? इसके बारे में मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि विशेषाधिकार हनन का जो मामला सदन में उठाया है, कल दिनांक 23 अगस्त, 2016 को सभा के समक्ष घटित हुआ है। श्री रविन्द्र सिंह जी ने कल दिनांक 23 अगस्त, 2016 को सदन में अध्यक्षपीठ के निर्णय का बार-बार विरोध किया तथा हठपूर्वक व जानबूझकर सभा के कार्य में बाधा डाली और सभा के नियमों का दुरुपयोग किया। उन्होंने सभा की सम्पत्ति को भी क्षति पहुंचाई है। माननीय सदस्य का व्यवहार लोकतांत्रिक व्यवहारों के विरुद्ध है और यह माननीय सदन की परम्पराओं और नियमों के प्रतिकूल हैं।

श्रीमती नीना सूद द्वारा जारी ----

24/08/2016/1105/NS/DC/1

अध्यक्ष महोदय -----जारी।

अगर सदन की सहमति हो तो श्री रविन्द्र सिंह जी (सदस्य) द्वारा सभा के समक्ष किए गए विशेषाधिकार हनन के लिए उन्हें वर्तमान सत्र की दिनांक 24 अगस्त, 2016 की

बैठक तथा सत्र की शेष अवधि तक सभा की सेवा से निलम्बन किया जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री रविन्द्र सिंह रवि से आग्रह करता हूँ कि सदन के बाहर चले जाएं। (व्यवधान)

प्र० प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय, आपने एक रिटन ऑर्डर पढ़ा है। मैं व्यवस्था का प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ। एक तो उन्होंने आपने परमिशन नहीं दी। रिकार्ड में कुछ नहीं है। जो चीज़ रिकार्ड में नहीं आई है आपको किसी माननीय सदस्य ने कहा और आपने संज्ञान कैसे ले लिया और अब आप कार्रवाई कर रहे हैं। क्या आप पहले ही लिखकर ले आए हैं। इसी कारण हम विरोध कर रहे हैं और परसों भी लगभग मामला सुलझ गया था तब आपने ऐसी टिप्पणी कर दी इसीलिए हमने सदन से वॉक-आऊट किया था। मैं आपकी आपकी रूलिंग देख रहा था, आपकी रूलिंग है कि जो चीज़ कोर्ट में है, जो मैटर सब-ज्यूडिस है उसपर यहां चर्चा नहीं हो सकती। उसके बाद जो माननीय सदन के सदस्य नहीं थे जो लोग इस सदन में उपस्थित नहीं थे उनका बाईनेम यहां पर जिक्र किया गया। आपका यह दोहरा मापदण्ड क्यों है? आप निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहे हैं यह हमारा आरोप है। आपके चुनाव में हमारी पूरी सहमति थी। हम आपसे न्याय की अपेक्षा करते हैं। विपक्ष जो बोलता है वह रिकार्ड में नहीं आता है। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने यह कहा कि अगर यह रिकार्ड कर लिया हो तो उसको एक्सपंज करें। आप इज़ाज़त नहीं देंगे तो रिकॉर्ड नहीं होगा। मेरा आप से निवेदन है कि आप इस निर्णय को सस्पेंड करें। अगर आपको चर्चा नहीं चाहिए तो आप बता दीजिए हम उसके लिए भी तैयार हैं।

अध्यक्ष: एक मिनट मैं बोल लेता हूँ। फिर आप बोल लेना। माननीय धूमल जी ने जो बात कही है। (व्यवधान)

24/08/2016/1105/NS/DC/2

श्री महेन्द्र सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, जैसा इस हाऊस के बीच हुआ और माननीय मुख्य मंत्री जी उस समय विपक्ष के नेता हुआ करते थे। ऐसा ही इस हाऊस के अंदर एक बार कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने एज़िटेशन किया था और हाऊस में कागज़ फाड़ कर सचिव, विधान सभा के ऊपर फेंके थे।

श्री आर० के० एस० द्वारा जारी।

24/08/2016/1110/RKS/AG/1

श्री महेन्द्र सिंह...जारी

माननीय अध्यक्ष जी, आप इस सदन का संचालन कर रहे हैं। पहले भी ऐसा हुआ है, उस वक्त भी किसी सदस्य को बाहर नहीं किया गया था। अगर आपने विपक्ष के किसी एक सदस्य को बोलने का मौका दिया होता तो यह घटना ही नहीं घटती। इस छोटी सी घटना के पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहा है। यह तो एक छोटी सी बात है। माइक तो ठीक हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमारे माइक बंद है और आपके माइक चले हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या वजह है कि आपका माइक और सत्ता पक्ष के माइक चले हुए हैं और विपक्ष के माइक बंद हैं। अध्यक्ष महोदय, पीछे भी इस प्रकार की घटना होती रही है इसलिए जो आप आपने फैसला सुनाया है उस पर पुनः विचार किया जाए।

अध्यक्ष: मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि जो विपक्ष की तरफ के माइक हैं इसमें शॉर्ट-सर्किट हुआ है। इसकी वजह से ये माइक बंद है। तकनीशियन इस समस्या को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं।

श्री सुरेश भारद्वाज: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि जो विपक्ष के माइक हैं उनमें शॉर्ट-सर्किट हुआ है लेकिन क्या यह सरकार और पूरे विधान सभा सचिवालय

की विफलता नहीं है? क्या इस शॉर्ट-सर्किट को 24 घंटे के अंदर ठीक नहीं किया जा सकता था? आप जो वर्णन कर रहे हैं, यह विधान सभा सचिवालय के लिए शर्मदायक है।

अध्यक्ष: यह शॉर्ट-सर्किट अचानक हुआ है।

श्री सुरेश भारद्वाज: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय महेन्द्र सिंह जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। यहां पर सदन में खड़े होकर श्री संजय रतन जी ने एक बात कही जिसके लिए उनके पास भी कोई परमिशन नहीं थी। उसके बावजूद भी आप पहले से लिखा हुआ आर्डर पढ़कर सुना रहे हैं।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इन्होंने पूछा था कि आपने क्या एक्शन लिया है।

24/08/2016/1110/RKS/AG/2

श्री सुरेश भारद्वाज: माननीय अध्यक्ष महोदय, कल एक विषय पर जो वाक आउट हुआ, जो लैजिटिमेटली हमारा अधिकार है और आप उस विषय को उठाने के लिए मना कर रहे हैं कि यह कोर्ट का मैटर है। उसी विषय पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने भारत के माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, सांसद श्री अनुराग ठाकुर, प्रो० प्रेम कुमार धूमल और अरुण धूमल जी का नाम इस सदन के अंदर लिया। जबकि यह पार्लियामेंटरी रूलज़ है, प्रोसिज़र है जो व्यक्ति सदन के अंदर डिफेंड करने के लिए नहीं हैं उनका नाम लेकर चर्चा नहीं की जा सकती। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इन शब्दों को कार्यवाही से एक्सपंज कर दिया जाये। यदि ये शब्द एक्सपंज नहीं करने हैं तो हमें बोलने की इजाज़त दीजिए। माननीय मुख्य मंत्री जी जब सदन शुरू होने वाला होता है तो कोई-न-कोई टिप्पणी जानबूझकर कर देते हैं ताकि सदन न चले। भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था और बाढ़ के बारे में हमारी चर्चाएं यहां पर लगी हुई है और जानबूझकर इस प्रकार के ऑर्डर्ज़ किए जा रहे हैं, जोकि लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा नहीं है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में पहले भी इस प्रकार की घटना हुई है

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

24.08.2016/1115/SLS-AG-1

श्री सुरेश भारद्वाज...जारी

अध्यक्ष महोदय, आप बिना कोई एक्सप्लानेशन लिए और इस विषय पर बिना बात किए यह आदेश कर रहे हैं। माननीय सदस्य श्री रविन्द्र सिंह जी 5 बार अपने चुनाव क्षेत्र और अन्य चुनाव क्षेत्रों से भी चुनाव जीत चुके हैं। विधान सभा में इस प्रकार की कार्रवाई करने का पिछले 25 सालों का कोई इंस्टांस भी नहीं है। ऐसी कार्रवाई करने में संबंधित सदस्य का पिछला व्यवहार भी देखा जाता है जबकि आप केवल एक इंस्टांस देखकर यह निर्णय ले रहे हैं। आप इनकी एक्सप्लानेशन लेते, इनसे बात करते और फिर कोई फैसला लेते अन्यथा यह उचित नहीं है। इस प्रकार यह सदन नहीं चलेगा, विधान सभा नहीं चलेगी और लोकतंत्र भी नहीं चलेगा। यह देश के लिए अच्छी बात नहीं होगी और खासकर हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश के लिए, जो एक छोटा-सा प्रदेश है, यह ठीक बात नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपने जो यह आदेश किया है, इस ऑर्डर को वापिस लें, इस आदेश को सस्पेंड करें और इस बारे में चर्चा करें; बात करें और फिर कोई निर्णय लें।

अध्यक्ष : बिन्दल जी, आप क्या कहना चाहते हैं।

डॉ० राजीव बिन्दल : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात का बहुत रंज है। परसों से लेकर हम बार-बार आपसे आग्रह करते रहे परंतु एक क्षण के लिए भी या माईक ऑन नहीं हुआ और हमारे सारे सदस्य अनुरोध करते रहे परंतु आपने इज़ाज़त नहीं दी। माननीय सदन को चलाने के लिए आप इस सर्वश्रेष्ठ स्थान पर बैठे हैं और आपके अनुसार ही यह सदन चलेगा। परंतु जिस प्रकार की टिप्पणियां माननीय मुख्य मंत्री जी ने की, उसके ऊपर भी आपने बोलने की इज़ाज़त नहीं दी और उसी के कारण यह माहौल खराब हुआ। आज भी हमारा यह मानना है कि रूलिंग साईड जानबूझकर, जो

चर्चाएं लगी हैं, उनको टालने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई करवा रही है ताकि सदन न चल सके और यहां पर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर चर्चा न हो सके। यह 5 दिनों का सत्र है। इस सत्र के अंदर भी अगर विपक्ष को बोलने

24.08.2016/1115/SLS-AG-2

की इज़ाज़त नहीं है तो फिर सत्र बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक दिन के अंदर आप बिल पास करने की कार्रवाई करके इस सत्र को पूरा कर देते। ...(व्यवधान)...

Speaker: Please keep quiet.

डॉ० राजीव बिन्दल : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार यही सदन था जिसमें रूलिंग में भारतीय जनता पार्टी थी, और जो माननीय मंत्रिगण यहां बैठे हैं वह विपक्ष के सदस्य थे। उन्होंने उस किनारे की ओर जाकर ढींगामुस्ती की थी और हमारे विधायक की ऊंगली तोड़ दी थी। उसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज माईक को लेकर समस्या आई है। अगर ऊंगली तोड़ने के बाद भी उस समय कार्रवाई नहीं हुई तो माईक के टूटने पर कार्रवाई करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। मेरा यह भी आरोप है कि हमारे ऐसे कई प्रश्न लगे हैं जिनमें सूचना चाही गई है कि प्रदेश के अंदर कितने स्कूल खुले, कितने कॉलेज खुले और उनका जवाब है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। आज के प्रश्नों में और परसों के प्रश्नों में इस तरह के उत्तर हैं। ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा यह स्पष्ट कहना है कि जो आपने निर्णय लिया है यह निर्णय लोकतंत्र के हित में नहीं है। आप इसके ऊपर पुनर्विचार करें ताकि इस सदन की कार्रवाई चल सके।

अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, वह इस कार्रवाई की भावना नहीं है। जो यह कार्रवाई की गई है यह किसी के बोलने से नहीं है। वैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे लफ्ज किसी के लिए निजी तौर पर बोले गए हैं, I order expunction of those words. जिसके भी बारे

में कोई बात की गई है, वह एक्सपंज किए जाते हैं। लेकिन यह एक्शन इसलिए लिया गया है क्योंकि प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। हमने बोलने के लिए किसी को मना नहीं किया है। बोलने के लिए सबको इज़ाज़त दी है कि जो मरज़ी बोलें। लेकिन इस बात का कोई औचित्य नहीं है और यह लोकतांत्रिक नहीं है कि आप असेंबली की प्रॉपर्टी को डैमेज करें।

जारी ..श्री गर्ग जी

24/08/2016/1120/RG/AS/1

अध्यक्ष : -----क्रमागत

आपके दोनों माईक टूट गए हैं---(व्यवधान)---पहले मेरी बात सुनिए। अब उसी बात पर यह एक्शन लिया गया है। किसी के बोलने पर या कोई स्पीच देने पर यह एक्शन नहीं लिया गया है या उसका संज्ञान नहीं लिया गया है। यह प्रॉपर्टी डैमेज का केस हमने बनाया है। मैंने बनाया है। इसलिए यह एक्शन हम ले रहे हैं। किसी के प्रति हमारा कोई द्वेष नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि पक्ष या विपक्ष की तरफ से कोई ऐसे शब्द बोले गए हैं, तो मैं उनको एक्सपन्ज करने के ऑर्डर करता हूं।

श्री रवीन्द्र सिंह जी, कृपया जो ऑर्डर किए हैं, उनके अनुसार आप चले जाइए।--(व्यवधान)----धूमल साहब, आप क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए। ---(व्यवधान)--- देखिए, आराम से सुनिए, माईक नहीं है। आवाज़ नहीं आ रही है, इसलिए आराम से ही बोलिए।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं कि आपने किसी के कहने पर ऐसा कर दिया। ऑर्डर तो आपने कर दिया।

अध्यक्ष : ऑर्डर तो पहले लिखा जाता है। कल मैंने कहा था कि एक्शन लेंगे, वह एक्शन लिया और उसके लिए आज जो ऑर्डर मैं लाया हूं, वह मैंने आज इम्प्लीमेंट कर दिया है। कल की घटना के बाद मैंने ऑर्डर लिखा और घटना के बाद ऑर्डर लिखकर मैंने आज उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। इसमें क्या नई बात है?

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, ऑर्डर पहले लिखा जाता है, लेकिन जब लिखा जाता है, तो उससे पहले इशु रेज़ किया जाता है।

अध्यक्ष : वैसे माननीय धूमल जी, यदि आप नियम-75 पढ़ें, तो इस केस में मेरी आंखों के सामने और इस सदन में यदि कोई बात हुई है, तो उसमें संज्ञान लिया जाता है, उसमें किसी ऑर्ग्युमेंट या किसी कम्प्लेंट की जरूरत नहीं होती है और यह जो ऐक्शन लिया गया है, "Speaker is competent under Rule 75 to take action without any compliant from anybody." इसमें किसी कम्प्लेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती है।

24/08/2016/1120/RG/AS/2

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, आंखों के सामने जो होता है उस पर आप यह निर्णय ले सकते हैं, यह अधिकार अध्यक्ष महोदय को है।

अध्यक्ष : सदन में यह अधिकार है।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : लेकिन एक तरफ आंख बंद रहे और एक तरफ खुली रहे, तो यह अन्दाज़ गलत है। हमें तो आपत्ति इस अंदाज़ पर है कि एक आंख खुली रहे और एक तरफ वाली बंद हो जाए।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त दूसरी बात एक बार जो कागज़ात फाड़कर सैक्रेट्री पर फेके गए थे और जो अंगुली तोड़ी गई थी, वह भी देखिए।---(व्यवधान)---

अध्यक्ष : मैंने कुछ बोलने के लिए या स्पीच करने के लिए कोई ऐक्शन नहीं लिया है, मैंने वह संज्ञान नहीं लिया है। मैं आपको सिम्पली कह रहा हूँ कि action has been taken only on the damage of the property of the House. यह नहीं है कि क्या बोला, मैं तो आपको स्वयं कह रहा हूँ कि अगर विपक्ष से या पक्ष से कोई ऐसे लफ़्ज़ बोले गए हैं और किसी की पर्सनलिटी पर यदि कोई बात हुई है, तो उसको ऐक्सपन्ज कर देते हैं।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, जो आपके कानों ने सुना, उस पर ऐक्शन ले रहे हैं, जो आपत्तिजनक शब्द कहे गए, उस पर ऐक्शन लें।

अध्यक्ष : जब किसी के बारे में बोला गया, तो वह पार्सिंग रेफरेंस था, उसके डेरोगेटरी रिमाक्स नहीं थे। लेकिन यह है कि यदि किसी का नाम आ गया, तो उसको ऐक्सपन्ज कर देते हैं, this is the only solution. लेकिन जो प्रॉपर्टी डैमेज हो गई है उसका खामियाज़ा तो इनको भुगतना पड़ेगा। यह लोकतान्त्रिक प्रथा नहीं है कि यदि आपको गुस्सा आ जाए, तो आप डेस्क या माईक तोड़ दें या कुछ डैमेज कर दें, यह अच्छी बात नहीं है और यह लोकतांत्रिक तरीका नहीं है।

एम.एस. द्वारा अगले वक्ता शुरू

24/08/2016/1125/MS/AS/1

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष जी, परन्तु आप तो दिल तोड़ रहे हैं उसके डैमेज का क्या होगा? प्रॉपर्टी का नुकसान तो होता रहता है और प्रॉपर्टी की मुरम्मत हो जाती है। आप कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ है तो प्रॉपर्टी तो ठीक हो जाएगी और माइक भी ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा के इतिहास में आपका नाम न लिखा जाए कि श्री बृज बिहारी लाल बुटेल जो तत्कालीन अध्यक्ष थे उन्होंने अपने पड़ोसी को सदन से सस्पेंड किया था। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इतिहास दोनों तरह से लिखा जाता है। इसलिए एक इतिहास यह लिखा जाएगा। अध्यक्ष जी, क्षमा करना ठीक रहता है और पड़ोसियों के साथ बनाकर रखना ठीक रहता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपने निर्णय को रिवाइव कीजिए। शायद पक्ष के लोग भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। इसलिए आप अपने निर्णय को वापिस ले लें ताकि सदन में चर्चाएं प्रारंभ की जा सकें और प्रश्नकाल शुरू हो जाए।

अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्य को एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे सामने और आपके सामने भी कभी ऐसा कोई मौका नहीं आया होगा जब मैंने आपको बोलने के लिए मना किया हो या आपको बोलने से रोका हो। पक्ष और विपक्ष सभी को बोलने का मैंने समय दिया और उसमें कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। मैं यह कह रहा हूँ कि जब आप बोलते हैं तो उस समय मैं बार-बार सिर्फ यही कहता हूँ कि जो सब-ज्यूडिस मैटर हैं

यानी कोर्ट केसिज हैं उसमें चर्चा के लिए आप फोर्स न करें बाकी आप जो मर्जी बोलिए, अच्छी बात है। कल जो घटना हुई है उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि बेचारे माइक ने क्या बिगाड़ा था? दो माइक तोड़ दिए गए इसलिए इस पर मुझे एक्शन लेना पड़ रहा है और इसमें कोई बोलने की बात नहीं है। आप लोग इसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। सिर्फ डैमेज ऑफ प्रौपर्टी के लिए मैं -(व्यवधान)-

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: सर, गलत तरीके से कर दिया है तो आपसे अपील करना क्या गलत तरीका है?

24/08/2016/1125/MS/AS/2

श्री सुरेश भारद्वाज: अध्यक्ष जी, आपने नियम 75 का हवाला दिया है और नियम के मुताबिक आप एक्शन लेंगे। इसी नियम में साथ में यह प्रोविजन है कि अगर किसी सदस्य के खिलाफ शिकायत है तो उसको स्पेशल नोटिस देकर उसकी बात सुनी जाएगी। तो 'Principle of Natural Justice' हमेशा यही कहता है कि जब कोई ऐसी घटना होती है या किसी को नोटिस देते हैं तो उसको पूछा जाए और उसको कम-से-कम एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाए। उसके बाद आप कोई एक्शन ले सकते हैं। मेरा यह मानना है। बहुत सारी चीजों के लिए हम हाथ खड़े कर देते हैं और देख नहीं पाते हैं। माइक टूटा या नहीं टूटा, यह पूरी-की-पूरी बात नहीं देखी गई और आपने फैसला सुना दिया। 'Provided further that if the complaint is against a member, the Speaker, may hear him before giving his consent'. सैकिण्ड प्रोविजो जो है -(व्यवधान)- आगे भी सुन लीजिए। क्या आप लोग कोई जज हैं? 'Provided that if the breach is committed in the actual view of the House, the House may take action without any complaint'. आपने जो कन्सेंट ऊपर वाले प्रोविजो में दी है उसको कन्सेंट देने से पहले आप उनको नोटिस दे देते और सुन लेते फिर उसके ऊपर फैसला देते। अध्यक्ष जी, केवल-मात्र न्यायालय की तरह -(व्यवधान)- फैसला देने की आवश्यकता नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस सदन में विपक्ष के 28 सदस्य हैं जिनको प्रदेश की जनता ने चुनकर भेजा है और जिस सदस्य के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं उनको पांच बार चुनकर इस विधान सभा में लोगों ने भेजा है। -(व्यवधान)- इसलिए

इसको देखते हुए आप कम-से-कम लिनियंट व्यु तो लेते ताकि यह सदन भी चलता।

श्री जे0एस0 द्वारा जारी-----

24.08.2016/1130/जेके/डीसी/1

श्री सुरेश भारद्वाज:-----जारी-----

और प्रदेश हित के मुद्दे यहां पर आए और अभी शिमला में एक घटना घटी। एक बच्चे की लाश म्युनिसिपल कमेटी के टैंक में मिली और उस पानी को पूरे शहरवासी पीते रहे।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य वह अलग मुद्दा है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे।

श्री सुरेश भारद्वाज: इसके अलावा भ्रष्टाचार के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर बात करना जरूरी है इसलिए मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से भी और माननीय पार्लियामेंटरी अफेयर्ज़ मिनिस्टर से भी निवेदन है कि इतने सालों से ये भी राजनीति में हैं इसलिए मैं इनसे अपील कर रहा हूं कि लोकतंत्र के हित में इस निर्णय को वापिस लेने के लिए वे आपसे आग्रह करें ताकि यह हाऊस चल सकें। माननीय मुख्य मंत्री और माननीय पार्लियामेंटरी अफेयर्ज़ मिनिस्टर अपनी ग्रेस दिखाएं और मुख्य मंत्री जी आप बड़े दिल के आदमी है इसलिए दरियादिली दिखा कर इस मुद्दे को छोड़ दें।

अध्यक्ष: मैं आपको यह सूचना दे रहा हूं कि जो एक्शन लिया जाता है वह किसी की कम्प्लेंट पर है या किसी रिपोर्ट पर....(व्यवधान).... है और इसमें 'Provided that if the breech is committed in the actual view of the House, the House may take action without any complaint'. फिर कम्प्लेंट नहीं चाहिए। आप मेरी बात सुनिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं सम्मान करता हूं, जैसे कि आपने कहा कि ये पांच बार एम0एल0ए0 रह चुके हैं। I have full regard for every Member. मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इसमें कुछ बोलें या नहीं बोलें, उसमें तो कोई एक्शन लेने की

बात ही नहीं है और न ही मैंने कभी एक्शन लिया है। This action has been taken in view of the damage of the property to the House उस वज़ह से मुझे यह एक्शन लेना पड़ रहा है। यह घटना मेरी नज़रों के सामने हुई है।

24.08.2016/1130/जेके/डीसी/2

श्री रिखी राम कौंडल: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय सदन के नेता और पार्लियामेंटरी अफेयर्ज़ मिनिस्टर से अनुरोध है कि यह सदन पक्ष और विपक्ष की सहमति से चलता है। Speaker should act according to the wishes of the House. इसलिए मेरा पार्लियामेंटरी अफेयर्ज़ मिनिस्टर से निवेदन है कि बड़ा दिल दिखा करके इस बात के निर्णय को वापिस लें और यही आपका यहां बड़प्पन नज़र आएगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो इतनी बार चुन कर आए हैं, जैसे कि माननीय धूमल जी ने कहा कि पेट और पड़ौस कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। इसलिए इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी इन्टरवीन करें और पार्लियामेंटरी अफेयर्ज़ मिनिस्टर भी on behalf of the group इसमें इन्टरवीन करके इस फैसले को वापिस लेने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं।

अध्यक्ष: मुझे आप यह कह रहे हैं कि फैसले को वापिस करें। यह घटना आपके सामने कल घटी लेकिन उसके बारे में आप, you are not feeling sorry about it.

श्री रिखी राम कौंडल: अध्यक्ष महोदय, हम आपसे फैसला वापिस लेने के लिए निवेदन नहीं कर रहे हैं। हम तो सदन के नेता और पार्लियामेंटरी अफेयर्ज़ मिनिस्टर से इस फैसले को वापिस लेने के लिए निवेदन कर रहे हैं। हाऊस दोनों पक्षों से चलता है। Speaker should act according to the wishes of the House. हाऊस दोनों पक्षों से चलता है इसलिए माननीय मुख्य मंत्री इसमें इन्टरवीन करें और इस फैसले को वापिस लें। माननीय सदस्य के खिलाफ इस तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ठीक नहीं है क्योंकि

इस सदन में कई घटनाएं पहले भी घटी हैं। सदन की परम्परा को बरकरार रखते हुए इस फैसलें को रिव्यू करें।

अध्यक्ष: आपने माईक तोड़ने की परम्परा भी शुरू कर दी है।

24.08.2016/1130/जेके/डीसी/3

श्री सुरेश भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस हाऊस को थोड़ी देर के लिए स्थगित करें। अपने चैम्बर में आप लीडर ऑफ हाऊस, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और बाकी लोगों को बुला करके इस पर विचार करके फिर आप इसमें कुछ तय करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह हाऊस के लिए भी, डेमोक्रेसी के लिए भी और प्रदेश के हित में है। आप दोनों पक्षों को बुलाइए, चैम्बर में बुलाइए, बात करेंगे तो मुझे लगता है कि इससे कुछ न कुछ हल हो जाएगा।

Speaker: I am surprised to see that none of you have asked your Member that why this happening was committed yesterday. Nobody asked this, everybody has seen that.

एस0एस0 द्वारा जारी-----

24.08.2016/1135/SS-DC/1

श्री जय राम ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जो हो गया सो हो गया। मुझे लगता है कि जितना विनम्र आग्रह विपक्ष के सभी सदस्यों की ओर से आया है, बड़े लोग बड़ा दिल रखते हैं ऐसा हमने सुना है। मेरा मुख्य मंत्री और सत्ता पक्ष के सभी साथियों से इस बात का निवेदन है कि जो घटना हुई उसके पीछे कोई वजह तो रही होगी। लेकिन उस वजह में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम इस माननीय सदन में वर्षों से इसकी परम्परा को निभाते आए हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है, ऐसा माहौल बन जाता है, उसके कारण ऐसा हो गया। लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति भी आनी

चाहिए कि जो हुआ उसको खत्म करने का भी मन हमको खुला रखना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि जो एक बात सुरेश भारद्वाज जी ने आपसे कही है --(व्यवधान)-

अध्यक्ष: मैं जो डिस्मिशन ले रहा हूँ वह खत्म करने के लिए ले रहा हूँ। जो कुछ हुआ है उसको खत्म करने के लिए ही मैं डिस्मिशन ले रहा हूँ।

श्री जय राम ठाकुर: मेरा आपसे निवेदन है कि आप श्री रवि जी को दो मिनट का समय दे कर इनको अपनी बात रखने की इजाजत दे दें। अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं तो विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के नेता, आप तीनों बैठ करके इस छोटी-सी बात का समाधान निकालिये। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा इसको आगे बढ़ाने का कोई लाभ नहीं है। इतना मेरा आपसे निवेदन है। ये दो बातें हैं। जो कल होना था वह हो गया और जो आज होना था वह आज हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी आप गुंजाइश बाकी रखिये। उसके बाद मुझे लगता है कि इसका समाधान निकल आयेगा, अगर आप इन दोनों बातों पर विचार करते हैं। अध्यक्ष महोदय, यही मेरा आपसे निवेदन है।

अध्यक्ष: यह हाउस की घटना कल हाउस में हुई है और आज मेम्बरज ने मुझसे पूछा कि what action has been taken by me? मैं हाउस को पूछे बगैर डिस्मिशन को रिवाइव नहीं करूंगा। अगर हाउस चाहे तो जो मर्जी कर सकता है। आप अगर बोलेंगे भी तो जो मैंने ऐक्शन ले लिया I will stand by that. हाउस की मर्जी है अगर हाउस कुछ ऐक्शन लेना चाहे तो ले सकता है। हाउस क्या चाहता है यह मुझे नहीं पता है। But whatever action has been taken by me I stand by that.

24.08.2016/1135/SS-DC/2

शहरी विकास मंत्री: अध्यक्ष महोदय, कल जो घटना घटी है उसके ऊपर आज आपने जो रूलिंग दी है उसका हम सब सम्मान करते हैं। उस तरफ से भी बातें हुई हैं कि ग्रेस दिखानी चाहिए। बड़प्पन दिखाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम लोग जब यहां चुन कर आए हैं, सभी लोग देख रहे हैं, जो आज हम अन्दर करेंगे उसको बाहर भी देखा जा रहा है। आज यह चर्चा का विषय रहता है कि क्यों ऐसा स्तर गिरता जा रहा है? क्यों आज न्यायालय हस्तक्षेप करने लगे हैं? अगर हम आपके ही निर्णय का सम्मान नहीं करेंगे तो उसका मतलब है कि इस सदन का सम्मान नहीं करते। यह बेहतर होता कि माननीय

सदस्य आज कार्यवाही शुरू होने से पहले ही आपके पास आ करके कल की हुई घटना के बारे में अगर कहते कि वह गलत हुआ है और मुझसे आवेश में हो गया तो वह कोई और बात थी। लेकिन अब जब आपने रूलिंग दी है तो हम उसका सम्मान करते हैं। हमें कुछ ऐसे नियम भी बनाने होंगे और ऐसी परिपाटी तय करनी होगी, जिसको देख करके आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आगे आने वाले जो सदस्य इस हाउस में आयेंगे -- (व्यवधान)-- आज एक माइक टूटा है, अभी पीछे से आवाज़ आ रही थी कि अगर आप इस निर्णय को वापिस नहीं लेंगे तो और माइक टूटेंगे। अगर इस तरह की घटनाएं होती जायेंगी तो इस सदन की गरिमा को ठेस पहुंचेगी।

जारी श्रीमती के0एस0

24.08.2016/1140/केएस/एजी/1

श्री सुरेश भारद्वाज: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री श्री सुधीर शर्मा जी ने जो प्रस्ताव रखा, पता नहीं वह इन्होंने अपनी तरफ से रखा या सरकार की तरफ से रखा है क्योंकि शायद इतनी देर तक हम यही बात जो इन्होंने कही है कि परम्पराएं बनती है, आगे चलती है, इसीलिए हमने निवेदन किया था कि मुख्य मंत्री जी बहुत सीनियर हैं और छठी बार मुख्य मंत्री बने हैं और साथ ही साथ ये इस सदन की ही नहीं पार्लियामेंट की परम्पराएं भी जानते हैं। विपक्ष जब बोल रहा है कि बुला लेते तो बात ढंग से हो जाती। मैंने सुबह 10.00 बजे से पहले आपके घर पर भी ट्राई किया था लेकिन आप निकल चुके थे। मैं आपके दफ्तर में आया था, दफ्तर में बी.ए.सी. की मीटिंग प्रारम्भ हो गई थी। हमने आपसे निवेदन भी किया था, जैसा कि सुधीर शर्मा जी कह रहे हैं, इनकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि हमने बात की थी लेकिन अगर बनी बनाई बात, जो आपने तय कर दिया है, उसी पर कायम रह कर सदन को नहीं चलाना है तो फिर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन मेरा निवेदन फिर से माननीय मुख्य मंत्री जी से, पार्लियामेंटरी अफेयर मिनिस्टर से और आपसे भी है कि इस प्रदेश की इस सदन की आगे के लिए भी परम्पराएं बनें। हो सकता है कि कोई घटना हुई हो।

हम घटना की मैरिट और डीमैरिट पर नहीं जा रहे हैं कि यह घटना होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी लेकिन आपने एक बात का संज्ञान लिया है हम उसी बात को मानते हुए सिर्फ निवेदन कर रहे हैं कि आपने जो यह डिसिज़न लिया है, this is harsh decision without any reference to the Member. मैम्बर से पूछा भी नहीं है। हो सकता है, अब बहुत सारी चीजें होती हैं। आप पिछली बार यहां सदन में खड़े होते हुए बेहोश हो गए और बाद में चर्चाएं हुईं कि मुख्य मंत्री जी ने आपको धमकाया था। तो ऐसी घटनाएं सम्भव है और किसी के साथ भी हो सकती है। आवेश में कुछ भी बात हो सकती है परन्तु उस आवेश में अगर थोड़ा इधर से उधर माईक हटा दिया तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का डिसिज़न नहीं लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष: दो माईक टूटे हैं।

24.08.2016/1140/केएस/एजी/2

श्री सुरेश भारद्वाज: अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि क्योंकि कायदे से तो रूलिंग पार्टी ही रैज्योल्यूशन लाती है। इन्होंने रैज्योल्यूशन नहीं लाया, आपने सुओमोटो एक्शन लिया है। आप इस हाऊस के कस्टोडियन हैं। हम भी आपका संरक्षण चाहते हैं लेकिन आप हमें संरक्षण देने की बजाय केवल मात्र सजा देने के लिए अपना डिसिज़न दे रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि यह परम्परा ठीक नहीं है, इस पर अगर आपने कुछ करना है तो करें वरन् हमारा यहां पर बैठने का कोई औचित्य नहीं है।

अध्यक्ष: मेरा यही निवेदन है कि जो बात आप यहां पर करते हैं उसको फोर्सफुल तरीके से भी आप बोल सकते हैं। अनरूली बन कर जरूरी नहीं है कि आप अच्छी बात करें। आप अगर हंगामा करेंगे तो उससे आपको कोई ज्यादा लाभ नहीं पहुंचेगा, उस बात का असर नहीं होगा। मैंने आपको बोलने के लिए कभी मना नहीं किया। अभी मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि जो पिछले कल यहां पर किसी भी पर्सनैलिटीज़ के बारे में जो शब्द बोले गए हैं, चाहे पक्ष या विपक्ष की तरफ से बोले गए हैं, I order expunction of those

words from the proceedings. चाहे वह किसी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट हैं या कोई अनवांटिड वर्डज़ हैं, वे निकाले जाएंगे।

श्री महेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, अगर आप रविन्द्र रवि जी की थोड़ी बात सुन लें तो अच्छा रहेगा।

अध्यक्ष अ0व0 की बारी मे---

24.3.2016/1145/av/ag/1

अध्यक्ष : मैं यह समझता हूं कि instead of wasting the time of this August House मैं हाऊस को 10 मिनट के लिए ऐडजर्न करता हूं और मैं कुछ मैम्बर्ज को भी कनसल्ट कर लेता हूं कि what is the further action which has to be taken.

(मान्य सदन की बैठक 10 मिनट के लिए स्थगित की गई।)

श्री टी0सी द्वारा जारी

24/08/2016/1240/TCV/AG/1

(सदन की बैठक 12.40 बजे अपराहन पुनः शुरू हुई)

अध्यक्ष: सदन के स्थगन के दौरान माननीय सदस्य श्री रविन्द्र सिंह जी मेरे कार्यालय कक्ष में मुझसे मिलने और उनसे पिछले कल सदन के अन्दर घटे घटना क्रम, जिसमें मार्क टूटने की घटना भी हुई थी, उस पर अन-कंडिशनल एपोलोजी प्रकट की और दलील दी कि आवेषवश ये घटना घटित हुई है, अन्यथा वे 5 बार इस सदन के सदस्य रहे हैं। उनका आचरण हमेशा ही परम्पराओं के अनुरूप रहा है और उन्होंने सदन की गरिमा और परम्पराओं का निर्वहन किया है। इसलिए सदन के समक्ष जो विनम्र निवेदन

किया गया है, उस पर सदन पुनर्विचार करें।

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, फैसला तो आपका है। सदन का फैसला तो है ही है। आपने सज़ा सुनाई है। आप ही इस पर निर्णय करें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। इसलिए मेरा जो फैसला है, वह आपका फैसला है। आपने आसन पर बैठकर इसका निर्णय लिया और इसको अनाऊंस किया है। अब आप इसको मेरे गले में डाल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं। अगर उन्होंने (श्री रविन्द्र सिंह) ने आपके दफ्तर में आकर माफी मांगी है और जो यहां पर सदन में आचरण किया है, उसके लिए अफ़सोस व्यक्त किया है तथा जो माईक तोड़े गये हैं, उनका खर्चा भी ये उठाएं तो इस मामले को खत्म कर दें। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। वे यहां पर आए और माफ़ी मांगें। जो माईक तोड़े गए हैं, उसकी रिप्लेसमेंट में भी खर्च आएगा, उसको भी बर्दाशत करें। मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

श्रीमती नीना सूद द्वारा जारी ----

24/08/2016/1245/NS/AG/1

अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्री जी आप कुछ बोलना चाहेंगे।

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैंने बोल तो दिया।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री: अध्यक्ष महोदय, पहले माननीय सदस्य जी को सदन में प्रस्तुत करो। माननीय सदस्य पहले सदन में वक्तव्य देंगे।

नियम-319 के अन्तर्गत प्रस्ताव

अध्यक्ष: श्री रविन्द्र सिंह जी के संदर्भ में हुए घटनाचक्र के बारे में क्या कोई बोलना चाहते हैं? मैं श्री सुधीर शर्मा जी से कहूंगा कि अपनी बात रखें।

श्री सुधीर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज दिनांक 24 अगस्त, 2016 को श्री रविन्द्र सिंह जी माननीय सदस्य का सभा द्वारा किया गया निलम्बन समाप्त

किया जाए।

अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि आज दिनांक 24 अगस्त, 2016 को श्री रविन्द्र सिंह माननीय सदस्य का सभा द्वारा किया गया निलम्बन समाप्त किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

निलम्बन समाप्त हुआ।

श्री रविन्द्र सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले कल जो भी यहां घटित हुई है, वह आवेश में आ करके घटना घटी है। मैंने आपके चैम्बर में बैठ करके बात की। वहां पर संसदीय कार्य मंत्री और माननीय बाली जी, हमारे वरिष्ठ नेता भी विराजमान थे। आपके समक्ष हमने अपनी बात रखी है कि कुछ आवेश में आ करके ऐसी घटना घटी है। ऐसी कोई शक्ति मेरे अन्दर आ गई जिसकी वज़ह से यह घटना घटी है। कभी-कभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ऐसा हो जाता है। यह जैसा बताया गया कि कभी-कभी घटना घट जाती है लेकिन मेरा लम्बा

24/08/2016/1245/NS/AG/2

राजनीतिक कैरियर आपके समक्ष है। आप वर्ष 1993 से मुझे यहां पर सदन में देख रहे हैं। 23 वर्ष मुझे भी विधायक के तौर पर काम करते हो गए हैं। शायद कभी ऐसी घटना घटी हो। मुझे इस बात का खेद है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही मैं सदन के नेता, हमारे प्रतिपक्ष के नेता, संसदीय कार्य मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री और अन्य माननीय सदस्य जो भी इस सारी घटना में अभी आपके चैम्बर में विराजमान थे और हमारे मुख्य सचेतक और डिप्टी सचेतक तथा अन्य सभी जिन्होंने मेरे प्रति अपनी भावना प्रकट की है, आपने यहां इस सदन में विचार रखे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय, यह एक छोटी से घटना है और आप कहते हैं कि इसका पैसा चार्ज करें। आपने चार्ज करने की बात कही है। सरकार नहीं कर पायेगी तो मैं निश्चित तौर पर इसको वहन करने के

लिए तैयार हूं। इसमें कोई बात नहीं है।

श्री आर० के० एस० द्वारा जारी।

24/08/2016/1250/RKS/DC/1

श्री रविन्द्र सिंह...जारी

हमने हमेशा सरकारी सम्पत्ति का आदर किया है और उसकी सुरक्षा की है। अगर आपको लगता है कि इस घटना पर सरकार खर्चा नहीं कर सकती तो मैं निश्चित तौर पर इसको वहन करने के लिए तैयार हूं। मैं एक बार फिर से सदन के नेता, नेता प्रतिपक्ष और सभी सम्माननीय सदस्यों का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

24/08/2016/1250/RKS/DC/2

कागजात सभा पटल पर

अध्यक्ष: अब श्रीमती विद्या स्टोक्स, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री, कागजात सभा पटल पर रखेंगी।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री: : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित का 43 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13(विलम्ब के कारणों सहित)की प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जो माइक की व्यवस्था करने वाले लोग हैं उन्हें आप आदेश दीजिए कि भोजनावकाश के समय इस व्यवस्था को ठीक करें।

अध्यक्ष: अब श्री जी० एस० बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री, कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन तथा बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 21(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन तथा बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण के 15 वें वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

24/08/2016/1250/RKS/DC/3

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष: अब श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री रविन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17), **समिति** के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूँ तथा सदन के पटल पर रखता हूँ:-

- i. समिति का 143 वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा सहकारिता विभाग से सम्बन्धित है;

-
- ii. समिति का 144वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के वित्त/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा सहकारिता विभाग से सम्बन्धित है; और
- iii. समिति का 145वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग से सम्बन्धित है।

iv.

अध्यक्ष: अब श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2016-17), समिति का 21वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि समिति के 9वें मूल

24/08/2016/1250/RKS/DC/4

प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा उद्योग विभाग से संबंधित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री कुलदीप कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2016-17), समिति का 21वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि समिति के 9वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा उद्योग विभाग से संबंधित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष: अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2016-17),

समिति का 58वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि समिति के 23वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद् से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर भी रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2016-17), समिति का 58वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि समिति के 23वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद् से सम्बन्धित है की प्रति उपस्थापित करती हूँ तथा सदन के पटल पर रखती हूँ।

अध्यक्ष: अब श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सदस्य, कल्याण समिति, (वर्ष 2016-17), समिति का 27वां मूल प्रतिवेदन जोकि प्रदेश में संचालित महिलाओं के लिए रोजगार सह-आयोत्पादक प्रशिक्षण, स्वावलम्बन योजना की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

24/08/2016/1250/RKS/DC/5

श्री मोहन लाल ब्राक्टा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति, (वर्ष 2016-17), समिति का 27वां मूल प्रतिवेदन जोकि प्रदेश में संचालित महिलाओं के लिए रोजगार सह-आयोत्पादक प्रशिक्षण, स्वावलम्बन योजना की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूँ तथा सदन के पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्ष: अब श्री राकेश कालिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2016-17), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

श्री राकेश कालिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जन-प्रशासन समिति,

(वर्ष 2016-17), **समिति** के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूँ तथा सदन के पटल पर रखता हूँ:-

- i. समिति का 25वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि गृह विभाग के आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और
- ii. समिति का 26वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि राजस्व विभाग के आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है।

कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष: अब श्रीमती आशा कुमारी, कार्य-सलाहकार समिति के 12वें प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत करेगी और प्रस्ताव भी करेंगी कि इसे अंगीकार किया जाए।

श्रीमती आशा कुमारी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सलाहकार समिति के 12वें प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत करती हूँ और प्रस्ताव भी करती हूँ कि इसे अंगीकार किया जाए।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

24.08.2016/1255/SLS-DC-1

अध्यक्ष: तो प्रश्न यह है कि यह माननीय सदन कार्य सलाहकार समिति द्वारा अपने 12वें प्रतिवेदन में की गई सिफ़ारिशों से सहमत है?

(प्रस्ताव स्वीकार)

24.08.2016/1255/SLS-DC-2

नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

अब श्री सुरेश भारद्वाज जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय शहरी विकास मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री सुरेश भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम सारे समाचार-पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और नेशनल मीडिया में शिमला को शर्मसार होते हुए देख और सुन रहे हैं। किसी समय दिल्ली में एक घटना घटी थी जिसमें वहां दो बच्चों को इस प्रकार से मार दिया गया था। उसमें रंगा और बिल्ला नाम के दो व्यक्ति पकड़े गए थे जिन्हें सज़ा हुई थी। कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में वक्तव्य दिया है कि युग नामक बच्चा राम बाजार से 14 जून, 2014 को गायब हो गया था। उसकी एफ. आई. आर. हुई और मामला पुलिस के पास गया। फिर मामला सी.आई.डी. को सौंपा गया। बीच में बच्चे का पिता हाई कोर्ट गया और उसके बाद तेजी से जांच हुई। अब लगभग 2 साल 2 महीने और 28 दिनों के बाद उस बच्चे का कंकाल नगर निगम शिमला के एक ऐसे टैंक से प्राप्त हुआ है जिसका पानी हमारे माननीय सदस्य अनिरुद्ध सिंह जी को भी जाता है और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी जाता है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको वह पानी जाता है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के घर को भी जाता है।

श्री सुरेश भारद्वाज : हां, निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी के घर में भी जाता है क्योंकि इनका घर भी उधर ही है।

अध्यक्ष महोदय, असल में दो साल तक उस टैंक की सफाई नहीं हुई लेकिन कागज़ों में हुई है। आपको ध्यान होगा कि शिमला में पीलिया का प्रकोप बढ़ा था। सीवरेज अश्विनी खड्ड के पानी में मिल गया था जिसके कारण शिमला में पीलिया का प्रकोप बढ़ा। उसको लेकर नगर निगम के ब्यान अखबारों में छपते रहे और वहां से सबको आदेश आते थे कि

24.08.2016/1255/SLS-DC-3

आप अपने टैंक को साफ करें वरन् आपको जुर्माना कर दिया जाएगा। साथ में यह भी कहा जाता रहा कि जो नगर निगम के टैंक हैं, वह सारे हमने साफ कर दिए हैं। नगर निगम हाई कोर्ट में हुए केसिज में एफेडैविट देता रहा कि कितनी बार टैंक साफ हुए, कितनी बार क्लोरिनेशन हुई और कितनी बार उसमें दूसरी दवाइयां डाली गई हैं। यह सब बार-बार कहा जाता रहा। जिन लोगों ने अपने टैंक की सफाई नहीं की उनसे सफाई करने के 500 रुपये बसूल किए गए। लेकिन उसके बावजूद मालूम हुआ है कि उस टैंक की 29 जनवरी, 2016 को सफाई की गई थी। कंकाल वहां पड़ा हुआ था जो उनको मिला होगा। उसमें पत्थर भी पड़ा हुआ था जिससे बांधकर वह शव उस टैंक में डाला गया था। यह सब-कुछ वहां मिला लेकिन उस टैंक की सफाई कैसे हुई, इस बात का अंदाजा हम लगा सकते हैं। उस बच्चे को उन्होंने किस प्रकार से मारा होगा, कैसे बोरी में बंद करके, पत्थर बांधकर उसको जिंदा डाल दिया या मारकर डाला, इस बात की कल्पना करते हुए भी आम जनता के दिल में सिहरन पैदा हो जाती है।

जारी ..श्री गर्ग जी

24/08/2016/1300/RG/AG/1

श्री सुरेश भारद्वाज-----क्रमागत

ऐसी स्थिति में शिमला नगर में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है या बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न लग गया है कि यहां किस प्रकार का पानी शिमला शहर के निवासियों को मिल रहा है? शिमला शहर में सीवरेज मिला हुआ पानी लोग पी सकते हैं, लेकिन अब उसके टैंक्स के पानी में लार्शें भी पड़ी हों, तो यहां क्या होगा? उन लार्शों का पानी सारे शहर को मुहैया करवाया जा रहा हो, तो उस पानी को पीने से शिमला शहर की क्या हालत होगी आप इस बात का अन्दाज़ा लगा सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दो बातें हैं। कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल

उठता है और बहुत सारी चीजें तो पहले ही पता चल गई थीं। जो अभियुक्त पकड़े गए हैं वे इनवेस्टीगेशन के दौरान पुलिस के साथ ही घूमते रहे और फिर फिरौती के लिए एक बार नहीं, दो-दो या तीन-तीन बार उस बच्चे के पिता श्री विनोद कुमार के घर पर चिट्ठियां आती रहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे का पता नहीं चला। शिमला में बच्चा गायब हो जाए और उसका पता न चले, इनवेस्टीगेशन, पुलिस और सी.आई.डी. करे और उसका पता न चले। यह अजीब स्थिति है। जब पता चले, तो शिमला नगर निगम के टैंक के पानी में उसकी लाश मिले। नगर निगम ऐसा कहता रहे कि पानी के टैंक की हमने सफाई की है और बार-बार क्लोरीनेशन की है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां लाश नहीं मिलती है, तो यह बहुत हैरानी की बात है। हमारे माननीय शहरी विकास मंत्री जी को भी इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो लोग इनके साथ 'बी' टीम बनकर घूम रहे हैं जहां भी मुख्य मंत्री जी जाते हैं, तो सबसे पहले वे पहुंच जाते हैं और वे बड़े-बड़े नारे लगाते रहे हैं। सारी दुनिया की सरकार का ठेका उन्होंने ले रखा है और सारी दुनिया का ठेका उनके सिर पर है इसलिए वे यूरोपीयन यूनियन, स्वीडन और वाशिंगटन की आजकल सैर कर रहे हैं। मेयर एवं डिप्टी मेयर अपना काम न करके और जो नगर निगम को करना चाहिए वह न करके, वहां बैठे हैं। तो इस प्रकार की हालत शिमला शहर की कर दी है। वे जिस टैक्स का विरोध किया करते थे, आज वे आए दिन उन टैक्सेज को लगाते जा रहे हैं। कभी वे सीवरेज के ऊपर 'सेस' लगा देते हैं, कभी पानी के बिल जो ऐक्चुअल कंजप्शन होती है उसको छोड़कर उस पर फ्लैट रेट्स लगा देते हैं। इस प्रकार की घटनाएं शिमला शहर में हो रही हैं और जो नगर निगम का असली काम सफाई करने का है, शहर में पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का है वह

24/08/2016/1300/RG/AG/2

नहीं कर रहा है। क्योंकि शिमला तक सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग पानी की सप्लाई करता है और शिमला में पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का काम नगर निगम का है। ये दोनों ही अपने काम में फेल हुए हैं। सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग ने भी अपने काम में ध्यान नहीं दिया और नगर निगम ने भी पानी के टैंक्स की सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जिसके कारण इतनी बड़ी घटना घटी है। अध्यक्ष महोदय, आज पूरे-के-पूरे हिन्दी और अंग्रेजी के समाचार-पत्र भी युग की इस दुःखद मृत्यु के समाचार से भरे हुए

हैं और पानी के टैंक में किस प्रकार से यह लाश पाई गई, इन समाचारों से भरे हुए हैं। किस प्रकार से उस बच्चे को मारा होगा? पड़ोसी ही उसको मारने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस मामले में पुलिस की व्यवस्था की ओर भी ध्यान देने की बात है। क्योंकि किस प्रकार से यह इनवेस्टीगेशन हुई? शिमला जैसे शहर में दो साल तक वह बच्चा नहीं मिल पाता है। जबकि उसकी लाश वहीं पर है और उसके हत्यारे पुलिस के साथ घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, वे किसी चोरी के केस में पकड़े भी गए थे और गिरफ्तार रहे, लेकिन उनको उस समय जमानत मिल गई। अगर उसी समय उनके नारको टेस्ट हो जाते, तो आज इस केस में इतनी देर नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में नगर निगम और सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए बल्कि माननीय मंत्री जी, मेरा तो यहां तक कहना है कि आप नगर निगम को इसी बात को लेकर बर्खास्त करें। इतना बड़ा क्राईम शिमला शहर में हुआ है जिसके कारण इनको यहां बने रहने का कोई हक नहीं है। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी पुलिस व्यवस्था को भी ठीक करें। दो साल से सी.आई.डी. इस केस में इनवेस्टीगेशन कर रही है। अन्ततः हत्यारे पकड़े गए। इसलिए उसके घर के लोग संतुष्ट भी हैं कि चलो हत्यारे पकड़े गए। कम-से-कम पता चल गया कि किसने पकड़ा है? ये उसके घर वालों के साथ घूमने वाले और पड़ोस में रहने वाले लोग थे। तीन-तीन बार इस बच्चे के घर वालों से फिरौतियां मांगी जा रही थीं, इसका मतलब है कि उसके बारे में कहीं-न-कहीं clue शिमला में ही था, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं चला। इसलिए इसमें कानून-व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगता है और इसी प्रकार से सवालिया निशान नगर निगम पर भी लगता है। इन सारी बातों को देखना चाहिए और इसमें नगर निगम के खिलाफ पुरजोर कार्रवाई करनी चाहिए।

एम.एस. द्वारा जारी

24/08/2016/1305/MS/ag/1

श्री सुरेश भारद्वाज जारी-----

अगर सुपर सेशन की आवश्यकता है तो वह कीजिए। अगर ओवरहॉलिंग की आवश्यकता है तो वह कीजिए। अगर इसमें किसी के खिलाफ एक्शन लेना है तो वह

लीजिए, तभी जाकर शिमला की जनता संतुष्ट होगी। यह घटना शिमला में ही नहीं अपितु पूरे देश के मीडिया में आग की तरह फैल गई है। जो रंगा और बिल्ला की घटना कभी मैट्रोपोलिटन सिटी दिल्ली में होती थी, वह घटना शिमला जैसे एक शांतिपूर्ण प्रदेश के इस जिले में घटित हुई है जहां पर सारी दुनिया से पर्यटक घूमने आते हैं। इसके कारण शिमला का पर्यटन व्यवसाय खराब हो जाएगा यानी इस घटना की वजह से शिमला में पर्यटक आने बन्द हो जाएंगे क्योंकि लोग देखेंगे कि शिमला में कानून-व्यवस्था की ऐसी बुरी स्थिति है और साथ में पानी की भी ऐसी बुरी स्थिति है। इसको ध्यान में रखते हुए इस पर जो भी आपको कार्रवाई करनी पड़ती है वह तुरन्त करें, तभी लोगों को संतुष्टि होगी। दूसरा, इसमें मेरा सबसे बड़ा निवेदन यह है कि पुलिस की चार्जशीट प्रौपर बने। इस केस की इन्वेस्टिगेशन हुई है और आगे की इन्वेस्टिगेशन तुरन्त पूरी हो। इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में रखा जाए और इसमें पूरी तरह से प्रोसीक्यूशन अपना काम करे और जो कल्प्रिट हैं उनको सख्त-से-सख्त सजा जो इण्डियन पीनल कोड के प्रोविजन्ज में है, वह मिलनी चाहिए। इस बात की दरखास्त मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से और प्रदेश सरकार से करूंगा। अब मैं अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ता हूं। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से "नगर निगम शिमला के टैंक में दो साल पड़े रहे शव के कारण शहर के वी0आई0पी0 इलाकों में दूषित पेयजल की आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति की ओर शहरी विकास मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।" धन्यवाद।

अध्यक्ष: इस पर क्या अनिरुद्ध सिंह जी कुछ बोलना चाहेंगे?

24/08/2016/1305/MS/ag/2

श्री अनिरुद्ध सिंह: अध्यक्ष जी, नियम 62 के तहत आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। साथ ही इससे उत्पन्न स्थिति की ओर शहरी विकास मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो कहा गया है, उस बारे में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसमें मुख्य मंत्री जी का संरक्षण चाहिए और मुख्य मंत्री जी इसमें इंटरवीन करके स्वयं इसका जवाब दें।

सबसे पहली बात तो यह है कि मृतक युग गुप्ता, उम्र चार वर्ष जोकि जून, 2014 को किडनैप हुआ था उसका दो साल तक कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि कल्पिट्स पहले पकड़े भी गए और न्यू शिमला में मोबाइल चोरी के केस में एप्रिहेंड भी हुए परन्तु उसके बाद लोकल पुलिस किसी कारणवश से उनको इस केस में चार्जशीट नहीं कर पाई। फिर केस सी0आई0डी0 के पास गया। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो सी0आई0डी0 के अधिकारी इस केस की जांच कर रहे थे उनको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई-न-कोई रिवार्ड जरूर मिलना चाहिए क्योंकि यह केस अनट्रेस जा रहा था और इसमें इन्होंने कामयाबी पाई है। कल मुख्य मंत्री जी ने यहां जवाब दिया कि टैंक के बाहर एक तालाब या बावड़ी है जिसमें युग की बॉडी के पार्ट्स मिले हैं। मैं मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ क्योंकि मुख्य मंत्री जी हमारे से ज्यादा न केवल शिमला बल्कि प्रदेश के गांव-गांव और गली-गली को पहचानते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि उसके आसपास न तो कोई बावड़ी है और न ही कोई तालाब है क्योंकि ऐतिहासिक काल में ब्रिटिश शासन के समय में वहां पर एक बर्फखाना था जहां पर बर्फ स्टोर की जाती थी। जैसे जाखू के एरिया में अभी भी एक ऐसी जगह है और इसके अलावा स्नो व्यु और कुफरी में भी ऐसी जगहें थीं। तो यह जगह हरविंटन करके थी और यहां पर बर्फ जमाने का कारखाना था। यहीं पर ही उसके बाद टैंक बनाया गया। सबसे पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि डी0जी0पी0 महोदय यहां पर मौजूद हैं। मेरी कल भी इनसे बात हुई कि पहले तो आप यह स्पष्ट करें कि क्या कोई मानव शरीर के पार्ट्स या अवशेष टैंक के अंदर मिले हैं या नहीं? यानी सबसे पहली स्थिति तो यह है कि क्या टैंक के अंदर कोई ह्यूमन पार्ट्स मिले हैं या नहीं, यह स्पष्ट करना यहां बहुत जरूरी है क्योंकि तभी

24/08/2016/1305/MS/ag/3

हम कारपोरेशन को कुछ बोल सकते हैं। तो पहली स्थिति यह है। क्योंकि जिस दिन परसों 3.00 बजे के करीब यह सर्च ऑपरेशन चल रहा था तो वहां पर उस एरिया की सारी पब्लिक थी क्योंकि वहीं से माननीय मंत्री जी के आवास और पूरे कुफ्टाधार, भराड़ी, दूधली, रगैन तथा कलैस्टन तक पानी जाता है।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

24.08.2016/1310/जेके/एजी/1

श्री अनिरुद्ध सिंह:-----जारी---

केल्टी को वहां से पानी जाता है, जज़िज के घरों को वहां से पानी जाता है और डी0सी0 साहब के घर को वहां से पानी जाता है। अब लोगों की वहां पर ऐसी स्थिति है जब इसकी खबर आई, क्योंकि दो साल के दौरान मुझे पता चला कि दो बार टैंक की सफाई म्युनिसिपल कार्पोरेशन द्वारा की गई। ऐसा नहीं है यह केस बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार तो मैं वहां से जा रहा था जब उसके ऊपर से झाड़ू मार रहे थे। वहां पर अधिकारी भी थे और टैंक साफ करने वाले कर्मचारी भी थे। मैंने उनको वहां पर खड़े हो करके बोला कि यह झाड़ू आप बाहर से मार रहे हैं या अन्दर से भी मार रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि सर, हम इसे साफ कर रहे हैं। परन्तु कल, परसों जब पुलिस ने, सी0आई0डी0 की टीम के पूछताछ के दौरान मुज़रिम ने बोला कि टैंक के अन्दर हमने लाश डाली है। वहां पर पुलिस आई उन्होंने पूरा पानी लगभग सात लाख गैलन पानी उसमें से ड्रेन आऊट किया वह पानी नीचे भराड़ी वाले रोड़ तक गया है। ऐसा नहीं है कि वह एकदम से ड्रेन आऊट हुआ है उसमें भी समय लगता है और वह अन्दर से बरामद करा है, चाहे पत्थर है, चाहे रस्सी है और चाहे अवशेष हैं उनको अन्दर से बरामद किए हैं। ऐसा नहीं है वहां पर कॉर्पोरेशन के कर्मचारी भी थे। सवाल यह नहीं है कि पानी की रिपोर्ट साफ है या नहीं है, क्योंकि इतने बड़े टैंक में अगर कोई बड़ा जानवर, हाथी भी मार कर उसमें डाला जाए, क्योंकि वह चलता पानी है, खड़ा पानी नहीं है, वह पानी चल रहा है और उसमें पानी कन्टैमिनेट नहीं होगा। प्रश्न यह नहीं है कि पानी साफ है या नहीं है। प्रश्न यह है कि अगर सफाई हुई है तो उसमें अवशेष कैसे मिले? कुछ अधिकारियों ने मुझे बताया कि जब हमने टैंक साफ किया था उसमें हमें कुछ हड्डियां मिली थी। हमने सोचा

कि जो बड़े-बड़े रिज़रवायर्ज होते हैं ये पॉलिटिसाईज करने का मुद्दा नहीं है, आज बच्चे पूछ रहे हैं, मेरी बेटी छोटी है उसने पूछा कि पापा यह सोच कर भी मुझे उल्टियां आ रही हैं। आज वहां पर बिसलरी की बोटलें लोग मंगवा रहे हैं यह सोच कर ही मंगवा रहे हैं कि पिछले दो साल हमने इस

24.08.2016/1310/जेके/एजी/2

तरह का पानी पिया है। मैं साथ में यह भी बोलना चाहूंगा कि सफाई तो हुई है ऐसा नहीं है परन्तु जो टैंक का आऊटलैट है वह जमीन से जो उसका बेस है, वह दो फुट ऊपर है। दो से ढाई फुट ऊपर मिट्टी सैटल होने के लिए जैसे कि हमारे घर के टैंकों की होती है। हादसे हो जाते हैं। उसमें जानवर, बन्दर, चूहे और कुत्ते आदि बड़े-बड़े जानवर भी रिज़रवायर्ज में हादसे के रूप में मर जाते हैं, परन्तु जब सफाई की गई तो कुछ अवशेष उस समय उन कर्मचारियों ने बाहर भी फेंके हैं यह न जानते हुए कि यह अवशेष जानवर का है या किसका है उनको कोई ऐसी जानकारी तो नहीं होती है कि यह हड्डी किसकी होती है परन्तु अगर दोबारा उसके बाद जो ढाई फुट का गेप उसके नीचे है उसकी सफाई यानि उससे मिट्टी नहीं निकाली गई। कल भी जो पानी ड्रेन आऊट किया गया है उसके बाद भी मैं यहां पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय बोलना चाहूंगा कि उसके बाद भी पानी भर दिया गया। उसके बाद उसको दोबारा से साफ करना चाहिए था। वहां से मिट्टी निकालनी चाहिए थी। उसमें क्लोरीन डालनी चाहिए थी। उसमें से मिट्टी निकाल करके और बेस से झाड़ू मार करके फिर दोबारा से उसको भरना चाहिए था। डी0जी0पी0 महोदय अभी इसका माननीय मुख्य मंत्री जी ज़वाब देंगे कि अन्दर से कुछ चीज मिली या नहीं मिली। अगर मिली है तो क्यों ग्राऊंड इन्फोर्मेशन जो ऑफिसर्ज द्वारा दी गई और इस बारे में कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब से भी बात हुई है। ... (व्यवधान) ... मैं अपनी बात कर रहा हूं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। क्या मैं अपनी बात कर लूं? मैं अपनी बात कर रहा हूं आप कृपया चुप रहें। मुझे पता है कि क्या बोलना है? अध्यक्ष महोदय, मैं यह बोलना चाह रहा था कि इसमें इमिजिएट एक्शन ... (व्यवधान) ...

यह बच्चे की ही बात है। कानून-व्यवस्था ने अपना काम किया है और लोग अरैस्ट भी हैं। आज कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई। आप लोग मेरी बात सुन लीजिए। कमिश्नर साहब लगातार यह बोल रहे हैं कि हमारा पानी साफ है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

24.08.2016/1315/SS-AS/1

श्री अनिरुद्ध सिंह क्रमागत:

हमने खुद एस0डी0ओ0 से लिखकर ले लिया है कि पानी साफ है। मैं यह चाहता हूँ कि immediate action should be taken. मेयर, डिप्टी मेयर फॉरेन घूम रहे हैं जबकि उनको यहां होना चाहिए। तुरन्त ऐक्शन लें और अगर अवशेष जो हैं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है अगर म्युनिसिपल कारपोरेशन एफिडेविट के रूप में दे कि अन्दर कुछ नहीं मिला है, अगर कुछ नहीं मिला है तो वह कोर्ट में एफिडेविट सबमिट करवाये। पुलिस अपनी रिपोर्ट खुद देगी। इसका इफैक्ट जो कल्परिट हैं उनको सज़ा देने में भी पड़ेगा, अगर एफिडेविट देती हैं। अगर अंदर कुछ मिला है तो under Section IPC, Negligence, Breach of Trust, फ्रॉड बिल जो साफ करने के दिये गये हैं, Danger to People's Life, जान-बूझकर लोगों को हर्ट किया है, Hurting of Religious Sentiments, Food Act, यह एफ0आई0आर0 या तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एम0सी0 के खिलाफ करवाए या मैं खुद एफ0आई0आर0 फाइल करवाऊंगा अगर अभी जवाब होता है। माननीय मुख्य मंत्री दोबारा से टैंक साफ करवाने के आदेश करें। म्युनिसिपल कारपोरेशन ढंग से नहीं चल रही है इसको इमीडियेटली डिजॉल्व किया जाए। साथ में जो कल्परिट पकड़े गये हैं सरकार इंटरवीन करे और जो सरकारी वकील हैं उनके माध्यम से दोषियों को फांसी की सज़ा देने की अपील करें। --(व्यवधान)--
Pandit ji, I also know what to speak.

अध्यक्ष: अनिरुद्ध जी, आप संक्षेप में बोलिये।

श्री अनिरुद्ध सिंह: तुरन्त माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर संज्ञान लें और अगर अंदर कुछ मिला है तो यह पुलिस जवाब दे। यह कारपोरेशन जवाब न दे कि अंदर कुछ मिला

है या नहीं क्योंकि जांच एजेंसी सी0आई0डी0 है, म्युनिसिपल कारपोरेशन जांच एजेंसी नहीं है। हम पुलिस/सी0आई0डी0 से जानना चाहते हैं कि अवशेष अंदर मिले हैं या नहीं मिले हैं। अगर मिले हैं तो आज ही एम0सी0 के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज हो और दोषी अधिकारियों को तुरन्त सस्पेंड किया जाए। धन्यवाद, जयहिन्द।

24.08.2016/1315/SS-AS/2

अध्यक्ष: अब माननीय शहरी विकास मंत्री इस चर्चा का उत्तर देंगे।

शहरी विकास मंत्री: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शिमला से जो चार वर्ष का मासूम बच्चा युग लापता था, 22 तारीख को उसके अवशेष भराड़ी में जो पानी का टैंक है उसके बाहर पाए गए। यह अमानवीय घटना है। इसके ऊपर कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी सदन के अंदर अपना वक्तव्य दिया था। जहां तक इस घटना का सवाल है पुलिस के द्वारा जो छानबीन की गई है, ये 22 तारीख को जब पुलिस दल के साथ एम0सी0 के अधिकारी वहां पहुंचे तो उसके बाहर टैंक के साथ ही ये अवशेष पाये गये। लेकिन दोबारा जब उसकी छानबीन की गई तो जिस तरह से माननीय सदस्य, श्री अनिरुद्ध सिंह जी ने कहा कि अंदर एक कंकरीट का ब्लॉक पाया गया, उसके नीचे से भी कुछ सफेद चीज़ मिली है जिसको पुलिस के द्वारा फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इस मामले में कल जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया था तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति इसमें दोषी होंगे, चाहे वे एम0सी0 के अधिकारी हैं या अन्य लोग, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कानून के अन्तर्गत जो भी कड़ी-से-कड़ी कार्रवाई हो सकती है वह की जायेगी। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि विभाग ने एम0सी0 को यह निर्देश दिये हैं कि शिमला के जितने भी ऐसे पीने के पानी के टैंक हैं उनकी वारफुटिंग पर जल्दी-से-जल्दी फेंसिंग करें क्योंकि यह भी सूचना प्राप्त हुई कि

जारी श्रीमती के0एस0

24.08.2016/1320/केएस/डीसी/1

शहरी विकास मंत्री जारी----

उनकी प्रॉपर फैसिंग नहीं हुई है। आज यह शिमला में एक टैंक के अंदर हुआ है लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश में पीने के पानी की सप्लाई के टैंक बहुत जगह पर हैं और आज जिस तरह से आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही है, अगर हमने इन चीजों को समय रहते दुरुस्त नहीं किया तो कोई भी व्यक्ति आकर कुछ भी कर सकता है। हर जगह फिज़िकल मोनिटरिंग पॉसिबल नहीं हो सकती। एक इंडिविजुअल क्या सोच करके क्राईम को अन्जाम देने वाला है यह वही सोच सकता है लेकिन यह बहुत ही जघन्य अपराध किया गया है। एक छोटे बच्चे को बांध कर पानी के टैंक के अंदर डाल दिया गया, जिसके बारे में फोरेंसिक जांच से पता चलेगा। यह भी सत्य है कि सी.आई.डी. के लोग जो इस सम्बन्ध में जांच कर रहे थे, इस दौरान जांच के अंदर अपनी कार्यवाही करते हुए उसी स्थल पर अधिकारियों को लेकर पहुंच गए थे जहां पर कि इस घटना को अन्जाम दिया गया था लेकिन इसकी सफाई कब-कब की गई, वह कागज़ों में ही हुई या मौके पर भी हुई है, यह भी एक जांच का विषय है। जो मैं यहां पर पढ़ रहा हूं यह जवाब भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ही आया है। विभाग इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। हम निर्देश देंगे कि इस बारे में जांच हो कि मौके पर सफाई होती है या नहीं होती है। जैसे अभी कहा गया कि पहले भी पीलिया जैसी घटनाएं यहां पर हो चुकी है और अब इस प्रकार की घटना यहां पर हो गई। यह किसकी लापरवाही है, एम.सी. के अधिकारियों की लापरवाही है या जो लोग उसको चला रहे हैं, उनकी लापरवाही है, इस बात की भी जांच की जाएगी। आपने मांग की है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बर्खास्त किया जाए तो उसके ऊपर भी सरकार विचार करेगी।

24.08.2016/1320/केएस/डीसी/2

श्री सुरेश भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया। मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि जो यह युग नामक बालक की हत्या हुई, जो लोग इस सम्बन्ध में पकड़े गए क्या वे बीच में किसी और केस में भी इन्वॉल्व थे और उनकी जमानत हो गई थी? क्या उनका कुछ बहुत बड़े-बड़े लोगों से, पार्टिकुलरली गोल्फ़र्ज़ के साथ भी कोई

सम्बन्ध है जिसके कारण उनको इतनी लम्बी छूट मिलती रही? सी.आई.डी. ने केस पकड़ा बहुत अच्छी बात है लेकिन इतने लम्बे समय तक शिमला शहर से एक चार वर्ष का बालक गायब हो गया। एक तो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे बड़े सम्बन्धों के कारण इसमें इतना डिले हुआ? दूसरे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, अगर टैंक में लाश पाई जाती है तो हर वार्ड में लगभग 18 से 20 तक इस प्रकार के बड़े-बड़े टैंक हैं और अगर कोई ऐसी अनहोनी घटना हो, उनमें कोई कुछ मिला दें तो पूरे शहर को क्षति पहुंची सकती है। क्या उसके लिए सरकार और शहरी विकास विभाग तुरन्त कार्रवाई करके उनकी प्रॉपर फेंसिंग और रक्षा के लिए कोई माकूल कदम तुरन्त उठाएगी और नगर निगम के अधिकारियों को उन टैंकों की सुरक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश देगी और उनकी सुरक्षा की स्वयं भी सरकार गारंटी लेगी? तीसरे, युग के केस के लिए फास्टट्रैक कोर्ट का निवेदन हाई कोर्ट से या सरकार स्वयं कर सकती है तो वह करेगी या नहीं करेगी ताकि इस पर तुरन्त कार्रवाई हो?

अध्यक्ष: श्री अनिरुद्ध जी, कृपया संक्षेप में कहें कि आपको क्या क्लैरिफिकेशन चाहिए।

24.08.2016/1320/केएस/डीसी/3

श्री अनिरुद्ध सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो जवाब दिया वह इन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जवाब पढ़ा है। हम पुलिस विभाग का जवाब चाहते हैं क्योंकि यहां जो बात रिकॉर्ड हो रही है, कोर्ट भी उसका संज्ञान लेगा। ऐसा न हो कि उस बात से अपराधी फांसी की सजा या उम्र कैद से वंचित रह जाए। इसलिए पुलिस जवाब दें क्योंकि वहां प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, वह हमारे घर का ही रोड़ है,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

24.3.2016/1325/av/dc/1

श्री अनिरुद्ध सिंह----- जारी

वह हमारे घर का ही रोड है। पुलिस ने वहां से जो-जो चीजें निकाली वह सड़क पर रखी है, वहां पर चौक है। वहां जो ऑब्जेक्ट्स निकाली है, कंकाल निकाला है उसमें से इतनी सड़ी हुई बदबू आ रही है कि वहां से क्रॉस होना मुश्किल हो रहा है। क्या वह ऑब्जेक्ट पानी के अन्दर से निकाली गई है, इसको पुलिस स्पष्ट करेगी? सदन को कार्पोरेशन का जवाब नहीं चाहिए क्योंकि इसको न केवल प्रदेश बल्कि पूरा नेशनल मीडिया कवर कर रहा है। हम केवल यह जानना चाहते हैं कि अवशेष टैंक के अन्दर से मिले हैं या टैंक के बाहर मिले हैं? इसको पुलिस / सीआईडी क्लीयर करे और माननीय मुख्य मंत्री जी इसका जवाब दें।

मुख्य मंत्री : जब यह घटना घटी थी यानि जब यह बताया गया कि यह लड़का मीसिंग है तो उस वक्त से ही पुलिस ने इस बारे में इनवैस्टिगेशन की है। यह इनवैस्टिगेशन चलती रही और पुलिस की इनवैस्टिगेशन की वजह से ही आज यह हत्या का मामला उजागर हुआ है। इसमें भले ही समय लगा हो मगर अन्ततः जो केस था it has been solved and culprits have been arrested. We will make sure that they get the most stringent punishment by the Law.

अध्यक्ष : अब इस मान्य सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 2.30 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

श्री टीसी द्वारा जारी

24/08/2016/1435/TCV/AG/1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरान्त 14.35 बजे अपराह्न पुनः
आरम्भ हुई)

सांविधिक ईकाई हेतु मनोनयन:

अध्यक्ष: अब माननीय मुख्य मंत्री, निजी विश्वविद्यालय के शासकीय निकाय हेतु हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों के मनोनयन बारे प्रस्ताव करेंगे।

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ:-

"That in pursuance of the Section 18(f) of the Private Universities Act and Section 17(1) of the First Statutes of the Private Universities Act, two members of the State Legislative Assembly, are to be elected by the State Legislature for the term of two years in the Governing Body of 1. Arni University, (Kathgarh (Indora), 2. APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University (Shimla), 3. Baddi University of Emerging Sciences & Technologies, Baddi (Solan), 4. Bahra University, Wagnaghat (Solan), 5. Career Point University, Tikker Kharwarian (Hamirpur), 6. Chitkara University, Kallujhanda, Barotiwala (Solan), 7. Eternal University, Baru Sahib (Sirmour), 8. Indus International University, Bathu (Una), 9. ICFAI (Institute of Chartered Financial Analysts of India) University, Kallujhanda, Barotiwala (Solan), 10. IEC (Indian Education Centre) University, Kallujhanda, Barotiwala (Solan), 11. Maharishi Markandeshwar University,

24/08/2016/1435/TCV/AG/2

Kumarhatti (Solan), (I never knew that this was a separate

university.)12. Manav Bharti University, Laddo, Sultanpur (Solan), 13. Sri Sai University, Palampur (Kangra) & 14. Shoolini University of Biotechnology & Management Sciences, Bajhol (Solan) for a term of two years commencing from the date of publication of their being as Members of the Governing Body of the respective Private University subject to provisions of the first Statutes of the Private Universities."

श्रीमती नीना सूद द्वारा जारी ----

24/08/2016/1440/NS/AG/1

अध्यक्ष: तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

" That in pursuance of the Section 18(f) of the Private Universities Act and Section 17(1) of the First Statutes of the Private Universities Act, two members of the State Legislative Assembly, are to be elected by the State Legislature for the term of two years in the Governing Body of 1. Arni University, (Kathgarh (Indora), 2. APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University (Shimla), 3. Baddi University of Emerging Sciences & Technologies, Baddi (Solan), 4. Bahra University, Wagnaghat (Solan), 5. Career Point University, Tikker Kharwarian (Hamirpur), 6. Chitkara University, Kallujhanda, Barotiwala (Solan), 7. Eternal University, Baru Sahib (Sirmour), 8. Indus International University, Bathu (Una),9. ICFAI (Institute of Chartered Financial Analysts of India) University, Kallujhanda, Barotiwala (Solan), 10. IEC (Indian Education Centre) University, Kallujhanda, Barotiwala (Solan),11. Maharishi Markandeshwar University, Kumarhatti (Solan), 12. Manav Bharti University, Laddo, Sultanpur (Solan), 13. Sri Sai University, Palampur (Kangra) & 14. Shoolini University of

Biotechnology & Management Sciences, Bajhol (Solan) for a term of two years commencing from the date of publication of their being as Members of the Governing Body of the respective Private University subject to provisions of the first Statutes of the Private Universities."

अध्यक्ष: तो प्रश्न यह है कि

"That in pursuance of the Section 18(f) of the Private Universities Act and Section 17(1) of the First Statutes of the Private Universities Act, two

24/08/2016/1440/NS/AG/2

members of the State Legislative Assembly, are to be elected by the State Legislature for the term of two years in the Governing Body of 1. Arni University, (Kathgarh (Indora), 2. APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University (Shimla), 3. Baddi University of Emerging Sciences & Technologies, Baddi (Solan), 4. Bahra University, Wagnaghat (Solan), 5. Career Point University, Tikker Kharwarian (Hamirpur), 6. Chitkara University, Kallujhanda, Barotiwala (Solan), 7. Eternal University, Baru Sahib (Sirmour), 8. Indus International University, Bathu (Una), 9. ICFAI (Institute of Chartered Financial Analysts of India) University, Kallujhanda, Barotiwala (Solan), 10. IEC (Indian Education Centre) University, Kallujhanda, Barotiwala (Solan), 11. Maharishi Markandeshwar University, Kumarhatti (Solan), 12. Manav Bharti University, Laddo, Sultanpur (Solan), 13. Sri Sai University, Palampur (Kangra) & 14. Shoolini University of Biotechnology & Management Sciences, Bajhol (Solan) for a term of two years commencing from the date of publication of their being as Members of the Governing Body of the respective Private University subject to provisions of the first Statutes of the Private Universities."

Continued by Sh. R.K.S. in Hindi

24/08/2016/1445/RKS/AS/1

(प्रस्ताव स्वीकार)

Chief Minister: We authorize the Speaker to make the nomination.

विधायी कार्य

सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

अध्यक्ष: अब माननीय शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन), विधेयक, 2016(2016 का विधेयक संख्याक 14) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

शहरी विकास मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन), विधेयक, 2016(2016 का विधेयक संख्याक 14) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन), विधेयक, 2016(2016 का विधेयक संख्याक 14) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष: तो प्रश्न यह है हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन), विधेयक, 2016(2016 का विधेयक संख्याक 14) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुमति दी गई।

अध्यक्ष: अब माननीय शहरी विकास मंत्री हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन), विधेयक, 2016(2016 का विधेयक संख्याक 14) को पुरःस्थापित करेंगे।

24/08/2016/1445/RKS/AS/2

शहरी विकास मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन), विधेयक, 2016(2016 का विधेयक संख्याक 14) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष: हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन), विधेयक, 2016(2016 का विधेयक संख्याक 14) पुरःस्थापित हुआ।

सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

अध्यक्ष: अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन(विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्याक 13) पर विचार किया जाए।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन(विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्याक 13) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन(विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्याक 13) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष: तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन(विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्याक

13) पर विचार किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

24/08/2016/1445/RKS/AS/3

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6 तक विधेयक का अंग बनें।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खंड नम्बर 2,3,4,5 और 6 विधेयक का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम ओर विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम ओर विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अध्यक्ष: अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन(विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्याक 13) को पारित किया जाए।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री: : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन(विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्याक 13) को पारित किया जाए।

श्री एस.एल.एस. द्वारा....जारी

24.08.2016/1450/SLS-AS-1

अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक-13)" को पारित किया जाए।"

तो प्रश्न यह है कि कि "हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक-13)" को पारित किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

"हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक-13)" पारित हुआ।

24.08.2016/1450/SLS-AS-2

नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव है। अब श्री महेन्द्र सिंह जी नियम-130 के अंतर्गत अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री महेन्द्र सिंह : आदरणीय अध्यक्ष जी, नियम-130 के अंतर्गत जिस प्रस्ताव पर आपने चर्चा करने की अनुमति दी है, सबसे पहले मैं आपकी अनुमति से उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूँ जो इस प्रकार है :-

"प्रदेश के वर्तमान हालात एवं कानून-व्यवस्था पर यह सदन विचार करे।"

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "प्रदेश के वर्तमान हालात एवं कानून-व्यवस्था पर यह सदन विचार करे।" अब आप इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा करें।

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल लगभग पूरा होने की ओर बढ़ रहा है। इस 4 साल के कार्यकाल के बीच में प्रदेश सरकार और सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों की कारगुजारी के ऊपर आज प्रदेश की 70 लाख जनता चिंतन कर रही है कि आज से 4 साल पहले जो वायदे कांग्रेस पार्टी के घोषणा-पत्र में कहे गए थे, उन वायदों को प्रदेश सरकार ने कहां तक पूरा किया है। चुनाव घोषणा-पत्र के अंदर प्रदेश सरकार द्वारा भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देने का वायदा किया गया था कि हम प्रदेश में भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इन 4 वर्षों के बीच में जो वायदा इन्होंने पहले किया था उसके खिलाफ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर इस प्रदेश के अंदर फैला है। जैसे खेत की खेती को जानवरों से बचाने के लिए बाड़ लगाई जाती है वैसे ही प्रदेश की जनता की रक्षा करने के लिए सरकार बनाई जाती है। लेकिन वह बाड़ ही खेती को खाना शुरू कर दे तो क्या होगा? जो सरकार प्रदेश के अंदर चुनी गई और बनाई गई, अगर वह सरकार ही भ्रष्टाचार की नई नींव रखना शुरू कर दे तो हम इस प्रदेश की जनता ऐसा महसूस कर रहे हैं कि व्यापक भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश के अंदर फैला हुआ है। गुण्डाराज भी इस प्रदेश के अंदर फैला हुआ है।

जारी ..गर्ग जी

24/08/2016/1455/RG/DC/1

श्री महेन्द्र सिंह-----क्रमागत

माननीय अध्यक्ष जी, इसकी जीती-जागती तस्वीर हमारे सामने है क्योंकि हमने आज तक नहीं सुना कि कोई व्यक्ति अपने घर से उठे और दूसरे के घर में लाठियों, डण्डों और पत्थरों से हमला कर दे। लेकिन 29 और 30 जनवरी, 2015 को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हमला किया जिसके कारण कड़ियों की आंखें चली गईं, कुछ के बाजू टूट गए और कड़ियों की अंगुलियां टूट गईं। यह पहली मर्तबा है जब हम ऐसा देख रहे हैं कि जो पार्टी सरकार में वायदा करती थी कि हम भ्रष्टाचार से मुक्त और एक अच्छा प्रशासन प्रदेश

में देंगे। इसके अतिरिक्त जिनके ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज होनी चाहिए थी उनके ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज न होकर, जिनके ऊपर डण्डे चलाए गए, जिनके ऊपर पत्थर फेंके गए और जिनके घर को नुकसान पहुंचाया गया, 'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे', पुलिस विभाग के अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो अपने कार्यालय के अंदर काम कर रहे थे, उनके खिलाफ ही केस दर्ज किए हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इससे आगे बढ़कर कहना चाहता हूँ कि रामपुर के अस्पताल में एक 76 वर्षीय राधू देवी अपने इलाज के लिए दाखिल हुई थी। समझ नहीं आता कि वह राधू देवी जी रात को 8.00 बजे वहां से किन परिस्थितियों में गायब हो गई? आज उसका बेटा, उसका परिवार और उसके रिश्तेदार दर-दर भटक रहे हैं और रामपुर के पूरे क्षेत्र में एक दहशत का माहौल है कि वह महिला कहां चली गई? उसका बेटा सरकार और पुलिस विभाग के आगे लगातार दरकार लगा रहा है कि हमारी माँ को यहां से कौन ले गया, अस्पताल से वह कहां चली गई?

आदरणीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश में चार वर्षों में यदि कोई सबसे बड़ा व्यापार हुआ है, वैसे व्यापार का काम आदरणीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को दिया गया है कि इस प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र बढ़े, बड़े-बड़े कल-कारखाने लगे, लेकिन इस प्रदेश में अब एक नया व्यापार शुरू हो गया है और जो नया व्यापार शुरू हुआ है, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ, वैसे तो सरकार की अनुमति से सब कुछ होता है कि पूरे प्रदेश में आज अगर हम देखें, तो लगभग कोई डेढ़ लाख ट्रांसफर्ज हुई हैं। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में जैसे ही प्रदेश में वर्ष 2012 में सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आते ही हमारे 400 कर्मचारियों के स्थानान्तरण कर दिए गए। उन 400 कर्मचारियों के

24/08/2016/1455/RG/DC/2

स्थानान्तरण एक राजनैतिक द्वेष की भावना से किए गए। लेकिन मैं इस प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय और देश के सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहता हूँ उन्होंने उस पर स्टे दिया। जो सड़क पर गेंती बेलचा चलाता है, उनकी ट्रांसफर्ज कर दीं। Sanjay Kumar Vs Himachal Pradesh Govt. के नाम से एक केस लगा। यह केस 400 ट्रांसफर्ज को लेकर चला और हाई कोर्ट ने 400 कर्मचारियों के ट्रांसफर्ज पर स्थगन आदेश दे दिया। हिमाचल प्रदेश की सरकार उन बेलदारों के खिलाफ सुप्रीम

कोर्ट में गई। अब आप अन्दाजा लगाएं कि प्रदेश सरकार की मानसिकता क्या है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी प्रदेश सरकार की फज़ीहत हुई। CWP 801 और 2013 यह title Sanjay Kumar Vs State of Himachal Pradesh. CWP No. 5351 और 2012 टाइटल Amir Chand Vs State of Himachal Pradesh. आदरणीय अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश में यह कैसा व्यापार शुरू हो गया?

एम.एस. द्वारा जारी

24/08/2016/1500/MS/AG/1

श्री महेन्द्र सिंह जारी-----

आदरणीय अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश के अंदर तबादलों का एक ऐसा व्यापार शुरू हो गया है कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता 30 हजार रुपये प्रति डी०ओ० नोट दिया करते थे। मैं आपकी अनुमति से विभिन्न अखबारों में जो दस्तावेज छपे हैं उनकी प्रतियां इस सदन में ले (lay)करने जा रहा हूं। इसमें ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जिनसे पैसे लेकर तबादले किए गए हैं और उसमें भी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उन नेताओं में भी एन०एस०यू०आई० का एक नेता है जिसने डी०ओ० लैटर पैड चुराए थे और यह बात "अमर उजाला" अखबार में आई थी। जिस पार्टी का एक विंग एन०एस०यू०आई० कहलाता है अगर उस एन०एस०यू०आई० के लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्य मंत्री के कार्यालय से डी०ओ० नोट चुराए और फिर चुराए हुए डी०ओ० नोट्स के द्वारा तबादले करें तथा तबादले के बदले पैसा खाएं तो क्या हम समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक स्वच्छ प्रशासन है? इसके अलावा एक और खबर थी जिसमें लिखा है कि "हां, मैंने किए थे जाली हस्ताक्षर"। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह खबर "हिमाचल दस्तक" अखबार में लगी हुई है कि जब उस नेता को पकड़ा गया तो पकड़ने के उपरान्त वह कांग्रेस पार्टी का नेता कहने लगा कि हां, मैंने जाली हस्ताक्षर किए हैं। अध्यक्ष जी, हम सरकार से इस बारे में जानना चाहते हैं? उसके आगे दुबारा "दिव्य हिमाचल" लिखता है कि "डी०ओ० लैटर का सरगना गिरफ्तार।" मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है क्या उन

एन०एस०यू०आई० के नेता के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई हुई है? यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो इससे साफ झलकता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सरकार है जिसने भ्रष्टाचार उन्मूलन का अपने चुनाव घोषणा पत्र के अंदर वायदा किया था, वह सरकार उस घोषणा पत्र का पूर्ण रूप से उल्लंघन कर रही है। इस तरह आप पूरे प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैला रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में सीनियर प्राइवेट सैक्रेटरी के रूप में एक रिटायर्ड आई०ए०एस० बैठा हुआ है। वह आई०ए०एस० वह व्यक्ति जिसके

24/08/2016/1500/MS/AG/2

खिलाफ Shri M.L. Minhas, I.A.S., Member Secretary, Special Investigation Team on Black Money, Ministry of Finance, Government of India, North Block, New Delhi ने इन्वैस्टिगेशन की हुई है और उस आई०ए०एस० अधिकारी का पैसा हवाला में लगा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्य मंत्री जी का कार्यालय इतना संवेदनशील होता है जहां से पूरे प्रदेश को एक संदेश जाता है। उस कार्यालय के अंदर ऐसे-ऐसे अधिकारी बिठाए हों जिन अधिकारियों का पैसा हवाला में लगा हो तो अच्छी बात नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहूंगा कि 'An amount of 9 crore was received by him from Lafarge Cement Company to set up cement plant at Karsog'. 9 करोड़ रुपये तो कम्पनी ने ले लिए लेकिन करसोग का सीमेंट का प्लांट नहीं लगा। श्री मनसा राम जी सामने बैठे हैं और ये लगातार प्रदेश सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वह लफार्ज कम्पनी कहां चली गई? मनसा राम जी कम्पनी ने 9 करोड़ रुपये ले लिए हैं लेकिन आपका अलसिण्डी का वह प्लांट नहीं लगेगा। अगर आपका अलसिण्डी का प्लांट लगेगा तो वह तब लगेगा जब एक साल के उपरान्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी। उस वक्त अलसिण्डी का प्लांट अवश्य लगेगा।

अध्यक्ष जी, मैं इससे आगे बढ़ना चाहूंगा। 'An amount of Rs. 15 crores was received by him from Sh. S.K. Goel of Bajrang Power and Ispat Ltd., Raipur, Chhattisgarh and IAN Energy Ltd. for the allotment of the two

power projects namely Rupin in Shimla and Chanju in Chamba'. अध्यक्ष जी, ऐसे-ऐसे अधिकारियों को अगर मुख्य मंत्री कार्यालय की सारी कमाण्ड सौंप दी जाए तो मैं समझता हूँ कि वह भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हिमाचल प्रदेश के अंदर कहां चला गया है? इसके अलावा अगर मैं इस सारे पृष्ठ को पढ़ूं तो आप देखेंगे कि लगभग 100 करोड़ रुपये लेकर एक आई0ए0एस0 अधिकारी आज भी माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में तैनात है और उसकी बैंक की डिटेल्स अगर मैं पढ़ना शुरू करूं तो it will take time.

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

24.08.2016/1505/जेके/एजी/1

श्री महेन्द्र सिंह:-----जारी-----

माननीय अध्यक्ष जी the detail of bank accounts, Himachal Pradesh State Cooperative Bank इस एक ही बैंक में पांच खाते। एच0डी0एफ0सी0 शिमला में एक खाता, इंडियन ओवरसीज़ में एक खाता, आई0सी0आई0सी0 शिमला में एक खाता, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में खाता। 15 बैंकों में जिस अधिकारी के खाते हों आप अंदाजा लगाएं कि उस अधिकारी ने कितनी सम्पत्ति, कितना धन हिमाचल प्रदेश की जनता का, हिमाचल प्रदेश के विकास में लगाना था उस विकास के पैसे को उसने अपनी जेब में डाला हुआ है। मेरा प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप है कि ऐसे अधिकारियों को माननीय मुख्य मंत्री जी अपने कार्यालय में न रखें। आज एक संशोधित बिल टी0सी0पी0 का आ रहा है, लेकिन मैं प्रदेश सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ वर्ष 2013 से लेकर 2016 के बीच में हिमाचल प्रदेश के अन्दर अगर किसी को कोई रिलैक्सेशन दी गई है तो केवलमात्र वह किसको दी गई है जैक्सन कम्पनी द्वारा निर्मित की जा रही जाखू रोप वे के लिए किए गए अवैध निर्माण की स्वीकृति सरकार के स्तर पर प्रदान की गई है। माननीय शहरी विकास मंत्री जी यहां पर नहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी हम एक बात जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा करिश्मा था कि जाखू रोप वे वाले ने, अगर आप जाखू के उस क्षेत्र में जाएं उस क्षेत्र में जा करके देखें

कितने हरे पेड़ों की वहां पर बली दी गई है? कितने हरे पेड़ों को वहां पर सूखा दिया गया है ? किस प्रकार से वहां पर एक पहाड़ से एक बॉडी लगा दी गई है और जाखू रोप वे का जो ट्रायल हुआ उस ट्रायल में भी जो उसके पम्प बने हुए थे वे बीच में गिरे हुए हैं। हमारा आरोप है कि इसमें भी गोल-माल हुआ है।

माननीय अध्यक्ष जी, इसके अलावा मेरा आपसे एक और निवेदन रहेगा कि यहां पर आई0पी0एच0 विभाग की सम्माननीय मंत्री जी बैठी हुई हैं। मैं माननीय मंत्री जी आपसे एक बात पूछना चाहती हूं कि क्या आप बताएंगी कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर आपने इसी सदन के बीच में एक उत्तर दिया है कि जैसे ही हिमाचल प्रदेश में

24.08.2016/1505/जेके/एजी/2

और विशेष करके शिमला जो कि हमारे प्रदेश की राजधानी है यहां पर पीलिया फैला और पीलिया फैलने के दौरान शिमला शहर के टैंकों को, हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के टैंकों को साफ करने के लिए आपने 15 करोड़ 95 लाख रूपये उस पर खर्च किया। क्या आपने 15 करोड़ 95 लाख रूपये खर्च किए। उस पैसे को खर्च करने के बाद आज भी नर कंकाल उन टैंकों से निकल रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि यह तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। जहां पूरे प्रदेश का नेतृत्व बैठता है। आप ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में जा करके देखें कि वहां पर आई0पी0एच0 विभाग की क्या हालत है। आई0पी0एच0 की हालत पूरे प्रदेश में विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी हालत है कि वहां पर एक-एक महीने से पानी नहीं आ रहा है। आज वहां पर ऐसी हालत है कि जो वहां पर स्कीमें बन रही है उन स्कीमों में करोड़ों रूपए की हेराफेरी हो रही है। हमने महामहिम् राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन के माध्यम से हमने उनसे मांग की है। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अन्दर दो स्कीमें हैं, उन दोनों स्कीमों के ऊपर हमने एक स्कीम पर भारत सरकार से 41 करोड़ रूपया लाया था। दूसरी स्कीम माननीय कर्नल इन्द्र सिंह के क्षेत्र में पड़ती है। हमने आज तक नहीं सुना कि इतनी बड़ी-बड़ी स्कीमों की राइजिंग मेन लाईन खड्ड के बीचों बीच जाती है। माननीय मंत्री जी अपने विभाग की तरफ और अपने विभाग की कारगुजारियों की तरफ विशेष ध्यान दें, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। वहां पर सात करोड़ रूपए की पाईपें

डैमेज़ हो गई हैं। अब इन्वैस्टिगेशन हो रही है। मुझे भी पता है कि इन्वैस्टिगेशन किस स्तर तक पहुंची हुई है। लेकिन मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि उस इन्वैस्टिगेशन को आप अपने विभाग के द्वारा आप उसके लिए कोई स्पेशल इन्वैस्टिगेशन टीम बनाएं और स्पेशल इन्वैस्टिगेशन टीम बना करके उसकी पूरी छानबीन करवाएं। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए। आज आईपीओएच0 विभाग के अन्दर ऐसा लगता है कि जितने भी काम इस विभाग के अन्दर हो रहे हैं, उनमें भी एक नई प्रथा शुरू कर दी है कि जितनी भी उठाऊ पेयजल योजना हिमाचल प्रदेश के अन्दर है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

24.08.2016/1510/SS-AG/1

श्री महेन्द्र सिंह क्रमागत:

आपने उन परियोजनाओं को चलाने का ठेका प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। जो करोड़ों रुपये की स्कीमें लगी हुई हैं, जिन स्कीमों पर करोड़ों रुपये के पम्प लगे हुए हैं, मैंने एक प्रश्न किया था, प्रश्न संख्या 2483 रणधीर शर्मा जी का प्रश्न लगा था, उसमें लगा हुआ था कि इन स्कीमों को चलाने के लिए कितना पैसा लगा। जब मैंने सारा कैलकुलेट किया तो 37 करोड़ रुपया आप एक वर्ष का उन स्कीमों को चलाने का दे रहे हैं। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अंदर 24 स्कीमें ऐसी हैं जो आपने ठेके पर दी हुई हैं और जो ठेकेदार हैं वे मनमर्जी से पानी उठाते हैं। जब उनकी इच्छा हुई तो पानी उठा दिया। यह पम्प ऑपरेटर रखा हुआ है। एक बीच में लाइनमैन रखा हुआ है। उसके बाद बीच में कोई भी काम करने वाला नहीं है। आप इस प्रदेश के अंदर ठेकेदारी प्रथा को मजबूत करना चाहते हैं। प्रदेश की जो जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है उनको उचित और साफ पानी मुहैया नहीं हो रहा है। हमारा आपके ऊपर आरोप है, मैं नहीं कहता कि आपकी मिलीभगत है लेकिन जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। आप इस मंत्रालय के मंत्री हैं। आपकी वजह से पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर आईपीओएच0 विभाग में बड़े दावे से कह सकता हूं कि बेड़ागर्क होने की तरफ बढ़ रहा है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना रहेगी कि

आप इस ठेकेदारी प्रथा को बंद करने की तरफ बढ़ें। आज आईपीएच विभाग के अंदर 7400 लोग डाइंग कार्डर में रखे हुए हैं। जो बेलदार रिटायर हो रहा है, पम्प ऑपरेटर रिटायर हो रहा है, कोई लाइनमैन रिटायर हो रहा है, कोई और रिटायर हो रहा है उन पोस्टों को आप डाइंग कार्डर में डाल रहे हैं। 7400 पोस्टें आपने डाइंग कार्डर में डाल दी हैं। आपका आईपीएच विभाग, आपका पीडब्ल्यूडी विभाग, प्रदेश के दूसरे जितने भी विभाग हैं अगर हम देखें तो उनमें हैवी टॉप एडमिनिस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश के अंदर है। लेकिन जहां नीचे से काम होना है, आपके पास सर्वेयर नहीं है। आपके पानी बांटने वाले लोग नहीं हैं। आप स्कीमों को ठेके पर दे रहे हैं। अरबों रुपये की स्कीमों में हिमाचल प्रदेश के अंदर लगी हुई हैं और वे ठेकेदार दो सालों में आपकी स्कीमों की ऐसी-तैसी करके फिर आपके हवाले कर देंगे। प्रदेश सरकार के हवाले कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन रहेगा कि आईपीएच विभाग के अंदर जो बड़े-बड़े ठेके हैं, कुछ स्कीमों के लिए नाबार्ड का पैसा आया हुआ है, कुछ स्कीमों के लिए भारत सरकार का पैसा आया हुआ है, मुझे एक बात को कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि

24.08.2016/1510/SS-AG/2

चंडीगढ़ के एक नेता का फोन आता है और जो सेंट्रल विजीलेंस कमीशन है, आप सेंट्रल विजीलेंस कमीशन की जो गाइडलाइन्ज़ हैं आप उसमें कहते हैं कि इस सीवीसी की गाइडलाइन्ज़ में आप उसको ज्वाइंट वेंचर मत मानो। सेंट्रल विजीलेंस कमीशन की गाइडलाइन्ज़ हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, आप उसको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? आपके कार्यालय से पत्र आया हुआ है और उस पत्र में साफ लिखा है कि सीवीसी की गाइडलाइन्ज़ में इस बात को ऐड कर दो कि ज्वाइंट वेंचर नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारे अपने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको ठेके नहीं मिल रहे हैं। किसको ठेके मिल रहे हैं? ठेके केवलमात्र दो कम्पनियों को मिल रहे हैं। एक कोई यूनिप्रो है जिसका ठेका हमीरपुर में भी है, जिसके ठेके सरकाघाट में भी हैं, जिसके ठेके माननीय मुख्य मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में भी हैं। बड़ी-बड़ी सारी स्कीमों उनके पास चली गई हैं।

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अंदर एक 50 करोड़ रुपये की लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, जिसके लिए जब माननीय धूमल साहब मुख्य मंत्री थे, इन्होंने उसका शिलान्यास किया

हुआ है। आज उस स्कीम की ऐसी-तैसी फेर दी है। 50 करोड़ रुपया बरबाद हो रहा है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा कि आप इन सारी बातों पर विशेष ध्यान दें। हमने हिमाचल प्रदेश के ठेकेदारों का हित रखना है। हमने ठेका नहीं लिया हुआ है कि हम हिमाचल प्रदेश से बाहर के ठेकेदारों को संरक्षण देते रहें। मेरी आपसे विनती रहेगी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय यहां पर नहीं हैं मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आप स्वास्थ्य विभाग में नये-नये काम करने जा रहे हैं, उन नये कामों में आप ऑक्सीजन गैस सिलिण्डर लेते हैं। एक माण्डव भारती मण्डी की फर्म है वह उसे देती रही है। जब वह मण्डी से सिलिण्डर देता था,

जारी श्रीमती के0एस0

24.08.2016/1515/केएस/एस/1

श्री महेन्द्र सिंह जारी----

बड़ी हैरानी की बात है कि जब मण्डी से गैस सिलिण्डर देता था तो रेट 205 रु0 था और उसी इंडस्ट्री को आपने आई.जी.एम.सी. में प्लांट लगाने की परमिशन दी। जब प्लांट लगाने के लिए परमिशन दे दी, उसके साथ ठेका हो गया उसके बाद आपका सिलिण्डर जो मण्डी में वही मानव भारती 205 रुपये में देती थी, अब उसने जो यहां पर एग्रीमेंट किया हुआ है, जिसकी कॉपी हमारे पास हैं, उसमें उसको आपने 255 रु0 कर दिया है। जब मण्डी में सिलिण्डर बनता था तो 205 रु0 में मिलता था और जब यहां पर बनना शुरू हुआ तो रेट 255 रु0 हो गया। माननीय मुख्य मंत्री जी हम आपके ध्यान में ला रहे हैं कि आपके चुनाव घोषणा पत्र में आपने माना है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हिमाचल में देंगे। हम माननीय मुख्य मंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि इसमें क्या गोलमाल है? मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से एक और बात जानना चाहता हूं कि सोलन जिला के अंदर जो एक प्राइवेट मैडिकल कॉलेज कुमारहट्टी के पास है, उस प्राइवेट मैडिकल कॉलेज में भी हमारी सूचना के मुताबिक बहुत गोलमाल हुआ है। चार

करोड़ का लेन-देन हुआ है। क्या आप बताएंगे कि किस बात का लेन-देन हुआ है?

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप इन चीजों के ऊपर ध्यान दें कि आपकी छत्रछाया में, आपके मंत्रिमण्डल के अंदर, आपके मंत्रियों का व्हाईट पेपर है। या तो आप व्हाईट पेपर जारी करें और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने तीन बार आपको चार्जशीट दी है। आज तक हमारी दी हुई चार्जशीटों के ऊपर आपने कोई अमल नहीं किया। हमारा आरोप है कि हमारे प्रदेश के अंदर स्टेट कोटा पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है। हरियाणा के अंदर तीन लाख रुपये है, पंजाब में कम है। आपने आई.आर.डी.पी., बी.पी.एल. परिवार को 30 हजार कर दिया है जबकि उनको तो इन चीजों से बाहर रखना चाहिए लेकिन आपने तो उनको भी नहीं बख्शा और मैनेजमेंट का कोटा नौ लाख प्लस पांच परसेंट डवैल्पमेंट चार्जिज़ उसमें रखे

24.08.2016/1515/केएस/एस/2

हुए हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, यहां पर स्वास्थ्य मंत्री महोदय नहीं बैठे हैं। मेरा आरोप है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जिन बच्चों ने एम.बी.बी.एस. करनी है, वे इस प्रकार से यहां पर कैसे एम.बी.बी.एस. कर पाएंगे? आपने भले ही हिमाचल प्रदेश का कोटा 50 प्रतिशत रखा है लेकिन एग्रिमेंट में आपने दोबारा कहा है कि हम एक कॉल करेंगे उसमें अगर कोई अलीजिबल नहीं आएगा तो हम दूसरी कॉल करेंगे उसके बाद हमें फ्रीडम है कि हम मैनेजमेंट कोटा से सारी सीटें भर सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी इस तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और जिस ऑक्सिजन गैस के बारे में मैंने कहा, हिमाचल प्रदेश के अंदर आपने आदेश किए हैं कि जितने भी टैंडर 10 लाख रु० से ऊपर के होंगे, वे सारे ई-टेंडरिंग होंगे। क्या वजह है कि हैल्थ डिपार्टमेंट में टैंडर ई-टेंडरिंग के माध्यम से नहीं हुआ? बिल्ट ऑपरेट एण्ड रिमूवल हमने आज तक नहीं सुना। हमने सुना था बिल्ट ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर। किसी फर्म के साथ एग्रिमेंट होता था कि बनाओ, चलाओ और फिर उसको हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए ट्रांसफर कर दो।

लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर एक नया ही फार्मुला शुरू हो गया है और वह है बिल्ट, ऑपरेट एण्ड रिमूव। जब आप जाएंगे तो अपने कारखाने को, अपने उस गैस प्लांट को भी यहां से ले कर चले जाएं। उसके लिए बिजली हिमाचल प्रदेश सरकार की लगेगी। पानी हिमाचल प्रदेश सरकार का लगेगा।

उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, वाइंड अप करिए। आपको बोलते हुए 27 मिनट हो गए हैं।

श्री महेन्द्र सिंह: सर, कोई बात नहीं। टाईम तो हमारा है। don't disturb.

उपाध्यक्ष: डिस्टर्ब नहीं है, कृपया आप वाइंड अप करिए।

श्री महेन्द्र सिंह: सर, मैं प्रस्तावक हूं।

उपाध्यक्ष: अभी और आठ माननीय सदस्यों ने भी बोलना है।

श्री महेन्द्र सिंह: सर, और भी बोलेंगे। हमारे पास समय है।

24.08.2016/1515/केएस/एस/3

उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं। अभी आठ सदस्यों ने इस पर बोलना है।

श्री महेन्द्र सिंह: नहीं, सर। don't disturb.

उपाध्यक्ष: आप अपने शब्द वापिस लें। don't disturb की बात नहीं है। मुझे नियम के हिसाब से चलना है। कृपया आप वाइंड अप करिए।

श्री महेन्द्र सिंह: उपाध्यक्ष जी, हम प्रस्ताव के मुताबिक चले हुए हैं।

उपाध्यक्ष: आपको बोलते हुए 28 मिनट हो गए हैं। आप बैठ जाइए।

श्री रिखी राम कौंडल: उपाध्यक्ष महोदय, इनको बोलने दें। हमारे बोलने वाले बाकी जितने स्पीकर्ज़ हैं, हम उनका समय कम कर देंगे।

उपाध्यक्ष: नहीं, कृपया अब वाइंड अप करें।

महेन्द्र सिंह जी, अ0व0 की बारी में--

24.3.2016/1520/av/dc/1

श्री महेन्द्र सिंह: यह सब कुछ कानून की वजह से हो रहा है। अगर कानून-व्यवस्था ठीक होती तो इस प्रकार के घोटाले न होते, भ्रष्टाचार न फैलता। यह सब कानून की कमजोरी की वजह से हो रहा है। (---व्यवधान---) जगजीवन पाल जी, यहां पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री बैठे हैं। मंत्री जी हर महीने, हर महीने नहीं; हर तीसरे दिन एक नई स्टेटमेंट लगा देते हैं कि अब सरसों के तेल का तीन महीने का कोटा इकट्ठा मिलेगा। सरसों का नहीं मिला तो कह दिया कि अब आपको रिफाईंड का तीन महीने का कोटा इकट्ठा मिलेगा। आपको चीनी का तीन महीने का कोटा इकट्ठा मिलेगा। अब आपको दालें तीन महीने की इकट्ठी मिलेगी। आप जो राजमाह ले रहे हैं वह पता नहीं किस देश के सड़े हुए राजमाह इस प्रदेश की जनता को खिला रहे हैं। इसके अलावा जो आप हिमाचल प्रदेश के डिपुओं के माध्यम से चीनी की सप्लाई दे रहे हैं वह चीनी सल्फर है। इस देश के अन्दर दूसरे राज्यों में शुगर मिल्लज लगी हुई हैं। आप उन शुगर मिल्लज से चीनी क्यों नहीं ले रहे हैं, आप ओपन मार्किट से चीनी क्यों ले रहे हैं? आप शुगर मिल्लज से चीनी इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वहां आपका सौदा ठीक नहीं बैठ रहा है। मेरा आपके ऊपर आरोप है कि हिमाचल प्रदेश के जो हमारे उपभोक्ता हैं वे हमेशा डिपुओं में जाते हैं। वहां एक चीज मिलती है, चार चीजें नहीं मिलती। वे बेचारी महिलाएं कई मनरेगा के तहत काम करती हैं, कई अपने खेतों में काम करती हैं, कई अपने बागीचों में काम करती हैं। मैं आपको यहां बोलना नहीं चाहता कि वे महिलाएं आपको क्या-क्या शब्द बोलती हैं। इसलिए आपके पास अब सबकुछ इकट्ठा हो चुका है, अब आप इससे ज्यादा आगे न बढ़ें। (---व्यवधान---)

24.3.2016/1520/av/dc/2

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय महेन्द्र सिंह जी एक वरिष्ठ सदस्य हैं। अब आप बैठ जाइए। (---व्यवधान---) आप प्रैस को देखकर मत बोलिए। (---व्यवधान---) आप कृपा करके बैठ जाइए।

उपाध्यक्ष जी, माननीय महेन्द्र सिंह जी इस सदन में ऑनरेबल मैम्बर है। इनको अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच-समझकर करना चाहिए। इस सदन के अन्दर हर आदमी की मर्यादा, हर आदमी की ईज्जत और हर आदमी का सम्मान है। यह नहीं कि शब्दों के बाणों से कुछ भी कहते रहो। यहां प्रदेश में माननीय वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और यहां पर पूरी पारदर्शिता के साथ काम होता है। आप चार्जशीट करवाइए और उसको सी0बी0आई0, डी0बी0आई0, एम0बी0आई0; जिस मर्जी को दे देना। अगर भगवान ने आपको कभी समय दिया तो आप कर लेना। लेकिन आप हिमाचल की जनता को इस तरह से भ्रमित करने का प्रयास न करें। आप मेरा मुंह न खुलवाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, महेन्द्र सिंह जी, कृपया समाप्त कीजिए। केवल एक मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री महेन्द्र सिंह : बाली जी के पास ऐसे-ऐसे विभाग हैं जिसमें सिविल सप्लाइ कार्पोरेशन भी आती है और सिविल सप्लाइ कार्पोरेशन के माध्यम से बहुत सारा सामान क्रय किया जाता है। उसमें पाइप्स भी क्रय की जाती है। मैं इस तरफ मुख्य मंत्री जी और आई0पी0एच0 मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो आजकल पाइप्स आ रही हैं उनको अगर आप थोड़ा सा बँड करना चाहे तो वह चिपक जाती है। कैसी पाइप्स क्रय की जा रही है? दूसरे, आज जो सड़कों के लिए बिचुमन आ रहा है वह मेरे ख्याल से सिविल सप्लाइ कार्पोरेशन के माध्यम से आता होगा। उसके लिए बदनाम लोक निर्माण विभाग हो रहा है। लोक निर्माण विभाग इसलिए बदनाम हो रहा है क्योंकि वहां से घटिया बिचुमन आ रहा है। आप देखेंगे कि बिचुमन के ड्रमों में वेट पूरा करने के लिए नीचे पत्थर डाले होते हैं। (---व्यवधान---) बाली जी, चलो, जो लेता होगा। इसके

अतिरिक्त, जो राशन आंगनवाड़ी या बालवाड़ी के लिए आता है वह मुझे नहीं पता किसके माध्यम से आता है (---व्यवधान---)

24.3.2016/1520/av/dc/3

उपाध्यक्ष : महेन्द्र सिंह जी, आप बैठ जाइए। अगले वक्ता श्री सतपाल सिंह सत्ती जी।

अगले वक्ता श्री टी सी द्वारा जारी

24/08/2016/1525/TCV/DC/1

उपाध्यक्ष महोदय जारी...

श्री सतपाल सत्ती जी आप बोलिए। वरना मैं अगले स्पीकर को बुलाता हूं। --
(व्यवधान)

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री: उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बल्ब की बात कर रहे हैं, ये बल्ब जिस भाव से हमें केन्द्र देता है, हम उन्हें आगे उसी भाव में जनता को देते हैं। --(व्यवधान)

उपाध्यक्ष: प्लीज़- प्लीज़ आप बैठ जाइये।

श्री सतपाल सिंह सत्ती: उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय महेन्द्र सिंह जी ने प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और कानून व्यवस्था पर नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव रखा है। --(व्यवधान) नियम-130 के अन्तर्गत आदरणीय महेन्द्र सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है, उस वर्तमान स्थिति के बारे में आदरणीय महेन्द्र सिंह जी ने प्रकाश डाला है। कानून व्यवस्था और अन्य जो राजनीतिक परिस्थितियां हिमाचल

प्रदेश की है, वह आप सबके सामने हैं। अभी सुबह ही एक विषय यहां सुरेश भारद्वाज जी ने उठाया था, शिमला में जो 'युग' नामक बालक की हत्या की गई है, उस बात को ध्यान में लाते हुए ध्यान में आता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। 2 साल पहले उस बच्चे का प्रदेश की राजधानी से अपहरण हो जाता है। वह भी उस राजधानी से जो बहुत शान्त राजधानी मानी जाती है लेकिन 2 वर्षों तक उस बच्चे का कोई पता नहीं चलता है। --(व्यवधान) आपको चर्चा से तकलीफ़ हो रही है, उनसे पूछो जिनका बच्चा चला गया है कि उनको कितनी तकलीफ़ हो रही है। इस हत्या के कारण हिमाचल प्रदेश जो कभी अपने सौंदर्य के लिए पूरे देश के मिडिया के ध्यान में आता था, वहां आज दिल्ली जैसे कांड हो रहे हैं। उस बच्चे की मौत से आज परिवार के लोग और पूरा शिमला शहर शोकागुल है और हम भी अपने आप को उस परिवार के साथ संलिप्त करते हैं। इस घटना में जिन लोगों ने हत्या की है, वह दोषी है, वहीं पर एक विषय शिमला नगर निगम का भी आया है। नगर

24/08/2016/1525/TCV/DC/2

निगम/आई0पी0एच0 की कार्य-प्रणाली किस तरह चल रही है, जैसा श्री महेन्द्र सिंह जी भ्रष्टाचार के मामले में कह रहे थे। सारे काम कागज़ों के ऊपर हो रहे हैं। जिनको टैंकों को साफ करने की व्यवस्था दी होगी, उन्होंने कागज़ों में टैंक साफ कर दिए। पूरे प्रदेश में ऐसा चल रहा है। इसी कारण से पिछले 6 महीने पहले यहां पर पीलिया का प्रकोप भी आया था, जिसमें 25-30 लोगों की मौत हुई थी। ये सारे जो परिणाम आ रहे हैं, ये भ्रष्टाचार के कारण आ रहे हैं और उस भ्रष्टाचार में उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां लोगों के बच्चे ही सेफ़ नहीं हैं बल्कि लोगों के घर भी महफूज़ नहीं हैं। हमारे ऊना जिला में चोरियों की इतनी घटनाएं हो रही है, घरों-के-घर चोर लूट कर ले जा रहे हैं। प्रतिदिन कभी एक माहौले में घटना होती है तो कभी दूसरे माहौले में इस प्रकार की घटना होती है। पुलिस के लोग इस पर मात्र दिखावा करके अपनी बात पर रूक जाते हैं लेकिन लोगो के लाखों के सामान दिन के उजाले में,

श्रीमती नीना सूद द्वारा जारी ----

24/08/2016/1530/NS/DC/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती ----- जारी।

मकान के बाहर लोग गाड़ियां खड़ी करके, गाड़ियां लाद करके ले कर चले जा रहे हैं। चारपाईयों इत्यादि गाड़ियों में लाद करके ले कर चले जा रहे हैं। यहां पर हमारे ऊना के विधायक बैठे हैं। प्रतिदिन वहां की अखबारों में चोरी की घटनाएं आती हैं, लोग धरने देते हैं और ज़लूस निकालते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह परिस्थिति क्यों आई है? इस परिस्थिति के कारण आज दो-तीन बातें ध्यान में आती हैं, चाहे यह हिमाचल प्रदेश के एटीएम हों। एटीएम को तोड़ करके पच्चीस-पच्चीस लाख रूपये एटीएम से ले जा रहे हैं। नशे के सौदागरों के कारण आज हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों के लोग सौभाग्यशाली हैं कि शायद वहां पर अभी तक हीरोइन (चिट्टा) जो हमारे क्षेत्र नूरपुर से ले करके काला अम्ब तक के बॉर्डर एरिया पर चल रहा है, यहां नहीं पहुंचा होगा और भगवान करे वह यहां पहुंचना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस चिट्टे के कारण लोग मौत के ग्रास हो रहे हैं। नौजवान लड़के मर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह चाहे अवैध खनन का मामला हो या हिमाचल प्रदेश में अवैध पेड़ों के कटान का मामला हो। ऐसा ही एक विषय पीछे हरौली विधान सभा क्षेत्र का आया था। शायद यह हिमाचल प्रदेश में पहली घटना होगी, जिसमें डी.एफ.ओज़. लैवल के अधिकारियों के कपड़े और वर्दियां फाड़ दी गईं, मोबाईल छीन लिए गए तथा गाड़ियां तोड़ दी गईं। लेकिन वे लोग एक मौहल्ले में रहते थे और चार दिन बाद अरेस्ट हुए। उनको गिरफ्तार करने के लिए चार दिन लग गए। यह आपकी कानून व्यवस्था की स्थिति है और ऊना में कोई बहुत बड़े जंगल नहीं है कि वे लोग जंगलों में चले गए। वहां पर न ही तो कोई वीरपन्न था और न ही कोई चन्दन के जंगल हैं कि वहां लोग भाग गए। लेकिन आम व्यक्ति जंगल काटता है और आपकी गाड़ियां तोड़ता है, पूरा मीडिया इस मामले को उठाता है और चार दिन के बाद छोटे-

छोटे आम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है तथा उसके बाद केस का क्या हुआ, कुछ पता नहीं है। आजकल बरसात हो रही है। खड्डों के बीच अनेकों लोग डूब कर

24/08/2016/1530/NS/DC/2

मर रहे हैं। हमारे ज़िले में 3-4 घटनाएं ऐसी हुई कि हरौली विधान सभा क्षेत्र के बाथू गांव में एक युवक डूब करके मरा गया। उसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली। अब यह मीडिया ही जाने कि क्या है। 80 फुट गहरे गड्ढे में वह व्यक्ति गिरा हुआ था। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये 80 फुट गहरा गड्ढा किसने किया और कैसे हुआ? माइनिंग के लोग कहां हैं? पुलिस और इंडस्ट्री के लोग कहां हैं? वह कौन-सा रूल है जिसके अन्तर्गत 80 फुट गहरा गड्ढा हो गया और जिसमें नौजवान डूब करके मर गया। क्या इस तरफ किसी का ध्यान है? दूसरी तरफ, उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब इस तरह की बातों के ऊपर, अवैध खनन के ऊपर अधिकारी कार्रवाई करते हैं और सुनते हैं, तो उनकी ट्रांसफर कर दी जाती है। एक ऐसी ही घटना इन्दौरा विधान सभा क्षेत्र में हुई। वहां के विधायक यहां इस सदन में बैठे हैं और मेरी इनसे बातचीत हुई है। 35 वर्ष पहले चार करोड़ की धनराशि का बना पुल अवैध खनन के कारण चला गया। आप सब लोगों ने टी.वी. के माध्यम से देखा होगा। अभी तो बरसात कम है। स्थानीय विधायक को वहां के लोग बता रहे थे कि जो रेलवे का पुल है, अगर भारी बरसात हुई तो यह रेलवे का पुल भी बचने वाला नहीं है। क्या किसी खनन के व्यक्ति ने वहां पर जा करके देखा? हमने अखबार के माध्यम से पढ़ा कि जो स्टोन क्रशर चल रहे हैं और उद्योग मंत्री जी ने स्वयं बोला, और अगर आप उस दिन की पंजाब केसरी देखें तो उस दिन कैबिनेट मीटिंग हुई है कि हिमाचल प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी थी तो 15 स्टोन क्रशर थे और डेवलपमेंट बहुत ज्यादा रूकी हुई थी। उस समय पता नहीं कितने लोगों के लैंटर पड़ने को रह गए थे। यह बात हमारे संज्ञान में तो नहीं आई। उन्होंने कहा कि हमने 150 स्टोन क्रशर को परमिशन दी और आज हिमाचल प्रदेश में 159 कानूनी क्रशर चल रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अवैध कितने चल रहे हैं? मेरी सूचना के

अनुसार हिमाचल प्रदेश में 306 स्टोन क्रशर चल रहे हैं। आर० टी० आई० में मांग करके देख लो। 306 क्रशर हिमाचल प्रदेश में ऑन दि रिकॉर्ड चले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के बद्दी क्षेत्र में जब स्टोन क्रशर के ऊपर कार्रवाई होती है तो दो दिन के अंदर वहां के डी.एस.पी. श्री गौरव

24/08/2016/1530/NS/DC/3

सिंह को बदल दिया जाता है। उन्हें दो दिन के लिए क्यों बदला जाता है? मैं सरकार की मैनेजमेंट के ऊपर हैरान हूँ कि स्थिति यहां तक पहुंच गई है। मुख्य मंत्री जी की अपनी मैनेजमेंट तो बहुत तगड़ी है लेकिन सरकार को बचाने की मैनेजमेंट कोर्ट के बीच भी बहुत तगड़ी है। कोर्ट के बीच कोई पी.आई.एल. ले करके जाता है तो कोर्ट कहता है कि यह पी.आई.एल. क्या है? आज तक क्या कोई कोर्ट से पूछने वाला है और पी.आई.एल. कौन-सी होती है? यह कौन-से निर्णय न्यायालयों के माध्यम से आ रहे हैं। अगर आदमी वहां से बदल करके धर्मशाला भेजा जाता है और श्री गौरव सिंह को वहां पर भेजा गया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उन्हें वहां किस लिए भेजा गया? मैं इसमें व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं करना चाहता लेकिन ऐसा अखबारों में आया कि 60 टन बजरा एक टिप्पर में था। कौन-सा 60 टन बजरे से सड़क और पुली पास है कि हिमाचल प्रदेश में 60 टन का बजरा ले करके कोई भी गाड़ी जाए। क्या कोई इस प्रदेश में पूछने वाला है? यहां की पुलिस कहां गई हुई है? हमारे गगरेट विधान सभा क्षेत्र में मिट्टी के तेल के ड्रम,

श्री आर० के० एस० द्वारा जारी।

24/08/2016/1535/RKS/AG/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती...जारी

और सरकारी तेल के ड्रम किसी के घर के अंदर मिलते हैं और उन ड्रमों को जब DSP पकड़ने के लिए जाता है तो उस DSP का तबादला वहां से कर दिया जाता है। वे मिट्टी तेल के ड्रम किसके थे और घरों में मिट्टी तेल के ड्रमों का क्या काम है? वे ड्रम वहां पर

किसने रखे थे? वे व्यक्ति किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं।...(व्यवधान) मिट्टी के तेल को बंद कर दो...(व्यवधान) यह स्थिति है।

उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री राकेश कालिया जी आप इन्हें बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए।

श्री सतपाल सिंह सत्ती: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक वहां जाकर उस DSP से बहस करते हैं। अखबार में भी बहसते हुए इनकी फोटो आई हुई है।...(व्यवधान) मैं नाम नहीं लेना चाहता था।...(व्यवधान) यह हिमाचल प्रदेश के कानून व्यवस्था की स्थिति है। हमारे पंडोगा क्षेत्र में किसी आदमी के पास नसीले पदार्थ पाये जाते हैं ...(व्यवधान) उसको पकड़ो, मैंने कौन सा इनकार किया है...(व्यवधान)।

उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य Please don't disturb.

श्री सतपाल सिंह सत्ती: ...(व्यवधान) बस स्टैंड मेरा नहीं है, बस स्टैंड गवर्नमेंट का है...(व्यवधान) जिसकी हिम्मत है, उसको जाकर के पकड़ो ...(व्यवधान)। मैं आपकी तरह ऑफिसर के साथ बहस नहीं करूंगा बल्कि उसके साथ छापा मारने के लिए जाऊंगा। मैं किसी ऑफिसर के कार्य में बाधा डालने के लिए नहीं जाऊंगा...(व्यवधान)। प्रशासन की ऐसी स्थिति फिल्ड में ही नहीं बल्कि कैबिनेट मीटिंग के अंदर भी क्या हुई यह देखने वाली बात है। मीटिंग के अंदर जब श्री आर.डी.धीमान जी की मंत्री जी के साथ बहस होती है तो दो दिन के बाद इस आई.ए.एस. ऑफिसर से विभाग वापिस ले लिया जाता है। ऐसे हालात में कौन सा अधिकारी काम करेगा? अगर इस तरह की कार्रवाही इन अधिकारियों पर की जाएगी तो ये अधिकारी भ्रष्टाचार, अवैध कटान और अवैध खनन को क्यों रोकेंगे?

24/08/2016/1535/RKS/AG/2

...(व्यवधान) श्री राकेश कालिया जी मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि इसमें आपका

दोष है परन्तु अधिकारियों को क्यों शैल्टर दी जाती है। क्यों गलत लोगों का साथ दिया जाता है?... (व्यवधान) बिलासपुर में फोरेस्ट डिपार्टमेंट में अवैध कटान होता है जब वहां के अधिकारी 25 लाख रुपये का जुर्माना उस व्यक्ति पर लगाते हैं तो उन अधिकारियों का तबादला कर दिया जाता है। वे सारे कागज़ मेरे पास है। वे अपने सी.सी.एफ. को पत्र लिखते हैं कि मेरी बदली इसलिए हुई क्योंकि मैंने 6 महीने के अंदर अवैध कटान का 25 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। आज मंत्रियों के साथ-साथ कार्यकर्ताओं का भी अधिकारियों पर दबाव पड़ा हुआ है। प्रदेश के अंदर जो माफिया की फौज खड़ी हो गई है वे आपके घर के अंदर भी आएंगे। वे आपके घर के गहने चुरा सकते हैं और आपकी चारपाइयां भी चुरा सकते हैं। ... (व्यवधान) मैं एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं... (व्यवधान) इसका मतलब है कि आप उसको ब्लैकमेल कर दो... (व्यवधान)। उपाध्यक्ष महोदय, जो बैंकों की स्थिति है... (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री राकेश कालिया जी आप बैठ जाइए, Please don't disturb in between. कृपया आप अपनी बारी में बोलिएगा। माननीय सदस्य मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, आप बीच में डिस्टर्ब मत करें।

श्री सतपाल सिंह सत्ती: मैं अगर आपको झूठ बोल रहा हूं तो आप मुझे बताईए... (व्यवधान) मैंने तो अभी बैंकों के बारे में शुरु ही किया है, आपको इसके लिए क्यों परेशानी हो रही है... (व्यवधान)? कांगड़ा बैंक और कॉओपरेटिव बैंक में कैसे अप्वाइंटमेंट हो रही है? क्या शिक्षा बोर्ड इन बैंको के पेपर डाल सकता है? शिक्षा बोर्ड को यह अधिकार किसने दिया? ... (व्यवधान) हमारे समय में जब भी बैंक... (व्यवधान) आप बोलो... (व्यवधान)। आप उपाध्यक्ष जी से परमिशन लो आपको किसने रोका है... (व्यवधान)।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

24.08.2016/1540/SLS-AS-1

श्री सतपाल सिंह सत्ती...जारी

मैं तो उस पर बोला ही नहीं। माता के नाक की नत्थें जो पंजाब वाले हीरों के साथ चढ़ाते थे, वह 4-4 गुम होती थी और नालियों से 5-5 निकलती थीं। मैं तो उस पर बोला ही नहीं हूँ। ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष : (श्री राकेश कालिया जी को संबोधित करते हुए) माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए। ...(व्यवधान)...

श्री सतपाल सिंह सत्ती : वह किसी के बाप की बपौती नहीं है बल्कि प्रदेश सरकार द्वारा टेकअप किया हुआ मंदिर है। ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष : (श्री राकेश कालिया जी से) माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाएं। सत्ती जी, आप भी बैठ जाएं। माननीय सदस्य आप बैठ जाएं। ...(व्यवधान)... आप दोनों एक मिनट के लिए बैठिए। मैं कह रहा हूँ कि एक मिनट के लिए आप दोनों बैठ जाएं। ...(व्यवधान)... कालिया जी, मैं आपकी बात सुन लूंगा, आप एक मिनट के लिए बैठ जाएं। ...(व्यवधान)... इसलिए ही मैं खड़ा हूँ। When I am standing, please sit down. कालिया जी, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ। Please don't disturb in between. आपको कुछ कहना है take permission. Next proceed. (Interruption) Let him speak. आप परमिशन लीजिए, आपको बोलने का मौक़ा मिलेगा। लेकिन आप बीच में डिस्टर्ब न करें। ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइए। This is not the way. यह नियमों के विरुद्ध है, इसलिए आप बैठिए। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए। आप बैठिए। This is not the way. आप बैठिए। Let him speak, then I will give you permission. You seek permission, I will give you. Please don't disturb in between. आप बीच में नहीं बोलेंगे। सत्ती जी, आप बोलिए। ...(व्यवधान)... प्लीज बैठ जाइए। बिना परमिशन लिए कोई भी बीच में न बोले। जो भी बीच में बोलेगा I will take action. सत्ती जी, बोलिए।

श्री सतपाल सिंह सती : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत-सी बातें ध्यान में ला रहा हूँ। बहुत से वरिष्ठ मंत्री यहां पर बैठे हैं। कई बातें होनी-अनहोनी में हो जाती हैं। जो नशे के व्यापार की

24.08.2016/1540/SLS-AS-2

बात मैंने कही है, जो ब्लैक के मामलों की बात मैंने कही है, ये ब्लैक करने वाले न तो इनके हैं और न हमारे हैं। ये सब मौक़ापरस्त हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि अगर इन लोगों को समय पर नहीं रोका गया तो हमारे यहां भी यू.पी. और बिहार जैसे ही हालात पैदा हो जाएंगे। शिमला में तो बच्चे का अपहरण हो ही गया; उस बच्चे को मार दिया गया। मैं उसमें यह नहीं कह रहा हूँ कि वीरभद्र सिंह जी फेल हो गए या वीरभद्र सिंह जी को वहां खड़े रहना चाहिए था। लेकिन ये बातें संज्ञान लेने की हैं या नहीं, मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। इनके ऊपर हमें सीरियस होना चाहिए या नहीं? वह ढाक के तीन पात वाली राजनीति चली गई कि कभी आप आए, कभी हम आए। कभी हम आए तो हम चले गए और कभी आप आए तो आप चले गए। अब काम करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। लोगों के मकसद से जुड़े जो मुद्दे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर अधिकारी काम नहीं करते तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं यह मानकर चलता हूँ कि बहुत से ऐसे लीडर्ज़ हैं जो चाहते हैं कि गंदे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन डिपार्टमेंट्स में ऐसे नैक्सज हैं कि वह कार्रवाई ही नहीं करना चाहते। आप लोग भी चाहते होंगे और मैं भी चाहता हूँ लेकिन हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि हमारे कहने के बावजूद भी ब्लैक करने वालों और सौदागरों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। हम केवल बोलते ही रहते हैं। उलटे होता यह है कि डिपार्टमेंट के लोग उनको बता देते हैं कि ऊपर से दवाब है अन्यथा हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर कार्रवाई हो। वह चाहे अवैध खनन के मामले हों, अवैध कटान के मामले हों, लॉ एंड ऑर्डर के मामले हों चाहे अवैध कब्जों के मामले हों। हमसे से कौन चाहता है कि अवैध

कब्जे कर लोग सारी सड़कों पर कब्जा कर लें। लेकिन लोगों ने महल खड़े कर दिए और हम आप लोग देख रहे हैं। आप उनको बचाने के लिए रिटेंशन पॉलिसी ला रहे हैं। यानी जो बदमाश हैं, उनके लिए पॉलिसी ला रहे हैं और जिन्होंने कानून को माना, उनके लिए कुछ नहीं है। यह गवर्नमेंट में चला हुआ है और इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण हम लोगों को सब गालियां देते हैं क्योंकि हम लोग कार्रवाई नहीं करते। उसमें हम लोग ही दोषी होते हैं, मैं यह नहीं कहता।

जारी ..गर्ग जी

24/08/2016/1545/RG/AS/1

श्री सतपाल सिंह सती-----क्रमागत

लेकिन हम लोगों को लोगों ने बाई चान्स अपना एक आईकॉन मान लिया। जिसके कारण हमारे ऊपर अंगुली उठती है। शायद यह जनता की भी गलती है, हम भी आईकॉन नहीं हैं। हम भी जनता की तरह गलती कर सकते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि जब सरकार होती है, तो सरकार को उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, प्रदेश में खनन नहीं होगा, तो विकास भी नहीं होगा। लेकिन खनन का जो नियम है वह उसके अन्तर्गत होना चाहिए। कानून-व्यवस्था की एक स्थिति है उसके अन्तर्गत होना चाहिए। नशों के सौदागरों के कारण आज 20-20 साल के लड़के मर रहे हैं। लेकिन उन बेचारों को बोलने वाला और रोकने वाला कौन है? फिर आप लोग उनके बच्चों को किताबें मुफ्त देंगे, उनकी विधवाओं को आप पेंशन लगाएंगे, घर बनाने के लिए पैसे देंगे। क्योंकि जब कमाने वाला मर गया, तो उसके पश्चात वह बी.पी.एल. में आ जाएगा, तो यह बोझ किसके ऊपर पड़ रहा है? बोझ तो हम सबके ऊपर पड़ रहा है, जनता के ऊपर इसका बोझ पड़ रहा है। अगर आप लोग इन सारी चीजों को रोकेंगे, तो ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं यह मान सकता हूँ कि जो लोग ज्यादा देर सत्ता में रहे हैं वे ज्यादा दोषी हैं। आप लोग ज्यादा देर सत्ता में रहे हैं इसलिए आप लोग ज्यादा दोषी हैं। क्योंकि व्यक्ति सत्ता का सहारा लेता है और आपके लोग ज्यादा अवैध कब्जाधारी होंगे, आपके लोग ज्यादा खनन में लगे होंगे और ज्यादा कटान में लगे होंगे। लेकिन उनको रोकना भी उन्हीं का काम है जिनके पास सत्ता है। हमारा काम आप लोगों के

ध्यान में यह संज्ञान लाना है। अगर आप लोग उसको गलत मानते हैं, तो आपकी मर्जी है।

उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग काम करने वाले उपायुक्तों को 6-6 महीने में बदल रहे हैं। वह डी.सी. इसलिए बदला गया क्योंकि वह बेचारा अकालियों को भी पूछता था, कुलदीप जी को और मुझे भी पूछता था, लेकिन उसको 6 महीने में बदल दिया गया। सोचा गया कि यह तो सबको पूछ रहा है क्योंकि विकास तो एक ही चुनाव क्षेत्र में होना चाहिए, बाकी तो इसको पूछना ही नहीं चाहिए। इसलिए उसे 6 महीने में बदल दिया गया। इस तरह की अनेकों चीजें हैं। जब हम लोग अधिकारियों को डिमोरलाईज करेंगे, उन लोगों को काम ही नहीं करने देंगे, तो क्या होगा? उस बेचारे का एक और कुसूर यह था कि पीछे विजिलेंस कमेटी की मीटिंग हुई, तो वह विजिलेंस कमेटी में आ गया। अब एम.पी. का अधिकार है विजिलेंस कमेटी की

24/08/2016/1545/RG/AS/2

मीटिंग करना, वे भारत सरकार के नुमाइन्दे हैं, तो यदि उसमें डी.सी. आ गया, तो क्या कुसूर हो गया? मुझे लगता है कि शायद सरकार को यह भी बुरा लगा होगा कि यह कैसे एम.पी. की मीटिंग में चला गया? जब सारे अधिकारी आए हुए थे, डी.सी. भी आ गया, तो क्या गुनाह हो गया?

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की बहुत सी बातें हैं। आज विश्राम गृहों की रेनोवेशन चली हुई है। रैस्ट हॉउसेज के रिपेयर का काम चला हुआ है। जिन रैस्ट हॉउसेज में कमरे ही दो-दो या तीन-तीन हैं, हम और आप लोग भी मकान बनाते हैं, तो उन विश्राम गृहों के रेनोवेशन पर ही 22-22 लाख रुपये लगे हैं। उसका रिकॉर्ड इस विधान सभा में एक प्रश्न के उत्तर के रूप में आया है। कौन हैं वे लोग जो 8-8 लाख रुपये एक-एक कमरे की रेनोवेशन पर खर्च कर रहे हैं? आप लोगों ने भी कभी अपने-अपने मकानों की रेनोवेशन की होगी। एक कमरे की रेनोवेशन पर क्या आठ लाख रुपये लगता है? ठीक है कार्यकर्ताओं ने काम करना होगा, ठेकेदारों ने भी चार पैसे कमाने होंगे। लेकिन ठेकेदार बिल्कुल निर्दयतापूर्वक भ्रष्टाचार करे और नेता एवं अधिकारी लोग देखकर रह

जाएं, तो मुझे लगता है कि हम भी उतने ही दोषी हैं जितना वह ठेकेदार दोषी है। कुछ-न-कुछ तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं चाहिए?

उपाध्यक्ष महोदय, आज अवैध बीज बेचा जा रहा है। आज सुबह एक प्रश्न आया और चम्बा का एक केस आया। मैं बहुत हैरान हुआ, उसमें लिखा था कि चम्बा में कोई भी अवैध बीज विभाग की ओर से नहीं बेचा गया और अगले ही प्रश्न के 'ख' भाग में उत्तर है कि हमने जो वहां के कृषि प्रसार अधिकारी है उसको ससपेंड कर दिया। फिर इन्होंने कृषि प्रसार अधिकारी को ससपेंड क्यों किया? जब आपने अवैध बीज बेचा ही नहीं, उसका कोई कुसूर ही नहीं है, तो आपने उसको किसलिए ससपेंड किया? डलहौजी में हमारी मीटिंग थी। लोगों ने बताया कि लाखों रुपये का बीज किसानों को दिया गया, बाद में वह उगा नहीं, लोग मारे गए। आशा कुमारी जी के ध्यान में भी यह बात होगी। अब वहां के किसान मेरे रिश्तेदार तो नहीं हैं या मेरी कोई अवैध बीज बेचने वाले से कोई दुश्मनी है। अगर कोई इस तरह की गुण्डागर्दी हिमाचल प्रदेश में कर रहा है, हमारे किसानों को मार रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? मेरा यह मूल प्रश्न है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो सरकार नाम का कोई मतलब ही नहीं है। सरकार का कोई काम ही नहीं

24/08/2016/1545/RG/AS/3

है। लोग सारी व्यवस्था को अपने आप चला लेंगे। इसलिए मैं तो इन सब बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। प्रदेश की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ रही है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि हमारे हिमाचल प्रदेश का भ्रष्टाचार पंजाब और हरियाणा को मात दे रहा है। यहां तक की कई जगह तो बिहार और उत्तर प्रदेश को भी मात दे रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यदि मुख्य मंत्री जी देखेंगे क्योंकि हम भी हिमाचल भवन में घूमकर आए हैं। कितने करोड़ रुपये वहां लगा, आपने अपने आप देख लेना, उतने करोड़ रुपये का दूसरा भवन तैयार हो जाना था। वहां पर सिर्फ उतने करोड़ रुपये में रेनोवेशन ही हुई है। कभी घर की कीमत से ज्यादा पैसा घर की रिपेयर के लिए लगा, आप लोगों ने लगाया कभी अपने घरों में, मुझे बताएं खडे होकर। किसी ने लगाया, बताएं। हम और आप लोगों ने भी फर्श तोड़कर प्लेट्स या टायल्स लगाई होंगी,

नई अलमारियां लगाई होंगी, नई छतों के ऊपर कोई पी.ओ.पी. किया होगा। लेकिन क्या वह उससे ज्यादा पैसों का हुआ है? जितना मकान में लगा था। यह किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है? यह किस तरह का ठेकेदार है? ठेकेदारों का यह किस तरह का भ्रष्टाचार चला हुआ है?

उपाध्यक्ष महोदय, पुल बनाने का दो करोड़ रुपये ऐस्टीमेट्स बनता है और ठेकेदार उसको एक करोड़ रुपये में बनाकर देता है। तो उस अपने सर्वेयर से लेकर इंजीनियर तक या ई.एन.सी. तक पूछो तो सही कि तुमने यह किस प्रकार से दो करोड़ रुपये का ऐस्टीमेट्स बनाया था? मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। मेरे क्षेत्र में पुल बने। अनपढ़ छठी पास ठेकेदार ने वह 1,25,00,000/-रुपये का पुल बना दिया, लेकिन आपके पढ़े-लिखे अधिकारियों ने उसका ऐस्टीमेट 2,26,00,000/-रुपये का बनाया था। ये कौन से ऐस्टीमेट्स हैं, ये कौन बना रहा है?

एम.एस. द्वारा जारी

24/08/2016/1550/MS/AS/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी-----

ये कैसे ऐस्टीमेट्स बन रहे हैं इसलिए उपाध्यक्ष महोदय -(व्यवधान)-

श्री राकेश कालिया: मैं इस बारे में एक-दो बातें कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष: कालिया जी, इनको बोलने दीजिए। आप इनके बाद बोल लेना। आप कृपया बैठ जाइए।

श्री सतपाल सिंह सत्ती: इसलिए उपाध्यक्ष जी जो यह व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में चली हुई है -(व्यवधान)-कालिया जी बाद में बोल लेना। मैं दो मिनट ही बोलूंगा। -(व्यवधान)- ऐसा है सरिए का रेट 5 हजार रुपये तब था जब आपकी सरकार थी। अब मोदी जी ने उसका रेट अढ़ाई हजार रुपये कर दिया है। यह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उपाध्यक्ष जी, कालिया जी पता नहीं क्यों उनकी तरफ से सफाइयां दे रहे हैं जबकि इनको तो माता का बहुत आशीर्वाद है। इनको तो उनके साथ न चलने की जरूरत है और न सफाई देने की जरूरत है। कई लोग कमाकर ही पैदा होते हैं और ये भी उनमें से

ही एक हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको उनका साथ देने की ऐसी कोई जरूरत है। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश की स्थिति है। मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि आपके पास कानून एवं व्यवस्था (गृह) विभाग भी है बाकी सारी चीजें भी हैं। जो ये सारा काम चला हुआ है इसके लिए आप अपने मंत्रियों को भी थोड़ा आगाह करें और इनके ऊपर भी थोड़ी नकेल कसें ताकि ये भी थोड़े तेज हो जाएं। वैसे ये सारे ही अनुभवी और वरिष्ठ सदस्य हैं। यदि सारे लोग सतर्क होकर चलेंगे तो मुझे लगता है कि हिमाचल का एक अच्छा इम्प्रेशन सभी जगह जाएगा। हिमाचल में लोगों को एक अच्छा प्रशासन भी मिलेगा तथा अच्छी परम्पराएं भी आगे चलेंगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

24/08/2016/1550/MS/AS/2

उपाध्यक्ष: अब माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री महेश्वर सिंह: उपाध्यक्ष जी, जो एक अत्यन्त सामयिक और महत्वपूर्ण चर्चा नियम 130 के अंतर्गत इस सदन के माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह जी ने उठाई है, मैं उस पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए और उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज गिरती हुई कानून-व्यवस्था और कुछ अधिकारियों का प्रशासन में मनमाने ढंग से काम करना तथा प्रदेश की चरमराती हुई आर्थिक स्थिति सचमुच में एक चिन्ता का विषय बना हुआ है। जिस प्रकार से यहां भ्रष्टाचार के मामलों का उल्लेख/जिक्र किया गया, उसके अनुसार सचमुच में स्थिति बहुत ही दयनीय है क्योंकि भ्रष्टाचार के अनेकों उदाहरण दिए गए हैं। मैं बिगड़ती हुई कानून-व्यवस्था के बारे में केवल एक बात कहना चाहूंगा। इस बार का रोहतांग का जो टूरिस्ट सीजन था उसमें सारी गाड़ियों के जाने की बुकिंग क्योंकि गाड़ियों का नम्बर निर्धारित था कि एक दिन में इतनी गाड़ियां रोहतांग तक जाएंगी और उनकी ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई। फलस्वरूप उसमें जितनी लूटपाट हुई और जितनी परेशानी पर्यटकों को हुई, उसको एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने स्वयं स्वीकारा है। इतनी हालत खराब हुई कि टूरिस्ट को रोहतांग क्रॉस करके लेह-लद्दाख के टूअर दिखाने पड़े, तब जाकर वे रोहतांग के दर्शन करने गए। उसके लिए कितनी भेंट कहां-कहां चढ़ानी पड़ी उसके लिए सारा रिकॉर्ड साक्षी है। जो लोग रोहतांग देखना चाहते थे उनको यह कहा गया कि अगर रोहतांग जाना है तो आप

एक फेक पास बनाइए। आपको होटल का बिल केलांग या कहीं अन्य जगह से मिल जाएगा। आप उधर जाएंगे नहीं केवल रोहतांग जाइए और वापिस हट जाइए। इस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है। अब किस-किस का इसमें नाम है और कौन-कौन बैरियर पर बैठते हैं और क्या कारण रहे कि हर कॉन्स्टेबल इस बार इच्छुक/लालायित था कि मेरी ज्युटि रोहतांग या लाहौल के लिए जो बैरियर लगा है वहां पर लगे। उपाध्यक्ष जी, यह सबसे बड़ा जीता-जागता भ्रष्टाचार का एक नमूना मैंने आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी के सामने रखा है।

मुख्य मंत्री: आज तक क्यों नहीं रखा?

24/08/2016/1550/MS/AS/3

श्री महेश्वर सिंह: अभी तो सीजन खत्म हुआ है। अब रख दिया है।

Chief Minister: You must be also partner in that.

श्री महेश्वर सिंह: चलो आप बड़े हैं जो बोलना है बोल लीजिए, हम सहन कर लेंगे क्योंकि हम तो आपके सामने बच्चे हैं। पहले आप बोलते हैं फिर उससे मुकर जाते हैं और फिर एक और समस्या पैदा होती है। उपाध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी ने स्वयं रोहडू के प्रवास पर कहा कि वहां के ठेकेदार भ्रष्ट हैं। यह खबर अखबार में भी आई थी।

मुख्य मंत्री: वहां के ही नहीं है बल्कि हर जगह के हैं।

श्री महेश्वर सिंह: यह बात प्रैस में भी आई थी। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं।

मुख्य मंत्री: मैं यह कह रहा हूं कि हरेक ठेकेदार भ्रष्ट नहीं है।

श्री महेश्वर सिंह: मैं आपसे क्षमा चाहूंगा क्योंकि आप इतने वरिष्ठ हैं।

मुख्य मंत्री श्री जे०एस० द्वारा---

24.08.2016/1555/जेके/डीसी/1

मुख्य मंत्री: मैं ऐसा कहता हूँ कि सभी ठेकेदार भ्रष्ट नहीं हैं। जो भ्रष्ट ठेकेदार हैं वे रोहड़ू में भी हैं, शिमला में भी हैं और हर जिले के अन्दर हैं। मैं यह कहता हूँ कि क्या वज़ह है कि उन्हीं लोगों को बार-बार काम दिया जाता है, मैंने यह कहा था। I am against that. यह नहीं कि यह एक ही जगह की बात है। हर जगह के ऊपर ठेकेदारों का एक माफिया बन चुका है। नैक्सस बन गया है।

श्री महेश्वर सिंह: माननीय मुख्य मंत्री जी उस नैक्सस को सरकार ने तोड़ना है हमने नहीं तोड़ना है।

मुख्य मंत्री: आप भी उस नैक्सस में शामिल हैं।

श्री महेश्वर सिंह: उसका ईलाज आपके पास है हमारे पास नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं लोक निर्माण विभाग की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आज विधायकों की प्राथमिकता एक सिर दर्द बन चुकी है और अभी तक डीपीआर तैयार नहीं है। आखिर कोई न कोई तो इसके लिए जिम्मेदार होगा। मैं यह मानता हूँ कि आपने प्रयास किए कि जो फोरैस्ट क्लियरेंस मिलती है वह एफसीए0 क्लियरेंस एक छत के नीचे मिले। फिर भी बावजूद इसके अनेकों सड़कों की डीपीआर तैयार नहीं हो सकी। इसके पीछे सम्भवतः एक कारण यह भी है कि अगर बार-बार एक्सिअन की ट्रांसफर हो, बार-बार ऑफिसर्ज को डीमोरोलाईज करेंगे तो विलम्ब तो होगा ही। कुल्लू का जीता जागता उदाहरण है। मैंने आपके ध्यान में भी एक बार लाया था कि दो डिविज़न में छः बार एक्सिअन ट्रांसफर हुए तो काम कब करेंगे? एक दफ्तर में बैठता है तब उसको भेज देते हैं और दूसरा दफ्तर में बैठता है उसको भी बदल देते हैं। अगर बार-बार इस तरह की खो-खो चलती रहेगी तो काम कैसे होगा? इसका मुख्य कारण यह है कि जो बार-बार एक्सिअन बदले उसका

खामियाज़ा आज कुल्लू भुगत रहा है। हमारी सारी की सारी डी0पी0आर0 लम्बित पड़ी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय आपको याद होगा मैंने एक बात कही थी कि सड़कों का काम और जब सड़कों में केबल कम्पनीज़ आई उन्होंने

24.08.2016/1555/जेके/डीसी/2

सड़कें खोदी तो यह प्रश्न यहां पर उठाया था, मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने बड़े विस्तार से ज़वाब दिया था कि इस बार पैच वर्क नहीं होगा कम्पनियां ही री-सरफेसिंग के लिए पैसा देगी और सड़कें ठीक हो जाएगी लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, क्या सचमुच सड़कों की री-सरफेसिंग कहीं पर हुई है, हुई है तो बता दीजिए? विभाग आपके पास है। पैच वर्क हो गया। जिस प्रकार से सिविल सप्लाई ने घटिया तारकोल लिया है उसकी टारिंग करेंगे तो गड्ढा नहीं पड़ेगा तो और क्या होगा? अभी मंत्री जी कह रहे थे कि मैंने थोड़े खरीदा। सरकार खरीदती नहीं है। सरकार के अण्डर कॉर्पोरेशन है उसको चैक करना होगा। अगर आप उसके ऊपर अंकुश नहीं लगाएंगे तो मनमाने ढंग से काम होगा। आज परिणाम क्या है कि ग्रामीण सड़कों की हालत खराब है जहां-जहां केबल बिछी, चाहे वह रामपुर है, रोहडू है, कुल्लू है, चाहे आनी है और चाहे कोई भी क्षेत्र है। आप चाहे जलोड़ी पार्क देख लीजिए। नया नेशनल हाई वे बन रहा है। मैंने एक बात कही थी कि जो पैरापिट बनते हैं उनकी फाऊंडेशन नहीं है। उनका सीधे ऊपर सांचा रखते हैं और शाम को 10-20 और 30 के करीब एक जोड़ी मजदूर की पैरापिट बना देती है। अभी-अभी वह नेशनल हाई वे बना। पिछले साल 25-30 पैरापिट लगा दिए, क्योंकि अब ज्यादा आमदनी क्रैश बैरियर से है।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, पैरापिट के ऊपर ही क्रैश बैरियर लगा दिए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुख्य मंत्री महोदय के पास यह विभाग है और अपने अधिकारियों से पूछ लीजिए। अब पिछली साल के लगाए हुए पैरापिट उखाड़ दिए और उनके अन्दर सारे ढोल की

पोल निकलती है। उनमें थोड़ा सा धक्का दो पैरापिट नीचे चला जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि वहां पर किसी को भेज कर

24.08.2016/1555/जेके/डीसी/3

देखें। सड़कों की आज बुरी हालत है। प्रधान मंत्री ग्राम योजना की सड़क है। बार-बार टेण्डर होते हैं न जाने कौन सा कारण है कि ठेकेदार टेण्डर भरने को आगे नहीं आता है। सिंगल टेण्डर आता है और विभाग उस सिंगल-सिंगल टेण्डर को एक्सैप्ट नहीं करता है। एक ही सड़क के 6-6 बार टेण्डर हो रहे हैं। यह कौन सा कारण है। एक सड़क का काम सुचारू रूप से चल रहा था अगर नाम चाहते हैं तो मैं सड़क का नाम दे देता हूँ।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

24.08.2016/1600/SS-DC/1

श्री महेश्वर सिंह क्रमागत:

एक पुल सैंक्शन हुआ, टैंडर हो गया, उसके अबैटमेंटस तैयार हो गये। स्ट्रक्चर ड्राइंग के मुताबिक बना और एक लोक निर्माण विभाग के महानुभाव गये उसको रिजैक्ट कर आये। कहते हैं कि इसके ऊपर का जो ढांचा बनना है इसको दोबारा बनाओ, दो करोड़ रुपया उसमें ज्यादा लगेगा। पुराना कैंसल कर दिया, फलस्वरूप सड़क में डिले हो गया। यह प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना है। मैंने इस बार भी प्रश्न पूछा कि आखिर जब आपने टैंडर कॉल कर दिया और एक्सैप्ट कर दिया तो फिर इस ड्राइंग को क्यों चेंज कर रहे हैं? कहते हैं कि सरकारी में बर्फ ज्यादा पड़ती है, छरोड़ में नाले में कम पड़ती है इसलिए यह बदलना पड़ा। उस समय क्यों नहीं बदला जब आपने टैंडर भरे। महोदय, यह सारा काम इस प्रकार से चल रहा है। इसलिए मैं इसके बारे में आपके ध्यान में ला रहा हूँ।

मुख्य मंत्री: यह आपके हलके में हो रहा है। यह सारा आपके तत्वाधान में हो रहा है। आपने इतने साल में इसे क्यों नहीं उठाया?

श्री महेश्वर सिंह: सरकार में आप हैं। मुख्य मंत्री जी, आप मेरी दादा की उम्र के हैं। काहे को हमारा मुंह खुलवाते हो। कम-से-कम अपनी उम्र का ध्यान रखिये। हम आपका आदर करते हैं। हर बात पर कमेंट्री करोगे तो यह अच्छा नहीं है।

मुख्य मंत्री: मैं यह कह रहा हूँ कि आप काफी अरसे से उस क्षेत्र से एम0एल0ए0 रहे हैं, ये बातें न आपने कभी मुझसे बोलीं, न लिखीं, न मेरे संज्ञान में लाईं, आज आप क्यों बोल रहे हैं? आप संज्ञान में लाईये, अच्छी बात है, हम इसका संज्ञान लेंगे।

श्री महेश्वर सिंह: मैंने चिट्ठी लिखी है, प्रश्न भी किया है। महोदय, आपको पत्र लिखे हैं। यह हाउस इस बात का साक्षी है कि जब मैंने क्लैश बैरियर के बारे में कहा था, यहां पर स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, इनके एरिया की बात थी। मैंने सब बातें कही हैं। इस पुल के बारे में हजारों सवाल किये हैं। आपके सैक्रेटरी, पी0डब्ल्यू0डी0 के पास चिट्ठियां हैं। उनको मालूम है कि मैं क्या लिखता रहा। जब कुछ न करना हो तो फिर यह कहना अच्छी बात नहीं है। मैं आपकी कद्र करता हूँ और यह आदर करता रहूंगा। राजनैतिक चीजें चलती रहती हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप

24.08.2016/1600/SS-DC/2

जैसा महानुभाव छठी बार मुख्य मंत्री बने और बार-बार हस्तक्षेप करे और मुझ जैसे को बार-बार इंटरवीन करे, इंटरफियर करे, is it proper?

महोदय, इसके अतिरिक्त आई0पी0एच0 विभाग की बात कहना चाहूंगा। मैं इस बात को इस माननीय सदन में स्वीकार करता हूँ कि आप आई0पी0एच0 मंत्री महोदया ममता की मूर्त हैं, दयामयी हैं लेकिन आपकी इस बात का आपके कुछ अधिकारी नाजायज़ फायदा उठा रहे हैं। पाइपों का अभाव है। आप इनकी तरह मत कहना कि मैंने आपको कभी नहीं कहा। मेरी टांगे थक गईं आपके ऑफिस के चक्कर काटते हुए। चीफ इंजीनियर, आई0पी0एच0, ई0एन0सी0 और सैक्रेटरी सब के पास गया। लेकिन अभी तक पाइपें नहीं मिली हैं। अभी तक उपलब्ध नहीं हैं और यह छोटी डायल की पाइप का न होना, जो बजट में आपने स्कीम दी एक भी शुरू नहीं हो पाई। आपने बार-बार निर्देश दिये लेकिन वहां पर जो यह चक्कर है, सारा सैंट्रलाइज़ किया हुआ है आई0पी0एच0 पाइप खरीदने का। आप तो ईमानदार हैं, पता नहीं कि कौन-सा कारण है कि बिना

मन्त्री की एप्रूवल के पाइपें खरीद ही नहीं सकते। उसका जीता-जागता सबूत मेरे पास आपका प्रश्न का उत्तर है। मैंने प्रश्न संख्या: 3352 पूछा और 23.08.2016 को इसका जवाब आया है। सरकार द्वारा पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं हेतु विभिन्न डाया की पाइपों की खरीद हेतु कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, निविदाएं किस स्तर पर खोली जाती हैं एवं स्वीकृत की जाती हैं? ब्योरा दें। उत्तर देखिये कितना आश्चर्यजनक है। इस विभाग में पाइपों की मांग संबंधित मंडल वृत्त व क्षेत्रीय स्तर की क्रय समितियां की स्वीकृति पश्चात् मुख्य कार्यालय में प्राप्त होती हैं। क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त मांग मुख्य कार्यालय में संकलित करने के पश्चात् छानबीन समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) की बैठक में स्वीकृति होती है, प्रस्तुत की जाती है जोकि सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में होती है। छानबीन समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) की स्वीकृति पश्चात् विभाग द्वारा ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं तथा निविदाओं को अंतिम रूप देने के पश्चात् दरों की स्वीकृति छानबीन समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) से ली जाती है

जारी श्रीमती के0एस0

24.08.2016/1605/केएस/एजी/1

श्री महेश्वर सिंह जारी----

तदोपरांत अन्य क्रय आदेशों के लिए मांग पत्र सम्बद्ध निदेशक हिमाचल प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को भेज दी जाती है और प्रबन्ध निदेशक फर्मी को अनुमोदित दरों पर क्रय आदेश जारी करते हैं। यह ऐसा हिसाब है कि जितने में करेंगे हार श्रृंगार, उतने में जलेगा सारा बाज़ार। एक ऐसी महिला थी कि वह बिना श्रृंगार के बाहर नहीं निकलती थी। बाजार में आग लग गई तो लोगों ने हल्ला किया, बाहर निकल। वह कहती है कि मैंने श्रृंगार नहीं किया। लोगों ने कहा कि जितनेओं करना हार श्रृंगार, तितनेओं फुकना सारा बाजार। लोग बोले कि निकलना तो निकल बाहर नहीं ता मुझे तेरा भी होई जाणा बेड़ा पार। यह कैसा काम है? यह समझ में आता है कि रेट काँट्रैक्ट हो। उसके बाद क्या जितनी बार पाईप खरीद करनी तो मन्त्री जी देंगे और फिर सिविल सप्लाय से खरीद रहे हैं, जो कि घटिया पाइपें हैं और केवल इनको घाटे से बाहर निकालने के लिए अपने

उपक्रम की सरकार मदद करना चाहती है और मैंने फिर पूछा कि विलम्ब का क्या कारण है? उसका भी यहां उत्तर दिया कि पाइपों के विलम्ब से आने का क्या कारण है? कहते हैं कि अधिकतर पाइपें फैक्टरी से डिसपैच हो चुकी है, रास्ते में है। अब रास्ते में अगर चार महीने लग गए और फिर ऊंचे पहाड़ों में, मंत्री जी आप तो स्वयं भी वहां से सम्बन्धित हैं, ऊंचे पहाड़ों में बर्फ पड़ जाएगी तो क्या अक्टूबर के बाद हम इन पाइपों को सर में डालेंगे? यह हालत आपके विभाग की है और आपको याद होगा, फील्ड स्टाफ की यहां पर बात कही गई थी। फील्ड स्टाफ नहीं है ऊपर से एक नई भर्ती की गई। न जाने वह किसके दिमाग की उपज थी? आपको याद होगा कि मैंने उस समय भी कहा था। मुख्य मंत्री जी फिर कहेंगे कि उस समय क्यों नहीं बोला। ये जो जल रक्षक रख रहे हैं, इनका काम क्या है? ये तो रैंच तक नहीं चला सकते। मंत्री जी ने कहा था, यह रिकॉर्ड में है, कि महेश्वर सिंह जी अभी तो यह मेरी ही समझ में नहीं है, जब आएगा तो बता दूंगी। अब तो आपको समझ आ गया होगा। मैंने तो कहा था कि कहीं ऐसा न हो कि मैं भी रानी, तू भी रानी कौन भरेगा कुंए से पानी और वह बात आज चरितार्थ हो गई। फीटर लगाते तो अच्छा

24.08.2016/1605/केएस/एजी/2

था और जितनी आपकी सिंचाई की स्कीमें हैं, वे ठेके पर दे दी। इतनी मंहगी इम्पोर्टेड वहां पर मशीनरी है, ठेकेदार उनसे कितना प्यार करेगा? आऊट सोर्सिंग कहां-कहां करोगे? एक दिन यह आऊट सोर्सिंग व्यापम का रूप धारण करेगी, यह मैं दावे से कहता हूं। हर चीज़ आऊट सोर्सिंग, हर चीज़ आऊट सोर्सिंग?

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री महेश्वर सिंह: अध्यक्ष जी, बीच में उस तरफ से मुझे डिस्टर्ब भी करते रहे, उस समय को तो मुझे दे दीजिए। मेरा निवेदन है कि फील्ड स्टाफ भर्ती करिए और इन स्कीमों को बचाइए। मशीनरी को बचाना है तो आपको ट्रेंड ड्राफ्ट्समैन लगाने होंगे और जो लोग आपने भर्ती कर दिए हैं, इनको अगर आप कम्प्लेंट अटैंडेंट रखें तो ज्यादा

अच्छा रहेगा। जल रक्षक इत्यादि नाम न दीजिए, कम्प्लेंट अटेंडेंट नाम दीजिए। भले नाम न बदलें लेकिन फील्ड में ट्रेंड फीटर्ज रखें ताकि काम चलें।

अध्यक्ष महोदय, यही हालत बिजली बोर्ड की है। कोई ठेकेदार आज बिजली बोर्ड में आने के लिए तैयार नहीं है। क्या कारण है कि छोटे-छोटे रॉ-मटिरियल के लिए उन्हें भागना पड़ता है। कंडक्टर लेना है तो सैंट्रैलाईज्ड, मफ़ है, एंगल होल्डर है, हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए यहां से कंट्रोल होता है। इतने चीफ इंजीनियर्ज़ आपके ज़ोन में बैठे हैं, क्या वे सक्षम नहीं हैं? चार महीने हो गए अभी तक सामान नहीं मिल रहा है। ये चीजें डीसैंट्रैलाईज़ करिए मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। यह सत्य है कि जब तक आप डीसैंट्रैलाईज़ नहीं करेंगे, बिजली महकमें में ठेकेदार नहीं आएगा क्योंकि इन छोटी-छोटी चीजों को मांगने में वह थक जाता है। यहां तक कि पी.वी.सी. वायर नहीं होती। कहने को बहुत कुछ है अध्यक्ष महोदय, लेकिन आपने घण्टी बजा दी है, उसका भी ध्यान रखना होगा। मैं एक-दो बातें कह कर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जब तक रॉ मटिरियल की गुणवत्ता नहीं होगी, तो काम कैसे होगा और रॉ -मटिरियल लेने के लिए अगर सरकार सिविल सप्लाइ कॉर्पोरेशन का सहारा लेगी जो पहले ही घाटे में चल रहा है तो यही हाल रहेगा। कब वे पाईप देंगे, कब वे पाईपें आएंगी, यह हालत है। जहां तक वन विभाग की बात है, पशु-पालन मंत्री महोदय भी यहां पर बैठे हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

24.3.2016/1610/av/ag/1

श्री महेश्वर सिंह जी----- जारी

इन्होंने कल जवाब दिया कि पिछले तीन महीनों में लगभग 8800 लोगों को कुत्ते ने काटा है। लोगों को इतनी बड़ी संख्या में कुत्तों ने काटा तो आप क्या कर रहे हैं? इसकी व्यवस्था क्यों नहीं करते? इन अवारा कुत्तों के लिए कोई प्रबंध करो, आपको उनसे कब से लगाव हो गया? इसके अतिरिक्त अवारा सांड भी हैं। आप रुना और मण्डी के बल्ह क्षेत्र में जाकर देखिए। यहां पर माननीय मंत्री श्री प्रकाश चौधरी जी बैठे हुए हैं। आपने वहां देखा होगा कि सड़क या रास्ते में निकलना मुश्किल होता है और एक के पीछे 5-5, 10-10 सांड दौड़ते हैं। (---व्यवधान---) है ही नहीं, चलो वह आपसे डरते होंगे। ऐसी

स्थिति को कौन देखेगा? इधर माननीय वन मंत्री जी भी आनन्दपूर्वक बैठे हैं। आप बन्दरों की गिनती घटाने और बढ़ाने में लगे हुए हैं तथा कहते हैं कि जो बंदर पकड़ेगा उसको 500 रुपये देंगे। पता नहीं, आपके पास कौन सा कुबेर का खजाना है जो वहां से पैसे मिल रहे हैं। आप आनन्द से मत बैठिए और इस तरफ ध्यान दीजिए। कहीं ऐसा न हो कि 'रोम जलता रहा और नीरो बांसुरी बजाता रहा', आपकी यह आदत है। आप मलाना की हालत देखिए। कल यहां पर भंगु खाने की बात कही गई थी। जो भांग उखाड़ने की बात कही हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार ने जब यह कहा है कि इनको अल्ट्रानेटिव व्यवसाय दो; चाहे द्रंग के चौहार घाटी की बात है या मलाना की बात है। वहां पर लोग मजबूर है। आप सभी जानते हैं कि इस भंग का सदुपयोग भी है। इससे रस्सी बनती है, पुलें बनाते हैं। उसके दाने गरीब लोग खाते हैं, उसमें नशा नहीं होता, वे कहां जायेंगे? इसका दुरुपयोग रोकते-रोकते आपने इसका सदुपयोग भी खत्म कर दिया है। आप इसका विकल्प क्यों नहीं देते, आपके पास जड़ी-बूटी है। लेकिन उसको आपने सैंट्रलाईज कर रखा है। आप आम आदमी को परमिट नहीं देते। वहां पर कोई एक खान बैठा हुआ है जो सबका ठेकेदार है। वह खान बंदर भी पकड़ता है, अगर जड़ी-बूटी का परमिट लेना है तो वह भी उसी खान को मिलता है। (--व्यवधान--)) आप उस खान को देते हैं, बाकियों को नहीं देते हैं। इसलिए इन बातों की ओर ध्यान दीजिए।

24.3.2016/1610/av/ag/2

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इस मान्य सदन का भी धन्यवाद करता हूं।

मैं मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करता हूं कि आप अपनी आयु का ध्यान रखिए। हमारे जैसे आदमी गलती करे तो अच्छा लगता है, कही हुई बात से मुकर जाए तो अच्छा लगता है। आप कम-से-कम अपनी जुबान पर टिका करो।

इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

Chief Minister: Don't teach me manners? I can teach you manners for 20 years. Mannerless man is talking about manners.

अध्यक्ष : मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हमारे पास टाइम कम है और बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं। इसके बाद एक प्रस्ताव और है तथा उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सभी दस-दस मिनट से ज्यादा न बोलें तो अच्छी बात होगी। आज जनमाष्टमी का पर्व है और आप लोगों ने मंदिर भी जाना होगा। इसलिए आप इसको जल्दी से समाप्त कीजिए।

मैं अब श्री जगजीवन पाल जी को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

24.3.2016/1610/av/ag/3

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 130 के अंतर्गत आए प्रस्ताव पर बोलने के लिए अनुमति दी है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

जहां तक इस प्रस्ताव में वर्तमान हालात एवं कानून-व्यवस्था की बात कही गई है तो श्री महेन्द्र सिंह जी इस सदन के काफी वरिष्ठ सदस्य हैं। उसके बाद इसमें बाकी लोगों ने हिस्सा लिया और वे भी काफी सीनियर हैं। जहां तक हिमाचल प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति की बात है तो वह पूरी तरह से नियंत्रण में है।

श्री टी सी द्वारा जारी

24/08/2016/1615/TCV/AS/1

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव) --- जारी

और हिमाचल प्रदेश में लोगों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जा रही है। हमारी सरकार

आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में हिमाचल की जनता की सुरक्षा करने में सक्षम है। मैं बार-बार यह सोच रहा था, जब श्री महेन्द्र सिंह जी कानून व्यवस्था का प्रस्ताव ला करके और बात करते चले गये। कभी मादक पदार्थों की, कभी खाद्य पदार्थों की, कभी ऑक्सीजन/हैल्थ की ये बार-बार बात करते हैं। जितनी बार बोलते हैं, उन्ती बार ऑक्सीजन की बात करते हैं। फिर ऑक्सीजन से उठते हैं, तो सीमेंट के ऊपर चले गये, वहां से उठे तो एल0ई0डी0 बल्ब पर चले गये। उसका जवाब हमारे आदरणीय मंत्री श्री सुजान सिंह पठानिया जी ने दे दिया है। वे बल्ब दिल्ली से आ रहे हैं और हम उसी भाव में लोगों को दे रहे हैं। इनको दिल्ली से सैंटर गवर्नमेंट भेज रही है और हम यहां पर लोगों को बांट रहे हैं। आप 'झूठ' शब्द का प्रयोग न करें यह नॉन पॉर्लियामेंटरी शब्द है। आप भले ही गलत बोल दो। इसके अलावा भी कई और बातें आ गईं, कोई मिट्टी के ऊपर चला गया, कोई कहीं चले गये आप भी 2-3 बार सरकार में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1977 में आई और उसके बाद भी कई बार सत्ता में आई है। कौन सरकार चाहती है कि हिमाचल प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बदतर हों। कोई भी मुख्य मंत्री, मंत्री और विधायक ऐसा नहीं चाहता है। प्रदेश में शान्ति/सुख रहे और खास करके इसक प्रदेश में जो एक देवभूमि है, यहां तो बिल्कुल सुख और शान्ति रहनी चाहिए। ऐसा एक मैसिज़ पूरे भारतवर्ष में जाये लेकिन कुछ घटनाएं जैसे पिछले साल ब्यास में डूबने की घटना हुई, ऐसी घटनाएं कोई करवाई थोड़ी जाती है, हो जाती है। ऐसे ही ये जो अपहरण का केस है, इसमें कोई लापरवाही नहीं बरती गई है और वह पकड़ा गया है। जिन लोगों ने उस बच्चे के साथ ऐसा किया, वे पकड़े गये। हम लोगों को सी0आई0डी0 वालों को शाबाशी देनी चाहिए। आदरणीय रविन्द्र सिंह जी अभी यहां बैठे नहीं है, हमारे चुनाव क्षेत्र में और पहले जो इनका चुनाव क्षेत्र होता था, वहां एक घटना घटी। वहां एक 10 साल की बच्ची से रेप का केस हुआ था और मैं

24/08/2016/1615/TCV/ASC/2

सी0आई0डी0 को शाबाशी भी देना चाहता हूं और उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि उन्होंने इस केस में संलिप्त उस लड़के को पकड़ लिया है। वे भी बार-बार इस केस

को उठाते थे कि वह नहीं पकड़ा गया। ऐसे हज़ारों केस पकड़े गये हैं। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा, इन्होंने पूरे प्रदेश के अन्दर भांग को उखाड़ने का काम 22 तारीख से शुरू करवाया है। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, जितना ये उपद्रव है, ये सब नशे के कारण हैं और नौजवान लोग नशा कर रहे हैं। मोटर साईकल/कारें अंधाधुंध तरीके से चला रहे हैं। इसकी जड़ इस नशाखोरी के पीछे छिपी हुई है। ये बहुत अच्छा अभियान चलाया गया है और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। हमारे कांगड़ा जिला में इसके ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है और वहां के एस0पी0/पुलिस इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि बॉर्डर में कई बिल्डिंगें जिनमें 'भुक्की/चिट्टा इत्यादि मादक पदार्थ बेचेने वाले ठेकेदार बने हुए थे, उनको वहां से भगाया गया है। इसलिए कानून-व्यवस्था की जहां तक बात है,

श्रीमती नीना सूद द्वारा जारी ----

24/08/2016/1620/NS/AS/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल)----- क्रमागत

हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसी स्थिति नहीं है जैसे हमारे साथ लगते प्रदेशों में हैं। मैं खास करके पंजाब के ऊपर कहना चाहूंगा। पंजाब में किसकी सरकार है? पंजाब में अकालियों और भाजपा की सरकार है। वहां पर 70 से 80 प्रतिशत नौजवान नशे की वज़ह से खत्म हो गये हैं। इस बार ओलम्पिक में जो टीम गई थी, उनमें पंजाब के बहुत कम नौजवान थे। पंजाब के खिलाड़ी उन टीमज़ में नहीं थे। पंजाब से 10-10 और 11-11 खिलाड़ियों की टीम होती थी और हॉकी के 8-8 खिलाड़ियों की टीम होती थी। मैं कहने में कोई गुरेज़ नहीं करूंगा कि वहां पर आपकी पार्टी (भारतीय जनता पार्टी)के लोग यह बोलते हैं कि यह अकाली कर रहे हैं। अगर यह सब अकाली कर रहे हैं तो आप उनकी सरकार का साथ क्यों दे रहे हैं? आप उनकी सरकार को छोड़ दो और बाहर निकलो। आप भी उतने ही जिम्मेवार हैं जितने अकाली जिम्मेवार हैं। इसके नतीज़े 2-3 महीने बाद आ जाएंगे। वहां से कानून व्यवस्था खराब हो करके हिमाचल प्रदेश में आ रही है। हिमाचल प्रदेश में सरकारें आपकी भी रही हैं। आप उनके आंकड़े देखें तो उसमें बहुत

साफ है। मेरे पास ये आंकड़े हैं। मैं आपको इन आंकड़ों को पढ़कर सुनाता हूँ। वर्ष 2013, वर्ष 2014, वर्ष 2015 के अपराधिक आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि वर्ष 2013 से 2015 तक अपराधों पर पूरा नियन्त्रण रहा है। वर्ष 2013-15 तक कुल 50,076 अभियोग एफआईआर्ज़ पंजीकृत हुईं और जबकि वर्ष 2010, वर्ष 2011, वर्ष 2012 में 51,621 अभियोग पंजीकृत हुए। इस प्रकार वर्तमान सरकार के पिछले तीन वर्षों के कार्यकाल में पूर्व सरकार की तीन वर्षों की अवधि की तुलना में अपराध में 11545 की कमी आई। कानून व्यवस्था हमारी सरकार की माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में आपकी सरकार से बेहतर है। फील्ड में भी अच्छी है लेकिन वह आपको दिखाई नहीं दे रही है। हमारे एक बड़े आदरणीय वरिष्ठ सदस्य जो एम.पी. भी रहे हैं, जो पहले यहां बैठते थे और अब यहां चले गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी तो उस वक्त भी ये दो मंत्री उनके निशाने पर थे। यह कहते थे कि इन्होंने पूरे हिमाचल को खा लिया और बेच दिया। उसी हालात में/ उसी भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा और एक दूसरी पार्टी बनाई। (व्यवधान) मैं अपने विषय से नहीं हटा हूँ, विषय से आप हटे हैं। लेकिन आज मुझे यह समझ नहीं आया कि

श्री आर० के० एस० द्वारा जारी

24/08/2016/1625/RKS/DC/1

श्री जगजीवन पाल...जारी

आज साढ़े तीन साल के बाद भाई साहब श्री महेश्वर सिंह जी जोकि उम्र और तजुर्बे में मेरे से बड़े हैं पता नहीं इनका, इनसे कैसा प्यार हो गया है। जब ये बकरा लेकर हजारों की तदाद में हॉलीलॉज पहुंचे थे तो वे अपने समर्थकों के साथ यहां पर नाच रहे थे परन्तु पता नहीं आज आप इनके साथ मिलकर बलि का बकरा क्यों बन गए?

श्री महेश्वर सिंह: श्री जगजीवन पाल जी आप चिंता मत कीजिए, आईदा भी अगर कोई उत्सव होगा तो हम बकरा लेकर ही जाएंगे। मैं राजनीति और रिश्तेदारी को साथ नहीं

जोड़ता हूँ।

श्री जगजीवन पाल: मैं भी कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। पता नहीं क्या परिस्थितियाँ बनी, मुझे ऐसा लगता है कि 'ऊंट पहाड़ के नीचे' आ गया।

अध्यक्ष महोदय, बरसातें होती हैं, पिछले वर्ष भी बहुत बरसात हुई। बरसातों में सड़कें खराब होती हैं, यह कोई नई बात नहीं है। बरसातों में सड़कें उखड़ जाती हैं और उसके बाद उन्हें पक्का किया जाता है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने इन सड़कों को पक्का करने के आदेश दे दिए हैं और इसके लिए बजट का प्रावधान भी कर दिया गया है। लेकिन जो आप माफिया की बात कर रहे हैं, ये माफिये कोई साढ़े 3 साल के अन्दर ही तैयार नहीं हुए हैं। चाहे शराब माफिया हो, ड्रग माफिया हो, खनन माफिया हो और चाहे कोई भी माफिया हो, ये सारे माफिया आपके समय से ही पूरा कब्जा किए हुए हैं। माफिया का हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जब ये माफिया हटेगा तभी इस प्रदेश में शांति आएगी। माननीय मुख्य मंत्री जी इसके लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि इन माफियों को हटाया जाए और साफ-सुथरे लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर रहें। पी.डब्ल्यू.डी और आई.पी.एच. के ठेकेदार भी साफ सुथरे हैं। (घंटी) । अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनट ही लूंगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारी कानून व्यवस्था अच्छी है और बिल्कुल नियंत्रण में है। जहां तक छोटी-मोटी घटनाओं की बात है, चाहे ये घटनाएं मण्डी,

24/08/2016/1625/RKS/DC/2

शिमला और कांगड़ा क्षेत्र में हुई हो उन्हें पकड़ा जा रहा है। लेकिन ये घटनाएं सोच-समझकर नहीं की जाती हैं। अंत में आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। प्रदेश सरकार इन घटनाओं से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सतर्क है एवं सक्षम है। हमारे मुख्य मंत्री जी प्रदेश को बिल्कुल ठीक तरीके से चला रहे हैं, आपका धन्यवाद।

श्री एस० एल० एस० द्वारा जारी...

24.08.2016/1630/SLS-DC-1

अध्यक्ष : अब डॉ० राजीव बिन्दल जी चर्चा में भाग लेंगे। ...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज जो डिबेट हो रही है यह पहले एक तरफ़ा ही हो रही थी। मैंने आज तक कभी ऐसी व्यवस्था नहीं देखी। जो डिबेट हो रही है, उसमें यह कहा गया कि पहले विपक्ष के 5 सदस्य बोलेंगे और फिर मुख्य मंत्री उसका उत्तर देंगे, यानी जब कोई डिबेट होती है तो उसमें दोनों पक्षों से बराबर सदस्य भाग लेते हैं। पहले एक तरफ़ से सदस्य बोलता है फिर दूसरी ओर से बोलता है। ...(व्यवधान)... यह हमने प्रोटैस्ट किया तभी अभी यह हुआ है। यह गलत बात है। अगर उधर से 7-8 मँबर बोल रहे हैं तो कांग्रेस की ओर से भी 5 मँबर बोलने चाहिए। Then it is debate. यह नहीं हो सकता कि ये अपना राग अलापते रहें और फिर जो मीनिस्टर है वह उसका उत्तर देगा। Debate is that where Members from both the sides of the House participate. This sort of arrangement is unthinkable.

अध्यक्ष : मेरे पास लिस्ट पार्टियों की ओर से ही आती है। हमें लिस्ट मँबर्ज़ द्वारा ही दी जाती है। ...(व्यवधान)... I must clear it that I don't make list, list is given by the Members of both side.

श्री सुरेश भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष जी, नियम-130 के अंतर्गत जो चर्चाएं होती हैं उसमें पार्टीज लिस्ट देती हैं। हमने 8 मँबर्ज़ की लिस्ट दी थी। उस तरफ़ से किसी ने लिस्ट ही नहीं दी। जब आपकी लिस्ट स्पीकर महोदय के पास नहीं जाएगी तो फिर आपकी तरफ़ से कोई बोलेगा भी नहीं। हम समझते हैं कि आपकी ओर से सरकार को कोई भी डिफ़ेंड नहीं करना चाहता, इसलिए उस तरफ़ से कोई लिस्ट नहीं आई और न ही कोई बोलने के लिए तैयार है। ...(व्यवधान)... जब आपने कहा कि इधर से भी बोलेंगे

तो हमने अपने सदस्यों की संख्या कम कर दी। कई लोगों को नाराज करके हमने अपने स्पीकर कम कर दिए हैं। अब इधर से भी दो सदस्य बोलेंगे और उधर से भी दो ही बोलेंगे, यह प्रावधान किया है।

अध्यक्ष : डॉ० बिन्दल जी, आप अपनी चर्चा शुरू कीजिए।

24.08.2016/1630/SLS-DC-2

डॉ० राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत आदरणीय श्री महेन्द्र सिंह जी, श्री रविन्द्र सिंह और श्री सुरेश भारद्वाज जी ने अत्यंत लोक महत्व का विषय लाया है। जो इस विषय का टैक्सट है, अगर इसको देखें तो यह बहुत विस्तृत है। "प्रदेश के वर्तमान हालात एवं कानून-व्यवस्था"। हालात का अर्थ है कि उसके अंतर्गत अनेक विषयों पर चर्चा हो सकती है। यह अनलिमिटेड विषय है परंतु हम इसके अंदर कुछ सीमा में रहकर कुछ महत्वपूर्ण विषय सरकार के ध्यान में लाने का प्रयास करेंगे। आज प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है? प्रदेश में राज्य का संचालन चुनी हुई सरकार, प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी करते हैं। अब चुनी हुई सरकार की स्थिति क्या है, उस बात पर मैं बाद में आता हूं। परंतु जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी क्या स्थिति है, यह हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश जानता है। मैं बहुत लंबी व्याख्या न करते हुए, जितना कॉडर में डिमोरेलाईजेशन आया है, उसकी चर्चा केवल एक-दो उदाहरण के साथ करता हूं। अखबार ने हाईलाईट किया - 1982 बैच के आई.ए.एस. अफसर रहे बदकिशमत। इसके अंदर बड़ी लंबी-चौड़ी व्याख्या है। यह केवल एक अखबार में ही नहीं, अनेकों अखबारों में निकला। अब क्या वह 1982 बैच वाले अधिकारी नालायक थे? उन्होंने फ़ैसला किया और स्टेटमेंट दी है। "छुट्टी पर गए फलां-फलां।" मैं उनके नाम नहीं लूंगा। अब वह सारे छुट्टी पर हैं। जो एडिशनल चीफ सैक्रेटरी रैंक के लोग सरकारें चलाते रहे और जिनकी सेवाएं वर्षों तक दोनों तरफ की पार्टियों की सरकारों ने ली।

जारी ..गर्ग जी

24/08/2016/1635/RG/AG/1

डॉ. राजीव बिन्दल-----क्रमागत

कौन सी ऐसी स्थिति आ गई कि उनको प्रदेश छोड़कर जाना पड़ा, छुट्टी पर रहना पड़ा और हमारे कॉडर में उसके कारण कितना डिमॉरलाईजेशन आया, इस बारे में सरकार को चिन्तन करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि कोई एक प्रिय हो, उसको लगाएं, कोई परेशानी नहीं है। परन्तु उसके कारण ऐसे अधिकारी जिन्होंने यहां रहकर अपने पूरे जीवन की पूंजी अर्जित की है और सम्मान अर्जित किया है। वे लोग हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाएं और छुट्टी पर रहें। ऐसी स्थिति अगर सरकार के अंदर उत्पन्न हुई है, तो यह सरकार की कार्यशैली का सबसे बड़ा एक उदाहरण है। सरकार ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे कौन सी भावना है, इसको भी हम नज़रन्दाज़ नहीं कर सकते। कौन से ऐसे बेनिफिट्स किनको पहुंचाने के लिए क्या ऐसी मजबूरी आ गई, यह विचार हेतु एक प्रश्न मैंने माननीय मुख्य मंत्री के समक्ष रखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे आगे बढ़ते हैं कि अच्छा काम करने वाले अधिकारियों की क्या स्थिति है? अभी ऊना के डी.सी. का ट्रांसफर किया गया। इनका अधिकार है कि ये एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भी बदल सकते हैं, किसी को भी बदल सकते हैं, डी.सी. को भी बदल सकते हैं। परन्तु यह फैसला रातों-रात होता है और किसी बैंक ग्राउन्ड को लेकर होता है। किन लोगों के गलत कारनामों के ऊपर हमला करने वाले अधिकारी की प्रताड़ना करके उसको दूसरी जगह पर बदलने का निर्णय और दवाब के अंदर ऐसा करना और लगातार इस बात की चर्चा आना कि इस व्यक्ति का स्थानान्तरण इसलिए किया है कि माफिया के गिरोह के लोगों को ये अधिकारी सीधा मुट्ठी में लेने के नकेल कसने की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसा ऊना का उदाहरण हमारे सामने है। उसके कारण क्या डिमॉरलाईजेशन हमारे कॉडर के अंदर आएगी, हमें उसकी चिन्ता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खनन और चरस माफिया पर कार्रवाई के ईनाम में मिलता है तबादला। मैं केवल एक अखबार दिखा रहा हूं, लेकिन मेरे पास पचास अखबार की कटिंग्स अलग-अलग डेट्स की हैं। हमारे सरकार के कांग्रेस पार्टी के नेता के ट्रक को

पकड़ने के ईनाम में उस अधिकारी की प्रताड़ना होती है, प्रताड़ना के बाद उसका स्थानान्तरण होता है। हालात तो यह है कि उनके कार्ड चलते हैं, सिक्का चलता है, माननीय मुख्य मंत्री जी का सिक्का नहीं चलता है। जिनके ट्रक

24/08/2016/1635/RG/AG/2

पकड़े थे उनका सिक्का चलता है, ड्राइवर उनका कार्ड लेता है वह कार्ड अधिकारी को दिखाता है, अधिकारी उसको देखने के बाद बोलता है कि आप जा सकते हैं, आपके ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

मुख्य मंत्री : यह कहां हुआ, किसने किया, आप बताइए। I would like to know. आप जनरलाईज मत कीजिए और कौन सा वह ट्रक का ड्राइवर था और किसका सिक्का चल रहा है? यह बताइए।

डा. राजीव बिन्दल : ठीक है, सर, मैं बताता हूं। बहुत अच्छा हुआ कि आपने यह पूछ लिया। क्योंकि कहीं आपस में भी थोड़ी-बहुत ऊपर-नीचे रही होगी। उसको भी आप यहां सैटल करना चाहते होंगे। दून विधान सभा क्षेत्र का यह मामला है। दून विधान सभा क्षेत्र में प्रदेश के पुलिस ऑफिसर पर खनन और चरस माफिया भारी पड़ने लगा है। वहां पर माननीय विधायक की पत्नी के ट्रक को पुलिस के ऑफिसर ने कॉन्फिसकेट किया और वह पुलिस ऑफिसर 24 घण्टे में लाईन हाजिर हो गया। ये हालात हिमाचल प्रदेश के हैं, ये हालात आपसे भी छिपे नहीं हैं और स्थानान्तरण गृह विभाग का कौन करता है, यह जनाब को भी पता है। सर, स्थानान्तरण आपका अधिकार है।

मुख्य मंत्री : वह किसी कारण से ट्रांसफर नहीं हुए। He is an IPS Officer. He was due for transfer and some other posting.

डॉ. राजीव बिन्दल : हो सकता है। मैं इससे आगे चलता हूं।

एम.एस. द्वारा जारी

24/08/2016/1640/MS/ag/1

डॉ० राजीव बिन्दल जारी-----

हम शराब माफिया का संरक्षण कर रहे हैं। शराब पिछले 60-70 साल से जब से देश आजाद हुआ है, यह प्रदेश बना है तब से चल रही है। आपने और एक नई कारपोरेशन का गठन किया और उसके गठन के पीछे क्या मंशा है, किसको लाभ देने की मंशा है, उसके बारे में सारे प्रदेश का बच्चा-बच्चा जान रहा है परन्तु मैं इससे जुड़ी एक और बात कहना चाहता हूँ। मैं केवल अधिकारियों के डिमोरेलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। जब एडिशनल चीफ सैक्रेटरी रैंक के अधिकारी ने यह कहा कि Sir, this is not right and this is not fair. It is not in the interest of the State. उस अधिकारी का डिपार्टमेंट रात में ही बदल दिया। दूसरा अधिकारी आया और कारपोरेशन की बल्ले-बल्ले और बाकी सब थल्ले-थल्ले। एक रात के अंदर (व्यवधान).....

मुख्य मंत्री: मैं इस बारे में अभी बता देता हूँ। देखिए, बात यह है कि every step has been taken in the interest of the State. आप सब जानते हैं कि यहां पर कई दशकों से कुछ लोगों की मोनोपली बन गई थी। वहीं रिटेलर्ज, वही होलसेलर्ज और जो लाइसेंस होल्डर्ज थे, वही सबकुछ करते थे। हमने कहा कि अब के बाद जितने भी ठेके हैं उनकी ऑक्शन होंगी and there was some opposition. In spite of that we went for auction. और साढ़े तीन सौ करोड़ रुपया उससे प्रदेश को राजस्व प्राप्त हुआ। नहीं तो वह पैसा उन्हीं की जेब में रहता। उसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश में कई अन्य राज्यों की तरह एक कारपोरेशन बनाई जोकि बैवरेजिज कारपोरेशन है जिसका चेयरमैन सैक्रेटरी एक्साइज एण्ड टैक्सेशन है। उन्होंने ही वे लोग नियुक्त किए जिनसे माल आएगा। अब कोई भी अपना माल होलसेल में बेच सकता है। कोई भी अपना डिपो और गोदाम खोल सकता है। यह फर्स्ट टाइम स्टेट में रेगुलेट किया गया है नहीं तो

उनकी ही मनमानी थी। इस तरह से एक ही फैसले से 3.50 करोड़ रुपये की राज्य को राजस्व प्राप्ति हुई है। क्या इससे आपको तकलीफ हो रही है?

24/08/2016/1640/MS/ag/2

डॉ० राजीव बिन्दल: अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी तकलीफ की बात कर रहे हैं। तकलीफ किस-किस को है, वह तो जनता देख रही है ,

मुख्य मंत्री: आपको तो तकलीफ होगी क्योंकि पहले के ठेकेदार आपको फीड करते थे।

डॉ० राजीव बिन्दल: माननीय मुख्य मंत्री जी किसको कौन फीड कर रहा है। जब 15-15 और 20-20 दिन तक शराब नहीं पहुंची तो बाहर के प्रदेशों से स्मगलिंग करके शराब हिमाचल के अंदर बिकी।

मुख्य मंत्री: ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। Sir, I want to say. सुनिए, सुनिए। पहले यह ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था। झारखण्ड की एक फैक्टरी में शराब पकड़ी गई जिसमें 'sale in Himachal Pradesh' लिखा था और उसको भी वहां की सरकार ने पकड़ा। यह बात हमारे फैसले से पहले की है। यानी बाहर से शराब स्मगल करके लाते थे और यहां बेचते थे। उस पर न कोई टैक्स था और न ही कोई पाबन्दी थी। अब यह सब खत्म कर दिया है। आपको तो सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए और सराहना करनी चाहिए। जो लोग आपको फाइनेंस करते थे वे अब आपको ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको इस बात का दुःख है।

डॉ० राजीव बिन्दल: अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तेजित हो रहे हैं। जिस दिन की यह घटना है उसके 12 घण्टे के अंदर मुख्य मंत्री जी ने अधिकारी का विभाग बदल दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया। अगले दिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रैस कान्फ्रेंस करके भी विरोध किया। उसके बाद उस नीति के अंदर सुधार किया परन्तु उसमें भी मेरा यह कहना है कि हमारी 32 कारपोरेशन्ज लगातार घाटे में

चल रही हैं।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

24.08.2016/1645/जेके/एस/1

डॉ0 राजीव बिन्दल:-----जारी-----

33वीं कॉर्पोरेशन और बन गई। मेरी बात यहीं तक है अब मैं आगे चलता हूँ। मुख्य मंत्री जी आपने योजना बनाई होगी कि किसको कहां पर प्रॉफिट देना है वह भी सब ध्यान में आ जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने माना कि यहां पर ठेकेदार माफिया हैं। यह बात रिकॉर्ड में है। आपने बहुत हिम्मत के साथ कही और हम इस बात के लिए आपको बधाई देते हैं। आपने पब्लिक मीटिंग के अन्दर कहा कि ठेकेदार ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं उसके कारण सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हम लगातार कह रहे हैं आप अपने किसी भी एक्सियन कार्यालय की लिस्ट उठा करके देख लीजिए। उस लिस्ट के अन्दर उसके ठेकेदार बन्दे हुए हैं और वे ठेकेदारों को बाकायदा काम की अलॉटमेंट कर रहे हैं। अगर उसकी लिस्ट की सूची निकालेंगे तो उसके पीछे वहां का स्थानीय कांग्रेस का नेता आपको मिलेगा जो उस माफिया का पूरी तरह से लीडरी कर रहा है। आपने यह ठीक कहा कि माफिया काम कर रहा है क्योंकि उसने अपना हिस्सा भी लेना है अगला हिस्सा भी देना है इसलिए काम की क्वालिटी नहीं हो रही है।

मुख्य मंत्री: मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि नाहन पी0डब्ल्यू0डी0 डिविजन में और सर्कल में 80 प्रतिशत ठेके इनके कहने पर दिए जाते हैं। कांग्रेस सरकार होते हुए भी ये ठेके आपके कहने पर दिए जाते हैं। I challenge you to disprove it.

डॉ0 राजीव बिन्दल: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुझे बहुत बड़ा

मैडल दिया और हालत यह है कि पांच एस.ई., पी0डब्ल्यू0डी0 दो साल में बदले, पांच एक्सियन, पी0डब्ल्यू0डी0 दो साल में बदले, पांच एस.ई. आई0पी0एच0 के दो साल में बदले, पांच एक्सियन, आई0पी0एच0 के दो साल में बदले। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। ठेकेदार माफिया आप अपने तरीके से जैसा चाहे कर लें।

24.08.2016/1645/जेके/एस/2

मुख्य मंत्री: पांच एक्सियन, पांच एस.ई. और चीफ इंजीनियर तो पूरे नाहन में तो क्या पूरे सिरमौर में नहीं है।

डॉ0 राजीव बिन्दल: माननीय मुख्य मंत्री जी वे दो साल में बदले। उनको हर छः महीने बाद बदला। आप उनको बदलिए। यह आपकी ही तो डॉयरेक्शन है कि इनके कहने से समाज का कोई भी अच्छा काम नहीं करना। अधिकारियों को प्रताड़ित करना और सुपरसीड करना यह सम्पूर्ण सरंक्षण भ्रष्टाचार के लिए है, ऐसा हमारा आरोप है।

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, चोर का गवाह डड्डू।

डॉ0 राजीव बिन्दल: माननीय अध्यक्ष जी, मैं उस डड्डू का भी उदाहरण दे देता हूँ। दो दिन पहले कांग्रेस की वर्तमान सरकार के चेयरमैन ने सरेआम प्रेस कांफ्रेंस करके आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर ड्रग माफिया जबरदस्त तरीके से सक्रिय है और हिमाचल प्रदेश के अन्दर ड्रग टूरिज्म चल रहा है, यह बात आपके चेयरमैन ने कही।

मुख्य मंत्री: कौन से चेयरमैन ने यह बात कही है?

डॉ0 राजीव बिन्दल: मुख्य मंत्री जी यह बात मेजर मनकोटिया जी ने कही और वह बात सारे अखबारों में छपी और आपने उनको टूरिज्म का चेयरमैन बनाया है।

मुख्य मंत्री: देखिए, जो मेजर मनकोटिया कहते हैं he may not be taken seriously.

डॉ० राजीव बिन्दल: माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के चेयमैन यह कह रहे हैं। हमारे माननीय विधायक ने ठीक कहा कि जो ड्रगज़ हैं उसके कारण प्रदेश का बेड़ा गर्क हो रहा है और उस ड्रग ट्रेफिकिंग को, चाहे वह शराब माफिया हो, ड्रग माफिया उसको कहीं से संरक्षण न मिले ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रदेश हमारा, आपका और सबका है।

श्री एस०एस० द्वारा जारी-----

24.08.2016/1650/SS-AS/1

डॉ० राजीव बिंदल क्रमागत:

अभी ड्रग माफिया की बात हुई, वन माफिया की चर्चा मेरे साथी करते हैं। वे वन माफिया के बारे में चर्चा करेंगे और कर भी रहे हैं। लेकिन एक भर्ती माफिया चला हुआ है। आजकल भर्ती का क्या है? हर रोज़ कंडक्टर की भर्ती का निकलता है। फिर उसका स्टाइल बदल जाता है। फिर वह कोर्ट में चला जाता है, फिर बदल जाता है। फिर स्टाइल बदल जाता है परन्तु हालात जस के तस हैं। वाटर गार्ड भर्ती। अभी-अभी हमारे साथी ने बोला। वाटर गार्ड भर्ती होंगे, उसको हमारे एक्सियन साहब एप्रूव करेंगे, किसको लगायेंगे और किसको नहीं लगायेंगे। वाटर कैरियर भर्ती, एस०एम०सी० भर्ती, सचिवालय में फ्राश की भर्ती और माननीय अध्यक्ष महोदय जो कांगड़ा कॉंपरेटिव बैंक के अंदर भर्ती हुई है वह तो गज़ब की है। उसके अंदर हमारे सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के और जो बैंक के ऑफिसर्ज़ हैं, डायरेक्टर हैं उनके रिश्तेदारों की भर्ती होती है और यह मामला खूब जोरों से हाईलाइट होता है। परन्तु कोई कार्रवाई नहीं होती। सवाल यह खड़ा होता है कि बैंकों के एग्जाम आई०बी०पी०एस० लेता है। काहे के लिए स्कूल बोर्ड ने एग्जाम लिये थे? स्कूल बोर्ड से एग्जाम करवाने की नीयत क्यों पैदा हुई और ऐसी गड़बड़झाला करने के पीछे क्या नीयत थी? यह जो भर्ती घोटाला चला है, ये यहां रूका नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना कि कोई जगह बची नहीं। एस०एम०सी० भर्तियां, वह भी घोटाला। उसके अंदर रिजर्वेशन नहीं है, रोस्टर उसमें एप्लाई नहीं हो रहा। शिडयूल्ड कास्टस/शिडयूल्ड ट्राईब का हक बार करके एस०एम०सी० भर्ती हुई। सीधे-सीधे जिसका वश चला, उसके अंदर भर्ती कर लिया।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे क्षमा करेंगे(***) माननीय अध्यक्ष जी, बिजली के मीटर। बिजली के मीटरों का मामला माननीय सदस्य जी हालत क्या है? कालाअम्ब के अंदर बिल आये। लोग मेरे पास आए। बोले कि 10 हजार का बिल, 18 हजार का बिल, 25 हजार का बिल और शिडयूल्ड ट्राईब का, जिसके पास एक झोंपड़ी है काफी बिल आया। फटाफट हमने एस0ई0 साहब से पता किया। बोले कि अभी हमने मीटर बदले हैं। क्यों बदले? ठीक चल रहे थे पर हमारे को गवर्नमेंट ने भेजा कि इसको ट्रायल के लिए कालाअम्ब में लगाओ। क्यों लगाओ ट्रायल के लिए जब पहले मीटर ठीक हैं? बोले कि नहीं, नहीं, जब

अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया ।

24.08.2016/1650/SS-AS/2

गवर्नमेंट ने भेजे हैं तो वे मीटर बदलने पड़ेंगे। सर, वे मीटर लगाये, इलैक्ट्रॉनिक या जो भी मीटर हैं, भगवान् लगाने वाले का भला करे परन्तु वे मीटर लगाने की ज़रूरत क्या पड़ी? कौन-सी कम्पनी के साथ इस प्रकार की मिलीभगत हुई जो वह ठीक-ठाक मीटरों को बदलने का एक लम्बा-चौड़ा घोटाला माफिया इसके अंदर भी आकर खड़ा हुआ। प्रदेश की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। जिसका बिल 200 रुपया आता था, उसका बिल ढाई हजार, पांच हजार या दस हजार आया और वह बेचारा किसान बिल ले करके जे0ई0 के पास जाता है, जे0ई0 बोलता है कि मेरा कुछ नहीं है यह मीटर रीडिंग लेने वाला आउटसोर्स पर है। वह धन्धा गड़बड़झाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तो क्या हो गया, स्कूलों के अंदर हैल्थ वर्कर्स एप्वाइंट होंगे, उसकी एक कम्पनी लगा दी। वह पता नहीं कहां से कम्पनी आई है? वह कम्पनी उनकी भर्ती कर रही है। वह जी0एन0एम0 की भर्ती कर रही है और बाकी लोगों की भर्ती कर रही है। जब पता किया, उनसे बात की तो बोले कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है हमको तो सरकार जो सूची दे देगी वह भर्ती कर देंगे। भाई सुरेश जी भी चिल्लाते रहे गये कि हमारी एक जी0एन0एम0 टॉपर है उसे लगा लो। बोले ना जी ना, हमको तो जो सरकार देगी उसे लगायेंगे। ये भर्ती घोटाला।

माननीय अध्यक्ष जी, कौशल विकास भत्ता भी एक महाघोटाला है। कौशल

विकास भत्ता जिन लोगों को दिया हुआ है, 40-40 लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जा कर देखो, मशीनें दो हैं, 1500 रुपये की एक मशीन, तीन हजार रुपये का सामान और उससे कौशल विकास चला हुआ है। मैंने डी०सी० सिरमौर के ध्यान में लाया, सारा मामला दिया परन्तु अभी तक कुछ नहीं है।

जारी श्रीमती के०एस०

24.08.2016/1655/केएस/डीसी/1

डॉ० राजीव बिन्दल जारी----

परन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ। बोले कौशल विकास में सिरमौर सबसे आगे हैं परन्तु कौशल विकास में नहीं है, वह जो एन.जी.ओ. लगा रखी है, उसका विकास हो रहा है और थोड़ा-बहुत उस लड़की को, बेचारी को दे कर विकास हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम ठेकेदारी की और सब स्टैंडर्ड की बात करते हैं। एन.एच.-72 के ऊपर हर साल दो बार तारकोल डलता है और तारकोल डलने के बाद वह 15 दिन के बाद उखड़ जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में एक मामला लाना चाहता हूँ। आपने हमारे आग्रह पर बरसात के नुकसान का पैसा भेजा। माननीय वन मंत्री जी ध्यान दें कि वह पैसा जिलाधीश महोदय ने वन विभाग को दो करोड़ रुपये दिया। खजूरना से ले कर कटासन मंदिर के जंगल के अंदर से पानी आता है एन.एच.-72 पर, एन.एच.-72 खराब हो जाता है और कहा गया कि वहां पर कोई पौधे लगाएं, चैक डैम लगाएं। दो करोड़ रु० दस किलोमीटर के जंगल के अंदर लगाया। उसका सवाल उठा। जिला परिषद में सवाल उठा। डी.सी. साहब के पास उठा और फोरैस्ट के अधिकारियों से कहा। उन दो करोड़ रु० की जांच होनी चाहिए। उसमें चार-चार पत्थर लगा कर और आइपोमिया की जड़ें लगाकर वह दो करोड़ रुपया खत्म हो गया। इस बार फिर वही मलबा लोगों के घरों के अंदर, इतनी सी बरसात के अंदर घुस गया। वह दो करोड़ रुपया जनता के हित में नहीं लगा, भ्रष्टाचार के मामले इसी तरह से चल रहे हैं।

मुख्य मंत्री: माननीय सदस्य, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस मामले की जांच की जाएगी।

डॉ० राजीव बिन्दल: धन्यवाद मुख्य मंत्री जी, इसकी जांच होगी तो बहुत अच्छी बात है। सरकार के मामलों की पैरवी करने के लिए और अन्य मामलों की पैरवी करने के लिए वकीलों को जो फीस दे रहे हैं उसका आंकड़ा करोड़ों में पहुंच चुका है और जब हम इस सम्बन्ध में प्रश्न करते हैं तो कहा जाता है कि अभी सूचना एकत्र की जा रही है। क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर वकील नहीं रहे? बाहर से वकील बुला कर उन पर

24.08.2016/1655/केएस/डीसी/2

करोड़ों रुपया क्यों खर्च किया जा रहा है? अध्यक्ष जी, अभी तो जो मामले कोर्ट में चले हैं आप उन पर चर्चा की इजाजत नहीं देते हैं परन्तु हालत क्या है? माननीय मुख्य मंत्री जी दिल्ली जाते हैं, ये दिल्ली जाएं, दिल्ली से पैसा आता है, मिलना चाहिए, आपको जाना ही पड़ेगा। परन्तु मामले की पैरवी करने के लिए जा रहे हैं और प्रदेश का हैलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहा है। अपने मामलों को डील करने के लिए आपको अपनी यात्रा से जाना चाहिए।

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं जब भी हैलीकॉप्टर से दिल्ली गया हूँ। I went for Government work, otherwise I go by road. आप साबित करिए।

डॉ० राजीव बिन्दल: माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि सरकारी काम तो साथ में जोड़ना ही पड़ता है और दिल्ली में माननीय मंत्री के साथ फोटो तो खिंचवानी ही पड़ती है परन्तु जो मूल भावना है, मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले केवल उस मूल भावना के ऊपर आता हूँ कि प्रदेश के वर्तमान हालात कैसे हैं? सड़कें खराब हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी दुखी हैं, परेशान हैं। इंजीनियर इन चीफ को बोलते हैं कि सड़कें क्यों खराब हैं? अधिकारी मानते क्यों नहीं हैं, काम क्यों नहीं होता है, that is due to demoralization in the Cadre. इसलिए वह काम नहीं हो रहा है। वह इसलिए नहीं हो

रहा है क्योंकि माफ़िया काम कर रहा है। नीचे भी माफ़िया और ऊपर भी माफ़िया।

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, आज पोलिटिकल माफ़िया काम कर रहा है। I am going to come to that there is political mafia also working in Himachal Pradesh.

डॉ० राजीव बिन्दल: अध्यक्ष जी, पोलिटिकल माफ़िया है या क्या है, माननीय मुख्य मंत्री जी कई व्याख्याएं कर सकते हैं परन्तु हमारा तो यह कहना है कि उस बेरोज़गार के साथ इस वर्तमान सरकार ने दगा किया है जिसको नौकरियां मिलनी चाहिए थी वह आऊट सोर्सिंग कम्पनियों के पीछे चक्कर काट रहा है।

श्रीमती अ०व० द्वारा जारी---

24.3.2016/1700/av/dc/1

डॉ.राजीव बिन्दल----- जारी

वह एस०एम०सी० की भर्ती के लिए प्रधान, एस०डी०एम० और कांग्रेस के नेताओं के पीछे चक्कर काट रहे हैं। आरक्षण का पूरी तरह से बाई पास हो रहा है। बेरोजगारों को जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी वह भत्ता प्रदेश के युवा वर्ग को नहीं मिला है। आज सड़कों की दुर्दशा हमारे सामने हैं। सारी गर्मियों में पूरा हिमाचल प्रदेश पानी के लिए हा-हाकार करता रहा। चाहे वह पीलिया की दस्तक होती रही या फिर लोग पानी के लिए चिल्लाते रहे। राशन की स्थिति भी ठीक नहीं है। हर तीसरे दिन राशन बदल जाता है, राशन का टैंडर बदल जाता है। हर रोज नई घोषणाएं हाती हैं कि कौन सी बस चलेगी, यह चलेगा परन्तु वास्तव में जो धरातल के ऊपर है वह समझ से बाहर है। यह सरकार पूरी तरह से उन लोगों से घिरी हुई है जो वास्तव में केवल अपने हित की चिन्ता कर रहे हैं और प्रदेश के हित की चिन्ता से दूर है।

मैं अंत में ट्रांसफर माफ़िया की बात करना चाहूंगा। प्रदेश में जो ट्रांसफर माफ़िया काम कर रहा है उससे भी पूरी तरह से बचने की आवश्यकता है। एक तबादला करवाने के

लिए विधायक को 13 बार डी०ओ० देना पड़ा। वह 13 के 13 डी०ओ० कोर्ट में पेश हुए। यह एक उदाहरण है क्योंकि यहां पर एक ट्रांसफर माफिया भी काम कर रहा है। यह सरकार पूरी तरह से जनहित मामलों के अंदर काम करने में विफल हुई है।

माननीय मुख्य मंत्री जी, आपने हमारी बातों का संज्ञान लिया और बीच में रोककर ही अपनी बात कही, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपने वन विभाग में जांच करवाने का आश्वासन दिया है हम उसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करते हैं। मगर काडर की डिमोर्लाईजेशन को अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो स्थिति शायद और बदतर होगी। इतना कहते हुए अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद।

24.3.2016/1700/av/dc/2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य डॉ० राजीव बिन्दल जी ने यहां पर जो विधान सभा सचिवालय में हुई भर्ती के ऊपर टिप्पणी की है मैं उसको डिलीट करने के ऑर्डर करता हूं क्योंकि यहां पर विधान सभा की कार्रवाई चर्चा के लिए नहीं रखी जा सकती।

अब श्री किशोरी लाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, इस मान्य सदन में नियम 130 के अंतर्गत एक प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है कि प्रदेश के वर्तमान हालात और कानून-व्यवस्था पर यह सदन विचार करे।

मैं इस चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। सदन में चर्चा कानून-व्यवस्था पर होनी चाहिए थी मगर कानून-व्यवस्था पर चर्चा होने की बजाय अधिकतर चर्चा राजनीति पर हुई है। बेहतर होता कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने हेतु कोई सुझाव आते मगर ऐसा नहीं हुआ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक मिनट बैठ जाइए। पांच बज गये हैं और सदन का समय भी हो गया है। अभी एक प्रस्ताव और है और एक पर चर्चा चली हुई है इसलिए सदन की बैठक का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

(सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया।)

श्री किशोरी लाल : अगर कानून-व्यवस्था में कमी थी तो उसको सुदृढ़ करने के लिए कोई सुझाव आते मगर ऐसा नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में पिछले साढ़े तीन वर्षों से आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार है। यहां पर माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री है और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करना सरकार का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है।

श्री टी सी द्वारा जारी

24/08/2016/1705/TCV/AS/1

श्री किशोरी लाल जी ----- जारी

कानून -व्यवस्था को कायम रखने के लिए प्रदेश में पुलिस थाने/पुलिस चौकियां है, एस0पी0/डी0एस0पी0 के कार्यालय हैं। पुलिस द्वारा ही कानून व्यवस्था को लागू किया जाता है और ऐसे कई प्रावधान/धारा/कानून हैं लेकिन साक्ष्य न मिलने पर वे सारे-के-सारे धरे रह जाते हैं जैसाकि शिमला की एक बहुत चर्चित घटना है। इसके बारे में पुलिस कार्रवाई करती रही लेकिन दो वर्ष तक उन्हें कोई साक्ष्य नहीं मिले। इसलिए वह पेंडिंग रहा। साक्ष्य मिलने पर जो दोषी थे, वे गिरफ्तार हुए। दोषियों को अवश्य सज़ा मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी पुलिस मामले बनाती है, अदालत में जाते हैं, अदालत में गवाह न मिलने से कई मुलज़िम बरी होते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था वह नहीं है। जो क्रिमिनल व्यक्ति होते हैं , जिन्होंने जुर्म करना होता है, उनको कौन रोक सकता है। उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। उन्हें रोकने के लिए जनता का सहयोग भी ज़रूरी है। सामने कत्ल हो जाता है लेकिन गवाह

नहीं मिलते। पुलिस और सरकार क्या करेगी? जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। पिछली सरकार के समय में क्या कोई अपराध नहीं हुए। क्या उस समय राम राज्य था। मुझे उस सरकार की याद आती है जब देश के प्रधान मंत्री वी०पी० सिंह जी थे और यहां शांता कुमार जी मुख्य मंत्री थे। मंत्रियों और विधायकों ने रेल गाड़ियां रोकी, क्योंकि 27 प्रतिशत आरक्षण ओ०बी०सी० को मिलना था, उससे उनको तकलीफ़ हो रही थी। उस समय रेल गाड़ियां/बसें रोकी गईं और मरीज़ लोग जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सके, उन्होंने रास्तों में ही दम तोड़ दिए। यहां शिमला में एक और घटना घटी। किसानों का एजीटेशन हुआ और उस वक़्त गोलियां चलाई गईं। उस वक़्त किसकी सरकार थी? वह सारी बातें आप भूल जाते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आती हैं और उस वक़्त जो जुर्म होते हैं, क्या आप लोग उनको भूल जाते हैं? उसके बारे में कोई नहीं बोलता। माल रोड़ पर तीन लोगों को घोड़ों से दौड़ाकर लाये और उनको मरवा दिया। आज कोई छोटी-मोटी घटना हो जाती है, तो आप बड़ा हो-हल्ला करते हैं। क्या भ्रष्टाचार के मामले पहले नहीं होते थे।

24/08/2016/1705/TCV/AS/2

पिछली सरकार के समय में बैजनाथ के डी०एस०पी० का कार्यालय ही विद् पोस्ट दाड़लाघाट बदल दिया गया था। क्या बैजनाथ में डी०एस०पी० कार्यालय की ज़रूरत नहीं थी? मैं आभार प्रकट करता हूं, आदरणीय मुख्य मंत्री जी का, बैजनाथ चुनाव क्षेत्र में दो पुलिस चौकियां (चढियार, मुलथान) खोली। वह किस लिए खोली गई है। कानून-व्यवस्था को कायम करने के लिए खोली गई है। एक और घटना बता देना चाहता हूं। कानून-व्यवस्था का भट्टा कौन बैठाता है, प्रदेश में टैंडेंसी एक्ट लागू हुआ। स्वर्गीय चौधरी हरदयाल जी मंत्री हुआ करते थे। उनकी गाड़ी किसने चलाई? जन-संघियों ने चलाई। वे बातें आज आप भूल गये हैं। मैं हकीकत बता रहा हूं कोई फ़ालतू की बातें नहीं कर रहा हूं। ये सच्चाई है। ये यहां पर ड्रग माफिया/भांग माफिया के बारे में बड़ा हल्ला उठा रहे हैं। ड्रगज़ कहां से आ रहा है? ये पंजाब से आ रहा है और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और अकाली की सरकार है। आज कांगड़ा पुलिस धड़ा-धड़ माल पकड़ रही है। प्रदेश में कानून-व्यवस्था दुरुस्त है और छोटी-मोटी घटनाएं होती रहती हैं। यदि पब्लिक साथ दें तो ये सब रूक सकता है। यहां पर पाईपों की बात की गई और

कहा गया कि पाईपें खराब हैं। पहले कौन-से बड़े बड़िया पाईप बनकर आते थे, वे भी जालंधर से बनकर आते थे। उन बातों को सारे भूल जाते हैं क्योंकि जब मलाई खाने को मिलती है, तो अच्छी लगती है और जब मलाई खाने से बाहर हो जाते हैं, तो बुरी लगती है। प्रदेश में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ है और जो गरीब-गुरबे लोग है, उनके ऊपर अत्याचार कम हुए हैं।

श्रीमती नीना सूद द्वारा जारी ----

24/08/2016/1710/NS/AG/1

श्री किशोरी लाल-----जारी

इतना मैं कह देना चाहता हूँ कि आज लोग निडर होकर अपने काम पर जाते हैं। पहले गरीब लोगों पर अत्याचार होते थे और कई लोगों को तो दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन कांग्रेस सरकार की नीतियों की वज़ह से जिन लोगों के पास एक मिर्च उगाने के लिए ज़मीन नहीं थी, उन्हें स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने 10-10 करनाल ज़मीनें दीं। टैनेंट को मालिक किसने बनाया? कांग्रेस सरकार ने बनाया। कांग्रेस सरकार की नीतियां गरीब लोगों, प्रदेश के लोगों के लिए है। इसीलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस ढंग से इनके खिलाफ इस सदन में जब सरकार का गठन हुआ था तो हो-हल्ला मचता रहा। सरकार को काम करने नहीं दिया गया। ऐसा शोर मचाया गया कि वकामुल्ला कौन है? लेकिन निकला क्या? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक चट्टान की तरह इस मामले को फेस किया और जैसे दो बार ये ट्रायल करके वहां से बरी हुए हैं तथा मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी जो झूठा मुकद्दमा इनके ऊपर बनाया गया है, ये उससे भी बरी होंगे और हिमाचल प्रदेश की सेवा करेंगे, फिर सातवीं बार मुख्य मंत्री बनेंगे। यह मेरा एक संकल्प है और मैं इसको दोहराना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत- बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय हिमाचल। जय बाबा बैजनाथ।

Speaker: Please keep your time. श्री रणधीर शर्मा जी ज्यादा समय न लें

24/08/2016/1710/NS/AG/2

श्री रणधीर शर्मा: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य श्री महेन्द्र सिंह जी ने नियम-130 के अन्दर प्रस्ताव रखा था। जिसका विषय "प्रदेश के वर्तमान हालात एवं कानून व्यवस्था पर यह सदन विचार करे।" अभी श्री किशोरी लाल जी कानून व्यवस्था पर विचार कर रहे थे, शायद इन्होंने विषय पूरी तरह पढ़ा नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम आज प्रदेश के वर्तमान हालात पर नज़र डालें तो हमें यह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि आज हिमाचल प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश में न तो कोई विकास कार्य हो रहे हैं और न ही जनता की समस्या का समाधान हो रहा है, कहीं कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। सरकार कहाँ है, यह नज़र ही नहीं आता है। आप चाहे जो मर्ज़ी विषय उठा करके देख लीजिए। हमारे सदस्यों ने विस्तृत रूप से सारी चर्चाएँ की हैं। अगर सरकार नाम की चीज़ होती तो शायद ये स्थितियाँ प्रदेश में नहीं होतीं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार तो वैंटिलेटर पर चली हुई है।

Chief Minister: Sir, let him speak in a parliamentary way. It is very wrong. मैं जानता हूँ कि आप मसकरे हैं, मुंहज़ोर हैं। वैंटिलेटर पर आप होंगे।

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, यह वैंटिलेटर पर चलने वाली सरकार है।

मुख्य मंत्री: इसको रखना है या नहीं रखना है, यह ज़नता के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है।

श्री रणधीर शर्मा: मुख्य मंत्री महोदय, जिस दिन कोर्ट रूपी डॉक्टर वैंटिलेटर हटा देंगे उस दिन यह सरकार और आपकी कुर्सी भी चली जाएगी। यह मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ। मैं यह बातें बोलना नहीं चाहता परन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी टोकेगें तो सब बोलना पड़ेगा।

मुख्य मंत्री: कोर्ट का मामला भी आपकी ही पार्टी का काम है। यह आप ही के लोगों द्वारा चलाया गया है। हम आपको फेस करेंगे। अंत में सच्चाई की ही जीत होती है।

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल सच्चाई की जीत होगी।

श्री आर० के० एस० द्वारा जारी।

24/08/2016/1715/RKS/AS/1

श्री रणधीर शर्मा...जारी

यह सब तय होगा कि सेब स्कूटरों पर ढोये जाते थे या ट्रकों पर ढोये जाते थे। यह सब तय होगा, यह जीत सच्चाई की ही होगी।

मुख्य मंत्री: हम ऐसी बतमीज़ स्पीच सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। Let it speak properly. No, we don't want to listen.

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं।

मुख्य मंत्री: आप जब भी बोलते हैं बतमीज़ी से बोलते हैं, बहस करते हैं और जब मेरी मीटिंग होती है तो उसमें आप बिना बुलाए अंदर घुस जाते हैं।

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, यदि मैंने अनपार्लियामेंटरी शब्द कहे हैं तो आप उन्हें काट दीजिए परन्तु मुख्य मंत्री जी बोलने ही नहीं देंगे तो हम कैसे बोलेंगे? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यदि आप इस तरह हस्तक्षेप करेंगे तो मैं वह सब कुछ बोलूंगा जो शायद मैं बोलना नहीं चाहता या शायद जो हमारे साथियों ने नहीं बोला।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य आप ऑर्गुमेंट मत कीजिए, आप बोलते जाइये।

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, आज हिमाचल प्रदेश में सरकार की बज़ाय माफिया का राज है। पूरी सरकार को माफिया चला रहा है।

Chief Minister: Sir, we don't want to hear him. आप इनको कंट्रोल कीजिए।

माफिया का राज है, ऐसा हो रहा है यह कोई बोलने का तरीका है। आपके और माननीय सदस्य भी बोले, सभी सभ्य तरीके से बोले we may agree with them or may not agree with them.

श्री रणधीर शर्मा: सर, आप मेरी बातों का काट दीजिए परन्तु अभी तो बोलने दीजिए। आपने मेरे बाद ही बोलना है, आपने जो बोलना है बोलिए।

24/08/2016/1715/RKS/AS/2

मुख्य मंत्री: आप कहीं भी खड़े हों, चाहे चुराहे, सड़क, घर और चाहे किसी भी पार्टी में हो आप सिवाय बतमीजी के कुछ करते ही नहीं है।

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मुख्य मंत्री की शान के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। मैं सरकार को वेंटिलेटर पर बताया और सरकार की जगह माफिया राज को बताया। इस पर मुख्य मंत्री जी क्यों परेशान हो रहे हैं? इनको सरकार के हालात सुधारने चाहिए और माफिया राज को खत्म करना चाहिए। इनके आदमी भी इस बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि डॉ० राजीव बिन्दल जी ने कहा कि टूरिज्म विभाग के वाइस चेयरमैन कह रहे हैं कि टूरिज्म विभाग में ड्रग टूरिज्म आ गया है। आप उनको नॉन सीरियस कह रहे हैं तो आपने नॉन सीरियस आदमी को चेयरमैन क्यों बनाया? क्यों सरकारी पैसा खर्च किया जा रहा है? बिलासपुर में एक चेयरमैन बोलता है कि फलां डिविज़न में अवैध वन कटान हो गया। उसकी एफ.आई. आर. दर्ज होनी चाहिए। वन माफिया शक्ति है यह मैंने तो नहीं कहा, आपके आदमी ही कह रहे हैं। आप अखबारों में पढ़िए। आपने जिस व्यक्ति को बिलासपुर से चेयरमैन बनाया, उसे कैबिनेट का रैंक दिया गया है और उसी ने अखबारों में दिया है कि बिलासपुर में वन माफिया शक्ति है। क्या वे भी नॉन सीरियस है, वे तो आपके बहुत चेहते हैं और आपके दाहिने हाथ हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था के बारे में भी बोला है। माफियावाद है, यह हम ही नहीं कह रहे हैं परन्तु आपके कर्णधार जिनको आपने सरकारी गाड़ियां दी है, जो सरकारी खर्च पर दौड़ते हैं

और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचा रहे हैं वह भी इस बात को कह रहे हैं।

मुख्य मंत्री: यह बिलासपुर की अन्दरूनी लड़ाई है।

श्री रणधीर शर्मा: सर, वह लड़ाई आपने दूर करनी है, मैंने नहीं करनी है। इससे प्रदेश में क्या संदेश जाएगा? मुख्य मंत्री महोदय यह सच्चाई है।

मुख्य मंत्री: आप मेरे ऊपर भाषण मत दीजिए।

24/08/2016/1715/RKS/AS/3

श्री रणधीर शर्मा: अगर आप बोल रहे हैं तो मुझे आपके सामने ही बोलना पड़ेगा। भगवान ने मेरी सीट आपके आमने-सामने दे दी तो मैं इस पर क्या कर सकता हूँ? मैं पीछे मुड़कर तो बोल नहीं सकता, मुझे आगे ही बोलना पड़ेगा। डॉ० राजीव बिन्दल जी ने शराब माफिया के बारे में बड़े विस्तार से चर्चा की। जो ठेकेदार थे वे आपको कमीशन देते थे। पिछले वर्ष आपने एक कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया कि पुराने ठेकेदारों से शराब के ठेके वापिस लेंगे तथा ठेकों की दोबारा से नीलामी की जाएगी। लेकिन 20 दिन बाद आपने दोबारा कैबिनेट निर्णय लिया कि पुराने ठेकेदारों को ही ठेके दिए जाएंगे। क्या आपको इसका कमीशन मिला? क्या आपने कमीशन लेकर अपना निर्णय बदला था? आपने 15 दिन के बाद उन्हीं ठेकेदारों को कॉटिन्यू किया। आपने इसकी कमीशन ली, आपके मंत्री ने ली और आपकी सरकार ने ली। आप दूसरों पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है तो आप उन लोगों के नाम बताईए जिन लोगों की शराब सप्लाई करने के लिए कॉरपोरेशन बनी है,

श्री एस० एल० एस० द्वारा जारी...

24.08.2016/1720/SLS-as-1

श्री रणधीर शर्मा ..जारी

वह कौन-कौन लोग हैं? किस-किस के नाम उस कार्पोरेशन में हैं? मुख्य मंत्री जी, अगर हिम्मत है तो वह सूची सदन के पटल पर रखिए। उससे पता लग जाएगा, जाहिर हो जाएगा कि वह कौन-कौन लोग हैं जो प्रदेश को लूट रहे हैं और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ रहे हैं।...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : मुझे मालूम नहीं है कि किस-किस को काम मिला है। It is not my job. मगर अगर आप चाहते हैं you can ask a question and get the information.

श्री रणधीर शर्मा : अगर आपका जौब नहीं है तो किसका जौब है?

खनन माफिया पर यहां पर बहुत चर्चा हुई है। हालात आप सबके सामने हैं। अध्यक्ष महोदय, हालात तब बहुत बुरे लगते हैं जब हिमाचल की जनता का सिर शर्म से झुकता है। जब हिमाचल के मुख्य मंत्री के बारे में अखबारों में ब्यान छपते हैं कि सी.बी.आई. ने उनके ठिकानों पर छापे मारे। उनके बैंक के खाते सील होते हैं, उनकी पत्नी को ई.डी. पूछताछ के लिए बुलाती है, उनके सहयोगी को अरैस्ट किया जाता है और मुख्य मंत्री जी को रातोंरात कैबिनेट बुलाकर एक लाईन का प्रस्ताव पास करवाना पड़ता है कि सारी सरकार मेरे साथ है, तब प्रदेश की जनता का सिर शर्म से झुकता है।...(व्यवधान)... हालात इतने बदतर हैं। ... (व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : ऐसा है, हालात बदतर नहीं हैं। इससे लगता है कि आज भारत सरकार किस तरह से चल रही है। राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से चल रही है। मैं पहले कह चुका हूँ कि There is a conspiracy against me in which Shri Prem Kumar Dhumal and his two sons (***) are involved. I will say it here and I will say it in every court of Himachal Pradesh. I know it. "मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।" ... (व्यवधान)...

*** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

24.08.2016/1720/SLS-as-2

प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री हर इसु पर इंटरफियर कर रहे हैं। कल भी इन्होंने इस तरह का भाषण यहां पर किया था। मैं व्यक्तिगत आरोपों

में जाना नहीं चाहता था, लेकिन आपने जो तथ्य कल यहां रखे हैं, उनको पढ़कर हैरानी होती है। इस्पात उद्योग पर छापा पड़ा, जब आप इस्पात मंत्री थे। ... (व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : मेरे ऊपर कोई छापा नहीं पड़ा।

प्रोफ़ेसर प्रेम कुमार धूमल : किसकी सरकार थी? मैं कह रहा हूँ कि उद्योग पर छापा पड़ा, सुन लीजिए।

मुख्य मंत्री : मेरे ऊपर कोई छापा नहीं पड़ा; कभी भी नहीं पड़ा। अबकी बार हुआ जब केंद्र में आपकी सरकार है।

प्रोफ़ेसर प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, इस्पात उद्योग एक फर्म का नाम है। उस फर्म की डायरी में आपका नाम आया। वर्ष 2009 में यह छापा पड़ा और यह यू.पी.ए. गवर्नमेंट के समय पड़ा। डॉ० मनमोहन सिंह उस समय प्रधान मंत्री थे और चिदम्बरम जी वित्त मंत्री थे। जितना अमाऊंट वी.वी.एस. के नाम लिखा हुआ था, उतना ही अमाऊंट आपके खाते में आ गया। क्या कारण है कि आपके बगीचे में 3 साल जो सेव पैदा हुए वह करोड़ों के थे जबकि पहले इनकम टैक्स रिटर्न में आपने 7.35 लाख रुपये भरे, दूसरे में 15.00 लाख रुपये भरे और तीसरे साल 25.00 लाख रुपये भरे जो कुल 47.35 लाख रुपया बनता है। यह सारे डाकुमेंट्स अखबारों में छपे हुए हैं। उसके बाद वह 6.56 करोड़ रुपये के हो गए। पहले भी कम होते थे, बाद में भी कम हो गए। फिर वह 3 साल में गोल्डन पीरियड कैसे आया? षड़यंत्र हमने रचा और पैसे आपके बढ़ गए; सेव आपके ज्यादा हो गए। षड़यंत्र हमने रचा और अपना मकान आपने किराये पर दे दिया।

मुख्य मंत्री : यही तो आपकी एक्युजेशन है। Prove it in the Court of Law.

Prof. Prem Kumar Dhumal: It is not my duty to prove it.

24.08.2016/1720/SLS-as-3

Chief Minister: No, it is you, who have carried this thing. It is your son who has done it. (***)

*** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया ।

जारी ..गर्ग जी

24/08/2016/1725/RG/DC/1

मुख्य मंत्री की अंग्रेजी के पश्चात-----क्रमागत

इंफोर्समैनट किसके अण्डर है? (***) इन्कम टैक्स किसके अण्डर है? (***)
....(व्यवधान)___ भले ही सी.बी.आई. डायरेक्टली जेटली साहब के अण्डर नहीं हैं
(***) सारे उसके ऑफिसर्ज हमसे बात करते हैं।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : जब आपसे बात करते हैं, तो फिर आपके ही अण्डर हुए। फिर जो कर रहे होंगे, आपके कहने के अनुसार कर रहे होंगे।

मुख्य मंत्री : बैठो-बैठो, सुनो।

Prof. Prem Kumar Dhumal : Why should I? क्या यह आपको अधिकार है कि हर किसी को गाली निकालकर चलते बनो। मुख्य मंत्री की सीट बहुत कम्फर्टेबल है, इस पर आराम से बैठे रहो।

Chief Minister : You are the conspirator. उठकर फाईट करो। कागजों के जरिए मत लड़ो मेरे साथ।

Speaker : Please no arguments.

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, षडयन्त्र हम रचते हैं और फायदा इनको होता है, षडयन्त्र हम रचते हैं प्रॉपर्टी इनकी बढ़ती है। मेरा निवेदन यह है कि आप जैसे केस लड़ रहे हैं, वैसे लड़िए। दोषारोपण से कुछ नहीं होगा।

मुख्य मंत्री : मैं फैक्ट्स बोल रहा हूं, सभी इस बात को जानते हैं।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, इनका यह कहना था कि धूमल इरेलीवेंट हो गया। इसकी कोई नहीं सुनता। लेकिन आज सी.बी.आई. भी मेरे कहने पर काम कर रही है, ई.डी. भी मेरे कहने पर काम कर रही है और इनकम टैक्स भी मेरे कहने पर

काम कर रहा है।

मुख्य मंत्री : नहीं आपके कहने से नहीं कर रहा है, आपने (***)उनको इस्तेमाल किया है।

श्री रणधीर शर्मा : आपके पास क्या तथ्य है?

*** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

24/08/2016/1725/RG/DC/2

Chief Minister : I say it.

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : बताइए कैसे किया? You simply say something.

Chief Minister : I said that.

श्री रणधीर शर्मा : आप ऐसे ही कहे जा रहे हैं, आप तथ्यों पर बात करें। आप सबके सामने यहां बताएं कि यह कैसे हुआ?

Prof. Prem Kumar Dhumal: You simply say something.

Chief Minister: I have heard from the horse's mouth.

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि तीन-तीन एजेन्सीज एक ही काम की जांच कर रही हैं। यदि एक व्यक्ति किसी घर में जाता है वह चोरी करता है, तो चोरी का केस बनेगा, वह वहां बलात्कार करता है, तो बलात्कार का केस भी बनेगा और अगर वह बलात्कार के बाद कतल करता है, तो कतल का केस भी बनेगा। तीनों अलग-अलग केस बनेंगे। अगर इनकम टैक्स की चोरी होगी, तो इनकम टैक्स का केस बनेगा, अगर मनी लॉन्ड्रिंग होगी, तो ई.डी. का केस बनेगा और अगर किमीनल साइड होगी, तो सी.बी.आई. वाले केस बनाएंगे।

मुख्य मंत्री : मैं यह कहता हूं कि let the court decide.

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : इसलिए हर चीज में यह कहना कि प्रेम कुमार धूमल और इनके लड़के ऐसा कर रहे हैं। इनके साथ इनका यह एक स्टार्डिल बन गया है। हर चीज के

लिए हमें दोषी ठहराते हैं। हमने इस तरह की राजनीति न कभी की है और न कभी करेंगे। ये हर बार कह देते हैं कि मैंने दो मुकदमे भुगते। आपने हमारे कारण कौन सा मुकदमा भुगता? आप उसी मनकोटिया को जिसको आप कहते थे कि क्रेडीबल नहीं है, उसके खिलाफ आपने केस किया था। आपने हाई कोर्ट से जाकर स्टे लिया, आपकी धर्मपत्नी और आपने कहा कि इस सी.डी. को बजाने की इजाजत नहीं दी जाए। कोर्ट में आप जून 2007 में केस लेकर गए, हाई कोर्ट ने स्टे दिया। उसके बाद आपने वहां प्रोमिस किया कि विजिलेंस जांच करेगी। विजिलेंस ने जांच की, सरकार बदल गई। जब रिपोर्ट आई, तो उसके बाद उनके पास रिपोर्ट तो जानी ही थी। आपके ऊपर हमने कौन सा केस बनाया? हर बार आप कह

24/08/2016/1725/RG/DC/3

देते हैं कि इन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया और जिस तरह आप सागर कत्था वाला केस कहते हैं यदि उसको न ही छेड़ें, तो ज्यादा ठीक है।

मुख्य मंत्री : ठीक है, ठीक है।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : क्योंकि जिस दिन चार्जिज फ्रेम होने थे उस दिन तो फाईल मंगा ली गई। उसके बाद दुबारा जांच करके जिस ऑफिसर ने जांच की, उसको आपने स्टेट ट्रिब्यूनल का मेम्बर बना दिया।

मुख्य मंत्री : ऐसा है कि उस महकमे से मेरा न लेना और न देना है। न मैं वन मंत्री था, आपने मुझे उसमें फिजूल में फसाया। I have nothing to do with it. आपने दो बार मेरे खिलाफ फौजदारी के मुकदमे चलाए। I face Session trial twice and both time you were the Chief Minister and at that time I was acquitted by the Courts. लेकिन आपकी नापाक कोशिशों के बावजूद मैं बच गया।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : मैंने आपको पहले ही एक केस मनकोटिया वाला बता दिया। अध्यक्ष महोदय, वह फाईल पण्डित सन्त राम, वन मंत्री ने भेजी थी कि 'Let the matter be taken to the Cabinet' यह पहले ऐग्री किए, अब आपने बात छेड़ दी, तो सुन भी लो। आप ऐग्री किए कि Let it be taken to the Cabinet for decision, later on elections were declared and you called back the file और आपने उसमें ओवर राइटिंग की और उसमें आपने लिख दिया 'I have reconsidered the matter' सही

शब्द आप देख लेना। वह फाईल अब भी रिकॉर्ड में होगी।

Chief Minister : It was not the matter of reconsideration मेरे पास वह वह फाईल आने की जरूरत ही नहीं थी। It was the case of Forest Department, not my Department.

Prof. Prem Kumar Dhumal: I have reconsidered the matter there is no need of carrying. As Chief Minister you absorbed on that file. 'There is no need of carrying this file to Cabinet. Let 25% be given to Sagar Katha and the price will be decided by twelve of half percent which is remaining'.

एम.एस. द्वारा जारी

24/08/2016/1730/MS/dc/1

मुख्य मंत्री: आपने मुझे प्रोसिक्यूट किया और सारे एविडेंस भेजते रहे but I was acquitted by the Court.

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: मैं वही तो कह रहा हूं। जिस अधिकारी से आपने वह जांच दुबारा करवाई और जिसने आपको क्लीन चिट दी, उसको आपने ट्रिब्यूनल का मैम्बर बनाया।

मुख्य मंत्री: चालान तो आपने पेश किया था।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: चालान हमने पेश किया लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद आपने कहा हमारी सरकार फिर जांच करना चाहती है। जिस ऑफिसर ने जांच की उस ऑफिसर ने आपको क्लीन चिट दी और उसको ट्रिब्यूनल का मैम्बर बना दिया गया। इस तरह की राजनीति आप करते रहे हैं। अपने लोगों पर केसिज बनाते रहे हैं।

मुख्य मंत्री: ठीक है। आप ही ठीक हैं और आप तो सत्यवादी हरिशचन्द्र हैं।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: अगर आप मान रहे हैं तो फिर ठीक है।

मुख्य मंत्री: आप सत्यवादी हरिशचन्द्र हैं। आप बैठिए।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष जी, ये बड़े ठाठ से बोलते हैं कि मैंने केस भुगतते और मैं बरी हुआ। आपने एक अधिकारी के मामले में मेरे ऊपर केस बना दिया।

मुख्य मंत्री: जो आपने मेरे ऊपर झूठे मुकदमे चलाए यदि मैं चाहता तो उसके लिए मैं आपके ऊपर मानहानि का दावा कर सकता था।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: ए०एन० शर्मा के मामले में आपने केस किया। उच्च न्यायालय में वह एफ०आई०आर० कैंसिल हुई। आप सुप्रीम कोर्ट गए और हर बार कहते हैं कि यह तो ऐसे ही मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि there is no legal and valid reason to interfere here .वहां सुप्रीम कोर्ट से हम केस जीते हैं। यह भी ऐसा ही है जैसे आपका है।

मुख्य मंत्री: मैं अपने ऊपर केस की बात कर रहा हूँ।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: हमारे ऊपर जो आप करो वह ठीक है?

24/08/2016/1730/MS/dc/2

मुख्य मंत्री: हमने आपके ऊपर कोई केस नहीं किया।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: आपने किया है।

मुख्य मंत्री: नहीं किया है लेकिन आइन्दा सोचेंगे।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल:आपने डॉक्यूमेंट फोर्ज करवाए।

मुख्य मंत्री: इस काम में तो आप एक्सपर्ट हैं। सारे फॉर्जरी करने वाले आपके ही सेवक हैं।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: आप बैठिए। अब आप एक्सपोज हो रहे हैं तो क्यों इस तरह कह रहे हैं।

मुख्य मंत्री: फॉर्जरी करने वाले, डॉक्यूमेंट्स को फाड़ने वाले और नये पैराग्राफ को जोड़ने वाले आपके मुंह लगे हैं। इसलिए मेरा मुंह मत खुलवाइए। You will suffer for it.

प्र० प्रेम कुमार धूमल: इन्होंने एक अधिकारी जोकि मेरे कार्यालय में काम करता था उनसे बयान दिलवाया। उसने एक ऑर्डर बनाया कि ऐसा कर दिया जाए और उस ऑर्डर में मेरे हस्ताक्षर ही नहीं थे। वह केस मेरे ऊपर बना दिया। वह एफ०आई०आर० फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर कैंसिल हुई। लेकिन हर जगह ये कोशिश कर रहे हैं। अनेकों केसिज इन्होंने अनुराग के ऊपर बनाए और वे केस धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं। मेरा कहने का भावार्थ यही है कि आप इस तरह टर्म मत कीजिए कि जो आपके साथ हो रहा है वह कोई दूसरा कर रहा है। आप आत्म-चिन्तन कीजिए। आपकी जो एज और स्टेज है,

मुख्य मंत्री: मैं आत्म-चिन्तन करता हूं। आपसे पहले श्री शांता कुमार जी भी इस प्रदेश के दो दफा मुख्य मंत्री रहे। उनके और हमारे राजनीतिक मतभेद भी रहे परन्तु उन्होंने शालीनता के साथ शासन चलाया। आपकी तरह गुण्डागर्दी से नहीं।

प्र० प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष जी, आप भी इस सदन में सदस्य थे जब शांता कुमार जी की बनने की संभावना थी। तब ये कहते थे कि शांता कुमार ने 35000 कर्मचारी निकाल दिए, गोली चला दी। अभी आपके सदस्य श्री किशोरी लाल जी बोल रहे थे कि बागवानों पर

24/08/2016/1730/MS/dc/3

गोलियां चला दीं और कर्मचारियों पर हाथी-घोड़े चढ़ा दिए। जिससे आपको खतरा होता है, जिससे आपको चैलेंज होता है, उसको आप व्यक्तिगत तौर पर...

मुख्य मंत्री: उस सरकार में गलतियां हुईं मगर व्यक्तिगत रूप से शांता कुमार जी ने शालीनता के साथ शासन चलाया। किसी राजनीतिक विरोधी को तंग नहीं किया। झूठे मुकदमे नहीं बनाये जैसे आप कर रहे हैं। You are master mind in that.

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: जो आपने किया और आप कर रहे हैं, उस मामले में आप एक्सपर्ट हैं।

मुख्य मंत्री: मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया। अगर मैं करता तो आज आप यहां नहीं होते।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: आप उस मामले में एक्सपर्ट हैं। आपने आठ केस बनाए हैं और जिनसे मेरे खिलाफ शिकायत करवाई उनको आपने डिप्टी एडवोकेट जनरल बना दिया। क्या हम नहीं जानते?

मुख्य मंत्री: ठीक है, माफ कीजिए।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल: आप मानते हैं कि ऐसा हो गया, फिर ठीक है। चलो! अध्यक्ष जी, छोड़ते हैं अब ये मान रहे हैं।

अध्यक्ष: अब माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी चर्चा में भाग लेंगे। आप अपने प्वाइंट्स कृपया ब्रीफ में बोलें।

24/08/2016/1730/MS/dc/4

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष जी, ठीक है। वैसे भी काफी बातें जो मैंने बोलनी थी वे तो आ ही गई हैं। मैंने जैसे कहा था कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, ये कैसे झलकता है, देखिए। मैं एक प्रश्न पिछले डेढ़ साल से कर रहा हूँ कि मुख्य मंत्री और मंत्रियों ने इस कार्यकाल में कितने दिल्ली के दौरे किए? उन दौरो के क्या उद्देश्य थे तथा उन पर कितना खर्चा आया? हर बार यही जवाब आता है

जारी श्री जे०एस० द्वारा-----

24.08.2016/1735/जेके/एजी/1

श्री रणधीर शर्मा:-----जारी-----

कि सूचना एकत्रित की जा रही है। अब जो सरकार जी०ए०डी० से 15 मिनट का काम है, यह सूचना नहीं ले सकती कि मुख्य मंत्री व मंत्रियों ने दिल्ली के दौरे क्यों किए, कितने किए, कितना खर्च आया तो हम कहेंगे ही कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर मुख्य मंत्री जी परेशान हो जाते हैं। मैं यह तो पूछ ही नहीं रहा हूँ कि मुख्य मंत्री जी दिल्ली क्यों गए यह तो सारी जनता जानती है। ये बार-बार क्यों दिल्ली जाते हैं और किन दिनों जाते हैं, यह सब जानते हैं और उसके बारे में बोलने की यहां पर जरूरत नहीं है। सारे जानते हैं, परन्तु खर्चा कितना हुआ? सरकार ने खर्चा, प्राइवेट ने खर्चा, किसने खर्चा, थोड़ा जनता को पता तो लगे यह हमारा अधिकार तो है। इसकी सूचना तीन साल से नहीं दी जा रही है। परसों हम यहां विधान सभा सेशन में आए। हमने प्रश्न लगाया। पहला प्रश्न लगा। अभी बड़ी चर्चा की जा रही थी कि कॉलेजिज खोल दिए, स्कूल खोल दिए। हमने इतना पूछा कि आपने साढ़े तीन साल में कितने कॉलेज खोले, कितने स्कूल खोले, उनमें कितनी पोस्टें आपने सेंक्शन की और कितनी पोस्टें भरी? ज़वाब आया सूचना एकत्रित की जा रही है। अब हम क्या मानें कि सरकार है या नहीं? आप बताइए। फिर मुख्य मंत्री जी गुस्सा होते हैं। मैंने अध्यक्ष महोदय प्रश्न किया उसका यह उत्तर है। मैंने पूछा था कि क्या यह सत्य है कि सरकार ने जिला बिलासपुर में सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डल बस्सी के अन्तर्गत स्थित चंगर क्षेत्र मध्यक्ष सिंचाई परियोजना के डिविजन को बन्द कर दिया है? ज़वाब आया, नहीं। मेरे पास नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार लिखा गया है कि The Governor Himachal Pradesh पहले तो यह लिखा है कि ये पोस्टें ट्रांसफर वहां से मतियाना की। मैडम जी मंत्री हैं इनके चुनाव क्षेत्र में कोई डिविजन खुला। सारी की सारी 21 पोस्टें पहले वहां ट्रांसफर हुईं। फिर उसमें आगे लिखा जाता है कि The Governor Himachal Pradesh is further pleased to order the disband/closure of the Office of Changer Area Medium Irrigation Project, Division Bassi. यह नोटिफिकेशन भी सरकार की है। यह ज़वाब भी

24.08.2016/1735/जेके/एजी/2

सरकार का है। अब क्या मानें की सरकार है या नहीं है? वेंटिलेटर पर भी कितनी है या कितनी नहीं है यह भी शक हो रहा है। ये हालात सरकार के है। अध्यक्ष महोदय, मैं बिना तथ्यों से बात नहीं कर रहा हूं। अब ये हालात है और उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं और हमने बड़े इन्स्टिट्यूट्स खोल दिए। धर्माणी जी कह रहे थे कि नैनादेवी में कॉलेज दे दिया। धर्माणी जी नैनादेवी में 16 साल से प्राइवेट कॉलेज है। एच0पी0 यूनिवर्सिटी का रिकोगनाइज्ड कॉलेज है। वहां का मालिक भी कह रहा है और वह एडमिनिस्ट्रेशन भी कह रहा है। उनके पास 15 बीघा जमीन है और पूरा स्टाफ है। वे कह रहे हैं कि हमारा ही कॉलेज ले लो, टेक ओवर कर लो। आपको जमीन भी मिलेगी, बिल्डिंग भी मिलेगी और जो स्टाफ 5-6 लैक्चर्ज़ हैं उनको भी रख लो। अब यह सरकार उस कॉलेज को नहीं ले रही है। ये जो नॉन सीरियस चेयरमैन है इनके कहने पर नया कॉलेज खोल दिया वह भी उस धर्मशाला में जो टैम्पल ट्रस्ट ने गरीब श्रद्धालुओं के लिए बनाया है। मुफ्त में कॉलेज मिल रहा था और उसमें 15 बीघा जमीन मिल रही थी, बिल्डिंग मिल रही थी। उसको लेने के बजाए आप कर्जदार प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं और मैंने आपको मैमोरेण्डम भी दिया था। मैंने कहा था कि जब वह मैनेजमेंट देने को तैयार है तो आप उसी को टेक ओवर कर लो, परन्तु आपने नहीं किया। अब क्या बोलें? इस सरकार को बोलें तो क्या बोलें आप बताइये? बहुत से कॉलेजिज आपने टेक ओवर कर लिए। संजय जी आपके चेहेते विधायक हैं, इनके वहां का टेक ओवर हो गया। अलग-अलग कानून है। फिर आप बोलते हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है। आप बोलते हैं कि हम इन्स्टिट्यूट्स खोल रहे हैं। नैनादेवी में एक सब इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। आप बोलते हैं कि हम बेरोजगारों के चेहेते हैं उनको कौशल विकास भत्ता और बेरोजगारी भत्ता कितना दिया? कितना दिया, उसके बारे में मेरे साथी ने कहा मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। उस नैनादेवी सब इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में तीन महीने से कोई क्लर्क नहीं है। वहां पर एक भी आदमी नहीं है और ताला लगा है। आप नये इन्स्टिट्यूट

दे रहे हो। आप तहसीलें खोल रहे हैं, एस0डी0एम0 ऑफिस

24.08.2016/1735/जेके/एजी/3

खोल रहे हो। आप से एक सब इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तो चलती नहीं है। मैंने नोट दिया था कि वहां पर एक अपंग लड़का लगा था सीनियर असिस्टेंट था। उसमें कहा गया कि यहां पर सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट नहीं है यहां पर जूनियर असिस्टेंट आएगा। आप वहां पर जूनियर असिस्टेंट ही ला दो। वह अपंग व्यक्ति तो तीन महीने से छुट्टी पर बैठा है, परन्तु यह सरकार उसको वहां पर नहीं लगा रही है। ये हालात सरकार के हैं। क्या-क्या बातें करें और किन-किन बातों का जिक्र करें। आज डॉक्टरों की क्या हालत है? हमारे मार्केड

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

24.08.2016/1740/SS-AG/1

श्री रणधीर शर्मा क्रमागत:

सी0एच0सी0 है, करोड़ों रुपये खर्च करके हमने बिल्डिंग बनाई है। वहां एक भी डॉक्टर नहीं है। पी0एच0सी0, मलोखर, हमने बिल्डिंग बनाई, उद्घाटन किया, ढाई साल से वहां कोई डॉक्टर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 10 डॉक्टरों की पोस्टें मेरे विधान सभा क्षेत्र में खाली हैं। फिर मैं क्या मानूं कि सरकार है कि नहीं है। मेरा एक भी सीनियर सैकण्डरी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें टीचरों की संख्या पूरी हो। हम कैसे मानें कि सरकार है कि नहीं है। 12 बस रूट बाली जी ने बंद कर दिये, मेरे बार-बार बोलने पर भी वे बस रूट बहाल नहीं हुए। आज 25 बसें बिलासपुर के एच0आर0टी0सी0 डिपो में खड़ी हैं परन्तु वे 12 रूट बहाल नहीं हुए। क्या दोष है जनता का कि बी0जे0पी0 के एम0एल0ए0 को वोट डाल दिये? यह है लोकतंत्र? ऐसी चलती हैं सरकारें? आज जनता परेशान है। अहम है कि मुझे यहां से वोट नहीं मिले, यहां का बस रूट बंद होगा। बसें खड़ी हैं, केन्द्र से जवाहर लाल नेहरू मिशन के अन्तर्गत आई हैं परन्तु वे बस रूट बहाल नहीं हुए। अध्यक्ष महोदय, हम क्या मानें? आप बताइये। कैसे मानें कि यह सरकार चल रही है? फिर आप

बोलते हैं कि बोलो ना, कम बोलो, तीखा न बोलो। हम तो प्यार से बोलना चाहते हैं और बोले भी कहां? यहां आप रोक देते हैं। विधान सभा में मुख्य मंत्री जी बोलने नहीं देते। जनसभा में जन-प्रतिनिधि को बोलने से रोक दिया जाता है। बोलने से, रोकने से आगे बढ़कर धक्के दिये जाते हैं और मुख्य मंत्री देखते रहते हैं। अभी दोबारा आये तो नया हो गया। पूरे प्रदेश में मुख्य मंत्री का टूअर प्रोग्राम जाता है। मैंने हर कांस्टीचुऐंसी का टूअर प्रोग्राम पढ़ा है। उद्घाटन या शिलान्यास के बाद जनसभा होती है। पब्लिक मीटिंग होती है। मेरी कांस्टीचुऐंसी में कांग्रेस पार्टी रैली हुई। टूअर प्रोग्राम में इस बार लिख कर आ गया that the Chief Minister will attend the Congress Party workers rally. आप पार्टी की गाड़ी में आए थे, आप अपनी गाड़ी में आए थे? सरकारी हेलीकॉप्टर और सरकारी गाड़ी में आ करके कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स की रैली को इसलिए आयोजित किया जाता है कि एम0एल0ए0 न बोले। ये लोकतंत्र है? हम क्या मानें कि सरकार है। कहां बोलें, आप बताएं। यहां बोलते हैं तो मुख्य मंत्री जी बोलते हैं कि बदतमीज़ है। हमें जनता ने चुना है। हम जो बात बोलते हैं प्रदेश के हित में बोलते हैं, जनता के हित में बोलते हैं। वे बातें आपके भी हित में हैं अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें। परन्तु जनता को जवाबदेह हम भी हैं। हमारे साथ ऐसा अन्याय और भेदभाव होता रहेगा तो हम भी चुपचाप सहन करने वाले नहीं हैं। आप बोलते हो कि आप पर

24.08.2016/1740/SS-AG/2

केस बना दियो। मैंने पूछा कि प्रूफ है तो प्रूफ दो और जो हमारे पर केस बनते हैं उनका क्या होता है? जो आपके फोन एस0पी0 को जाते हैं कि फटाफट रणधीर शर्मा के खिलाफ केस दर्ज करो। उसको अंदर करो। उसका क्या है? हमें भी पता लगता है, हमें भी जानकारी है। झूठे केस हमारे पर भी बनाये गये हैं। इसी सरकार के समय बनाये गये हैं। हमें अरैस्ट करने के आदेश आप देते रहे हैं। पूर्व मुख्य मंत्री महोदय के ऊपर केस। ये आपकी स्टेटमेंट है - "चाहूं तो कभी भी डलवा सकता हूं धूमल के घर पर रेड।" यह हमारा बयान नहीं है। यह आपका बयान है। क्या यह मुख्य मंत्री को शोभा देता है? -- (व्यवधान)-- यह बोला तो है। यह एक मुख्य मंत्री जी की मानसिकता है। फिर आप बोलते हैं कि मैं करता कुछ नहीं। बिंदल जी पर केस, कौंडल जी पर केस, आपने छोड़ा कौन है? --(व्यवधान)-- वह तो सरकार आते ही चला था। --(व्यवधान)--अध्यक्ष

महोदय, अब भ्रष्टाचार तो ऊपर से नीचे चलता है। जब ऊपर ही भ्रष्टाचार है तो हालात नीचे ठीक होंगे नहीं। हर डिपार्टमेंट में घोटाले हैं। सरकार के ढाई साल पूरे होने पर जब इन्होंने उत्सव मनाया था तो हमने चार्जशीट महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंपी थी। "30 महीने 30 घोटाले", महामहिम राज्यपाल महोदय ने वहीं चार्जशीट मुख्य मंत्री महोदय को ऐक्शन लेने के लिए भेज दी थी। मैं उन घोटालों की चर्चा नहीं करना चाहता। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या ऐक्शन लिया? अगर आप भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हो तो 27 विधायक साइन करके आपकी सरकार पर भ्रष्टाचार के 30 आरोप लगाते हैं और आप जांच नहीं करते तो हम कहां मानें कि आप भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस हैं। हम तो कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार को पालते हैं, बढ़ावा देते हैं और आपने बढ़ावा दिया है। आपने जो चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन बनाएं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लो।

जारी श्रीमती के0एस0

24.08.2016/1745/केएस/एस/1

श्री रणधीर शर्मा जारी----

आप यहां बैठे सभी लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड देख लो। कौन सा विभाग है, पी.डब्ल्यू.डी., आई.पी.एच., हेल्थ विभाग, सभी विभागों को देख लो। कोई भी विभाग घोटालों से नहीं बचा है। ट्रांसपोर्ट और सिविल सप्लाय कॉर्पोरेशन के बारे में तो खैर बोलना ही नहीं चाहिए। हम सुजान सिंह पठानिया जी को बड़ा शरीफ मानते थे, पता नहीं या तो इनको पता ही नहीं लगता, आज बिन्दल जी ने वहां भी मीटर घोटाला निकाल दिया। भरमौरी जी तो बेचारे हैं। बोले क्या? कोई शराब माफ़िया, कोई भूमि घोटाला। पशु-पालन विभाग में भी दवाइयों का घाटाला है और उसके बारे में भी हमने चार्जशीट में दिया था। कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसमें घोटाला न हो। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है तो है और अगर नहीं होता तो मुख्य मंत्री जी कार्रवाई करते। क्यों आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई ? कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि मुख्य मंत्री जी पर खुद भी आरोप है और इनकी मानसिकता है कि सबको खिलाओ-पिलाओ ताकि सभी खुश रहे, मेरे खिलाफ कोई न

बोले। अध्यक्ष महोदय, हम जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं, कोई डिफेंड करने वाला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर बात आई कि ईमानदार ऑफिसरों को बदला जा रहा है। परन्तु अगर इतना ही किया जाता तो भी हम मान लेते। ये ईमानदार ऑफिसरों को बदल रहे हैं परन्तु भ्रष्ट ऑफिसरों को प्रमोट कर रहे हैं। कौल सिंह जी बैठे हैं। ड्रग इंस्पेक्टर कुलदीप धीमान, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर बन गया, उसके ऊपर कितने केस हैं? जरा उसकी ए.सी.आर. देखिए। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिल रहा है, उनकी प्रमोशन हो रही है और ईमानदारों को सजा मिल रही है। यह इस सरकार का नियम है और सरकार इस नियम पर चलती है तो कहां सरकार है? आशा कुमारी जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपकी तरफ देखकर बोलें, चाहे कौल सिंह जी की तरफ देख कर बोलें, चाहे औरों की तरफ देखकर बोलें, आप सभी के हाल एक जैसे हैं। निराशा ही निराशा हाथ लग रही है, करें क्या? कुछ नहीं कर सकते।

24.08.2016/1745/केएस/एस/2

अध्यक्ष: कृपया वाइंड अप करिए।

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, यहां पर आऊट सोर्सिंग की बात हुई। कोई विभाग अब ऐसा नहीं है जो आऊट सोर्सिंग के वगैर चल रहा हो। आई.पी.एच. ने स्कीमें आऊट सोर्स कर दी, पम्प हाऊस आऊट सोर्स कर दिए। महेन्द्र सिंह जी ने डिटेल में बताया और 37 करोड़ साल का उस पर खर्च हो रहा है। उसकी बजाय मुलाजिम रख लेते। कौल सिंह जी ने नर्सिज़ आऊट सोर्स कर दी, बाली जी ने कंडक्टर आऊट सोर्स कर दिए, पठानिया जी ने बिजली के बिल इकट्ठा करने के लिए आऊट सोर्स काम कर दिया। उसके कारण दो महीने बाद बिल आता है और जहां डेढ़ रुपये प्रति युनिट लगना है उसकी जगह ढाई रुपये प्रति युनिट लग रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। सारे विभागों में आऊट सोर्स है और जब सारे विभागों में आऊट सोर्स है तो ये सरकार को भी

आरूट सोर्स कर दें। सरकार नाम की चीज़ तो है नहीं। सरकार को भी आरूट सोर्स कर दें, मुख्य मंत्री जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम सरकार को सम्भाल लेंगे आप गद्दी छोड़ों, सम्भालने वाले ईमानदार, कर्मठ लोग यहां बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहता, मुख्य मंत्री महोदय परेशान हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं फाईल उठाकर चले न जाएं।

प्रदेश सरकार के हालात बहुत बदतर है। मैं ज्यादा न बोलता हुआ, महेन्द्र सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि प्रदेश के वर्तमान हालात बहुत ही दयनीय है। कानून व्यवस्था बिगड़ रही है इसलिए मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता से यही आग्रह करना चाहता हूं कि जब भी प्रदेश में विधान सभा के चुनाव हों तो ऐसी भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ कर बाहर फेंकें और काम करने वाली ईमानदार बी.जे.पी. की सरकार को ले कर आएँ। धन्यवाद, जय हिन्द।

अध्यक्ष: अब माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्री अ0व0 की बारी में-

24.3.2016/1750/av/dc/1

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने लम्बे राजनीतिक जीवन में इस तरह की एक तरफा डिबेट आज से पहले कभी नहीं देखी। पहले क्या फैसला हुआ था कि चार मैम्बर विपक्ष की तरफ से बोलेंगे और मुख्य मंत्री जवाब देंगे। किसने यह बात मानी, किसने यह बात कही; मेरी समझ में नहीं आता। जो डिबेट होती है वह दो तरफा होती है। अगर इनके चार मैम्बर बोलेंगे तो हमारे भी चार मैम्बर बोलेंगे। हम कितने वर्षों से डिबेट्स में भाग ले रहे हैं। मगर जैसी डिबेट आज हुई या जिस तरह से आज डिबेट करने की कोशिश की गई ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। हम बहस से नहीं डरते मगर जो

डिबेट होती है या चर्चा होती है वह तथ्यों पर आधारित होती है। वह आरोपों के आधार पर नहीं होती। तथ्य दीजिए, आपको अगर ऐसा लगता है कि किसी प्रश्न का गलत उत्तर दिया है तो हम उसका प्रत्युत्तर देंगे। यह डिबेट केवल कीचड़ फेंकने के लिए रखी गई थी। हर सदस्य ने अपनी-अपनी बात कहने के दौरान अपनी कुंठा और गुस्से को व्यक्त किया। मैं आज समझता हूँ कि इस सदन के अंदर डिबेट का स्तर इतना ज्यादा घट गया है कि इससे हमारी विधान सभा के स्तर का अपमान हुआ है। इस सदन का अपमान हुआ है। (---व्यवधान---) कड़वे की कोई बात नहीं है। हम आपकी कड़वी-से-कड़वी बात सुनने के लिए तैयार हैं, अगर आप अपनी बातें शालीनता के साथ कहते हैं। यहां पर बहुत सारी बातें रखी गई हैं मगर जो मेरे लिए उत्तर तैयार किया गया है यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर दोनों तरफ से माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाये हैं मैं उनका संज्ञान लूंगा। अगर हम में कोई कमी है और उस कमी को हमारे समक्ष विपक्ष के लोग लाते हैं तो हमें कोई दुःख नहीं होता। मगर झूठमूठ का सहारा लेकर, झूठे आरोप लगाकर, बात का बतंगड़ बनाकर; उसको चर्चा का आधार बनाया जाए तो निःसन्देह इससे चर्चा का स्तर कम हो जाता है। एक-दो मैम्बर्ज ने यहां पर अपनी बातें बड़ी शालीनता से रखी। मगर जो ऐसी डिबेट हैं वह एक-दूसरे पर कीचड़ फेंकने व दोषारोपण के लिए नहीं होती, यह तथ्य के आधार पर अपनी बात रखने के लिए

24.3.2016/1750/av/dc/2

होती है। विपक्ष को आरोप लगाने का पूरा अधिकार है यदि उसके पीछे तथ्य हों। उनको आलोचना करने का पूरा अधिकार है अगर सच्चाई के ऊपर आधारित हो। यह प्रजातंत्र का उसूल है। यहां पर बहुत सारी बातें हुई हैं मगर सच्ची बात यह है कि मैंने नोट नहीं की है। I have not noted who has said what. मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारी सरकार शालीनता में विश्वास करती है। अभी श्री प्रेम कुमार धूमल जी ने कुछ ऑफिसर्ज

की बात कही कि कुछ सीनियर ऑफिसर बाहर चले गये। (---व्यवधान---) आपने कहा और कुछ दूसरे सदस्यों ने भी कहा। I corrected myself at once. (---व्यवधान---) नहीं, नहीं। मैंने कहा कि कुछ मैम्बर ने कहा है, यहां पर बिन्दल जी ने कहा है तथा औरों ने कहा है। (---व्यवधान---) हम तो चाहते हैं कि जितने ऑफिसर हैं वे दिलचस्पी के साथ काम करें। सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करें, उनको अमलीजामा पहनायें, हम उनका आदर करते हैं। Good efficient bureaucracy is a blessing for any Government. I am glad we have many very nice, dedicated and apolitical people who are serving in this Government.

श्री टी सी द्वारा जारी

24/08/2016/1755/TCV/DC/1

मुख्य मंत्री-जारी--

आपने 2-4 ऑफिसर की बात की है। हमने उनको कहा, हमने उनको मौका भी दिया। मगर आते हैं, महीना भर काम करते हैं और 2 महीने की छुट्टीपर चले जाते हैं। गवर्नमेंट ऐसे नहीं चल सकती है। If a Secretary of a Department absents himself or herself for months at a time, how can that Department run? So, we have to make a substitute for that. हमने किसी को यहां से बाहर नहीं भेजा। जो बाहर गया वह अपनी मर्जी से गया है और उनकी इच्छा भी थी कि वह दिल्ली जाएं। अच्छी बात है। I can take the horse to the water but I can't make them drink the water. अगर किसी ने मन बना दिया है कि हमने काम नहीं करना है तो I have to say goodbye to them. I am sorry they went. They were good and some of them were very good Officers, I have nothing against them but वह ऑफिसर मेरे किस काम का है, जो हमेशा मुहं चढ़ाकर बैठा रहे। वह काम न करें और लम्बी-लम्बी छुट्टियां लें। यदि उनके पास कोई अच्छा/बड़ा विभाग दे दें तो वह उस विभाग का भी बेड़ा गर्क कर दें। I am sorry, I am glad that today I have got some new Officers who have come from Delhi. They all are highly experienced and dedicated

Officers and they are running the Government very well. They are running the Department very well and I have full faith on them. I have faith on each and every Officer, all the Officers, entire Government machine. It is with their active cooperation that successfully Government can run. They can make and undo our polices. यदि किसी आदमी/ऑफिसर को कोई तकलीफ़ है, तो वह हमें बताईये हम उसकी तकलीफ़ दूर कर देंगे लेकिन वह भी नहीं बतानी है। मन बनाया है कि दिल्ली जाना है लेकिन तब दिल्ली जाइये जब आपको वहां से बुलावा आएगा और जब तक यहां पर है तब तक काम कीजिए। I can't take work from such Officers. Now they are gone, some are going to retire, some have found place in Centre Government and some have not but it is not due to us. I would like that all of them are here and share the burden of administration, give their valuable suggestions and to ensure that the State benefits from their long experience. This was our policy. जैसा मैंने कहा कि मैं घोड़े को पानी के पास तो ले जा

24/08/2016/1755/TCV/DC/2

सकता हूं लेकिन मैं उसको ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकता। Therefore I said that those who don't want to stay here they can go, they can go on long leave and strive for their postings in Delhi or elsewhere. यदि कोई अन-विलिंग ऑफ़िसर बीच में हो तो वह खुद तो काम करेगा नहीं, बल्कि और आदमियों को भी काम न करने के लिए इंप्ल्यूएंस करेगा। That will set a bad example for others. मैं यहां इस बारे में साफ-साफ बात कर रहा हूं। Otherwise I have no malice for anybody. I have respect for them. One time or other they have worked with me. Some of them who were probationers when I was Chief Minister, I appointed them as BDO's and then SDM's. I have seen their work, they worked with zeal and had lot of talent. लेकिन यदि फैसला कर लें कि हमने काम करना ही नहीं है, हर चीज़ में रूकावट डालनी है, तो मुझे भी ऐसे ऑफिसरों की ज़रूरत नहीं है। अच्छा है,

हम उनको दूर से प्रणाम करें। वे जहां जाना चाहते हैं, चले जाएं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसी तरह से आज भ्रष्टाचार इत्यादि के बारे में बहुत-सी बातें हुई हैं लेकिन बात यह है कि जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनको भ्रष्टाचार ही याद आता है। ये भूल गए, जब इनकी सरकारें थी, उस वक्त इनके ऊपर भ्रष्टाचार के कितने आरोप लगे थे। मैं तो उस समय यहां पर नहीं था। मैं तो दिल्ली में था।

श्रीमती नीना सूद द्वारा जारी ----

24/08/2016/1800/NS/DC/1

मुख्य मंत्री महोदय----- जारी।

यह भी ठीक है कि पिछली सरकार ने बदले की भावना से काम किया है, झूठे मुकदमों बनाए हैं और लोगों को तंग किया है। यह भी एक तथ्य है। जिसने नहीं किया उसका भी मैंने जिक्र किया है। हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई झगड़ा नहीं है। जनता ने आपको चुनकर भेजा है इसीलिए हमारा फर्ज है कि हम आपके साथ कॉपरेट करें, आपका आदर करें और आपकी जो अच्छी पॉलिसीज़ हैं उनका समर्थन करें। अगर आप बगावत और बदले की भावना से काम करें, झूठे मुकदमों बनाएं, fabricated cases बनाएं और लोगों को उत्पीड़ित करने की कोशिश करेंगे तो उससे कड़वापन राजनीति में पैदा होता है। जो अच्छा काम करेगा, उसके लिए हम अच्छा कहेंगे लेकिन जिसने ठीक नहीं किया है, उसे हम मुंह पर कहेंगे कि ठीक नहीं किया है। अभी यहां इस सदन में कुछ और मुद्दे उठाए गए हैं। मैंने वे मुद्दे नोट नहीं किए हैं कि किसने क्या कहा है, मगर जब मैं आज की कार्यवाही को पढ़ूंगा तो विस्तृत रूप से सबको इंडिविजुअल जवाब दूंगा। परन्तु यहां पर जो मोटी-मोटी बातें कही गई हैं, उनमें से एक बात आई.पी.एच. विभाग के बारे में है। माननीय सदस्यों ने कहा कि सब चीजें आउटसोर्स कर दी हैं, इस विभाग के जहां-जहां पम्पिंग हाऊसिज़ हैं, जहां से पानी उठता है, वह भी आउटसोर्स कर दिये हैं। किसी हद तक आउटसोर्स करना शायद नुकसान देय रहा हो और सरकार को उस पर पैसे की बचत होती है। मगर हर चीज़ को आउटसोर्स करना मूर्खता है। जैसे आपने वाटर सप्लाई स्कीमज़ बनाई हैं, उसमें बड़े मंहंगे-मंहंगे पम्पज़ लगे हैं और ये मशीनें सुचारू रूप से चलें उसके लिए बहुत तजुर्बेकार और डेडिकेटेड

इम्पलाईज़ होने चाहिए। We can't take risk of outsourcing such things. उन आउटसोर्स इम्पलाईज़ को क्या मतलब है? वे मशीनें ठीक से नहीं चलाएंगे और उनको बिगाड़ देंगे। उन मशीनों का सही ढंग से रख-रखाव नहीं करेंगे। I agree in one thing आज इस तर्क के संदर्भ में where there is tremendous expansion of bureaucracy everybody cannot be kept on the permanent basis. It is necessary to some extent outsource the works but in vital things where we have to make a decision, vital installations which involves irrigation schemes,

24/08/2016/1800/NS/DC/2

water supply schemes and other things of the Departments, we have to be careful. We can't make a policy कि हर चीज़ को आउटसोर्स कर दो। पता नहीं किस किसके आदमी आएंगे, कौन चुने जाएंगे? उनकी कोई भी करैक्टर वैरीफिकेशन नहीं होती है। लेकिन जो सरकारी नौकरी में आते हैं, उनकी तो करैक्टर वैरीफिकेशन भी होती है। उसके आगे पीछे क्या है, उसके बारे में भी पूछताछ होती है। परन्तु जो आउटसोर्स द्वारा आते हैं उनका कोई पता नहीं होता है कि वे कौन हैं? कई इनमें से बहुत अच्छे निकलते हैं और कई तो बिल्कुल निखट्टू निकलते हैं। यह सिर्फ एक पद को भरने की ही बात नहीं है, उनके अंदर गुणवत्ता भी होनी चाहिए। it has to be mixture of both. अगर मैं यह कहूँ कि आउटसोर्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए I wish, I could do it but the resources of the State do not allow me to put permanent employees in every post. It is very costly and State cannot afford it. Therefore some work has to be outsourced and for that they get a salary which is not a full salary. वे लोग भी बेरोज़गार होते हैं, तो उनको भी खुशी होती है जब उनको पैसा मिलता है। किसी हद तक तो यह ठीक है, मगर सारे में यह पॉलिसी बना देना कि everything has to be outsourced, it is wrong . I don't agree with that. We have to keep a balance.

श्री आर० के० एस० द्वारा जारी।

24/08/2016/1805/RKS/AG/1

मुख्य मंत्री...जारी

It is important that हमारे रिसोर्सिज भी ऐसे होना चाहिए। जो खर्चा होगा अपने रिसोर्सिज के अंदर ही होगा। काश! हमारे पास इतने पैसे होते, इतने रिसोर्सिज होते कि हम जितने भी मुलाज़िम रखते हैं उन्हें परमानेंट रख सकते। That could have been the best solution, but it is not possible under the circumstances. Therefore, we have to partly keep people on permanent basis/contract basis and partly we have to also resort to outsourcing. The balance has to be kept in that. मगर इसमें यह है कि हम कम्पनी के माध्यम से आउटसोर्स करते हैं परन्तु पता नहीं कम्पनी वाले क्या करते हैं। In fact, we are encouraging exploitation of the people at the hands of those companies who supply all the workers. जितना वेतन एक आउटसोर्स को मिलता है उसका कुछ हिस्सा उस कम्पनी को देना पड़ता है जिसके द्वारा वह आउटसोर्स होता है। इन दोनों पहलुओं को देखने की ज़रूरत है। अगर हमारे पास इतने रिसोर्सिज होते कि each and every employee the Government could keep that would be the best situation. But it is not possible because we don't have that much resource. In fact, this is a phenomenon not only in Himachal Pradesh but it is being resorted in every State including the Union Government

अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्री जी, अभी और भी एक प्रस्ताव है इसलिए टाइम एक्सटेंड कर लेते हैं।

मुख्य मंत्री: माननीय अध्यक्ष जी, 10 मिनट और बढ़ा दिया जाए जो प्रस्ताव है उसे कल कर दिया जाएगा।

(माननीय सदन की बैठक सांय 6.10 बजे तक बढ़ाई जाती है।)

श्री सुरेश भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, अगली चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, उसे 27 तारीख के लिए रख देते हैं क्योंकि 26 तारीख को प्राइवेट मैम्बर डे है।

24/08/2016/1805/RKS/AG/2

Chief Minister: : Mr. Speaker, Sir, take your time to decide. Not be hustled by what I say or he says. Let the Speaker decide about it. It is his prerogative. अभी आउटसोर्स के बारे में बात हो रही है। दूसरा, इनको एक और फोबिया है, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। जो खुद भ्रष्टाचार के सागर में डूबे हुए हैं उनको वही याद रहता है। आप अपने दिनों को याद करो, आप लोगों ने क्या किया और क्या नहीं किया? मैं यह नहीं कहता कि Our administration is 100 per cent perfect. There may be some defects. There may be some good people and some not so good people. There may be some people who are doing wrong things. I don't rule it out. मगर जब प्रश्न हमारे संज्ञान में आता है तो हम एकदम उसका कॉरैक्टिव मेज़र लेते हैं। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है It is very much under control. I am proud of that और जहां तक ड्रगज़ माफिया की बात है First time, I think in the recent years, any Government has taken such stringent action to meet the menace drug mafia. We have taken effective steps. I want to congratulate the Police in Kangra District particularly. They have taken big measures, यहां तक कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर Just on the border कई मकान बने हुए हैं, जहां पर ड्रगज़ सप्लाई होती थी और ड्रगज़ मैन्यूफैक्चर होता था। Many of them have been demolished उसको बिल्कुल उखाड़ दिया गया है। वे हिमाचल की टैरिटॉरी में नहीं थे। That would like in no man's territory और इस तरह से जो ड्रगज़ पैडलर्ज़ पकड़े गए हैं, उसको इस्तेमाल करने वाले पकड़े गए हैं। खासकर जो सप्लाई करने वाले लोग हैं, चाहे वे बाहर के हों या हिमाचल प्रदेश के हों,

वे पकड़े गए हैं। ऐसी मुझे सूचना है। Action is being taken against them और इस किस्म का अभियान एक ज़िले में नहीं बल्कि सारे ज़िलों में होना चाहिए। खासकर उन जिलों में जिनका बोर्डर पंजाब के साथ लगता है। वह चाहे हमीरपुर हो, चाहे ऊना हो और कांगड़ा में तो यह काम हो ही रहा है।

Contd. By SLS in Hindi

24.08.2016/1810/SLS-ag-1

माननीय मुख्य मंत्री ..जारी

I think they have shown a way. I would like to congratulate the Police in Kangra who have shown some guts and taken effective steps to see that this drug mafia is crushed. I don't say they have succeeded 100 per cent. मगर उन्होंने पुश किया है और जिस शिद्दत के साथ यह काम हो रहा है, उससे सैटिस्फैक्शन है। उससे पहली दफा जो ड्रग इस्तेमाल करने वाले और सप्लाई करने वाले लोग हैं, उनके भीतर डर पैदा हुआ है। इसी किसम का अभियान हमीरपुर और ऊना के अंदर, जिनके बार्डर पंजाब के साथ लगते हैं, वहां भी चलाए जाने की आवश्यकता है। ...(व्यवधान)... I corrected myself. वहां भी करेंगे। जो ऊना में होता है, यह नहीं समझिए कि Hamirpur is free from this menace. वहां भी यह काफी मात्रा में है भले ही वह बार्डर पर न हो। ...(व्यवधान)... सारे हिमाचल में है मगर जो बार्डर के साथ लगे इलाके हैं उनमें यह ज्यादा है। वहां स्मगलर जल्दी से आ सकते हैं और जल्दी से बाहर निकल सकते हैं। वैसे तो यह अभियान सारे हिमाचल में होगा लेकिन खासकर जो हरियाणा और पंजाब के बार्डर के साथ लगे इलाके हैं वहां पर इस अभियान को और भी शिद्दत, मज़बूती और तत्परता के साथ चलाने की आवश्यकता है ताकि जो हमारी जनरेशन इस ड्रग एडिक्शन से खराब हो रही है, उनको बचाया जा सके।

इसके अलावा इन्होंने और भी प्वायंट्स उठाए हैं। मेरे पास समय नहीं है। I want to thank all the people who have participated. I have taken note of each and

every speech because all the copies will come to us and उन्होंने जो भी सुझाव दिए हैं, जहां तक प्रैक्टिकल है, उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और आप जो सूचना हमें दे रहे हैं, हम उसका भी लाभ उठाएंगे।

धन्यवाद।

24.08.2016/1810/SLS-ag-2

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, प्वायंट ऑफ ऑर्डर।

अध्यक्ष : बोलिए।

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, यहां पर डिबेट में बहुत से बाहर के लोगों का नाम लिया गया है, particularly, Shri Arun Jaitley, who is Finance Minister of India. His name has been taken in this House. My request is that it should be expunged from the records. क्योंकि ये रूलज हैं और स्पीकर की डायरेक्शन्ज हैं। स्पीकर की डायरेक्शन्ज के रूल-125 के अंतर्गत - allegation may not also be normally made against outsiders as they are not in a position to defend themselves. न तो ऑफिशियल का नाम लिया जा सकता है और न ही आऊटसाइडर्ज का नाम लिया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि पार्लियामेंटरी प्रोसीजर्ज को अडाप्ट करते हुए श्री अरुण जेटली जी का नाम यहां जितनी बार भी आया है और जिसके द्वारा भी लिया गया है, उसको रिकॉर्ड से एक्सपंज कर दिया जाए।

Speaker: I assure that.

श्री सुरेश भारद्वाज : इसमें हमारे एम.पी. अनुराग ठाकुर का नाम भी है। They are not present here to defend themselves. As per law that should be deleted from the records.

मुख्य मंत्री : इसका मतलब है कि हिमाचल में आप किसी के बारे में भी बात नहीं कर

सकते।

श्री सुरेश भारद्वाज : हिमाचल में तो आप कर सकते हैं लेकिन हाऊस के अंदर तो आप रूलज के अनुसार ही बात करेंगे। I am quoting the Directions of the Speaker and the rules.

Chief Minister: When you criticize the individuals, they are also not in this House.

24.08.2016/1810/SLS-ag-3

Shri Suresh Bhardwaj: Sir, he has the 53 years of experience in the Parliament. But my request is that no allegation can be levelled against an outsider. (Interruption)

Chief Minister: This is my feeling. But I would like to say so far Shri Arun Jaitley is concerned, I withdraw his name. (Interruption) It will be expunged from these proceedings. That's all.

Shri Suresh Bhardwaj: It is in the rules that we cannot take the name of any outsider. That should be deleted. That is my simple request.

Chief Minister: Only the name of Mr. Arun Jaitley. I assure this concession to him. But I have said it what my heart says. I have said the truth. God knows it.

Speaker: It will be expunged. I have assured you.

जारी ..गर्ग जी

24/08/2016/1815/RG/AS/1

मुख्य मंत्री की अंग्रेजी के पश्चात

Speaker: It will be expunged. I have assured you.

मुख्य मंत्री : मैंने खुद ही कह दिया कि ऐक्सपन्ज करो। मगर इसका मतलब यह नहीं है और मैं जब तक जिन्दा हूँ, मैं यही कहूँगा, वह था, वह था जिसने यह किया।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 26 अगस्त, 2016 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004

दिनांक : 24 अगस्त, 2016

सुन्दर सिंह वर्मा,

सचिव